राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २७वां दिवस [संख्या २१

सोमवार, १६ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ५५५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

देवस्थान विभाग, कोटा के कर्मचारियों की मांगें

५५६. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

कोटा के देवस्थान विभाग के कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है!

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): कर्मचारियान देवस्थान कोटा का फिक्शेसन दिनांक १-३-५६ से किया गया। फिक्शेसन में जिन कर्मचारियों को पत्तल प्रसाद मिलता रहा, उन्हें मंहगाई भत्ता नहीं दिलवाया गया। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने निर्णय ले लिया है कि :

(१) दस रुपया मासिक तक के पत्तल प्रसाद पाने वालों को दिनांक १-४-५८ एवं १-१०-५८ से स्वीकृत बढ़ोत्तरी मंहगाई भत्ता मिलेगा।

(२) दस रुपये से अधिक एवं बीस रुपये तक का पत्तल प्रसाद प्राप्त करने वाले सेवा-गिरों को दिनांक १-१०-५८ से स्वीकृत शुदा महंगाई भत्ते का लाभ होगा।

(३) बीस रुपया मासिक से अधिक पत्तल प्रसाद प्राप्त करने वाले सेवागिरों को कोई महंगाई नहीं मिलेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह महंगाई भत्ता किस रेट पर मिलेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने अर्ज कर दिया महंगाई भत्ते का दर निश्चित

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है उसी के अनुसार दस रुपया मासिक के पत्तल प्रसाद पाने वालों को और दस रुपये से अधिक बीस रुपये तक का पत्तल प्रसाद पाने वालों को वही महंगाई भत्ता मिलेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : किस तरह से पत्तल प्रसाद का अन्दाज लगाया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो पत्तल दी जाती है उसके अन्दर मिकदार मौजूद रहती है उसी के अनुसार दिया जायगा।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : पत्तल की कीमत कितनी होती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

माध्यमिक शाला सुजानपुर की जमीन का विक्रय

५५७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि आज के लगभग १० वर्ष पूर्व माध्यमिक शाला सुजानपुर तहसील बस्सी को दी हुई डेढ़ बीघा जमीन रामदयाल पटेल ने स्थानीय सेठ गंगासहाय को बेच दी है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि जयपुर ज़िले के उच्चाधिकारियों ने भी पटेल रामदयाल के उक्त कार्य का समर्थन किया है ?

(ग) क्या स्कूल को बागवानी के लिये दी गई जमीन, जिसमें सरकार द्वारा कुएं का भी निर्माण करवा दिया गया था, उक्त पटेल द्वारा बेचा जाना उचित था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ५५८.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

सन् १९५८-९ में खादी ग्रामोद्योग पर खर्च

५५९. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या वित्त मंत्री नीचे लिखे हुए प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग पर राजस्थान में सन् १९५८-५९ वर्ष में सरकार ने कितना कितना रुपया खर्च किया है ? इसकी सूची जिलों के अनुसार सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कोटा जिले के लिये सरकार पास क्या योजना है ?

उपमंत्री वित्त विभाग (श्री खिबचन्द धारीवाल) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष अभी तक खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये कोई रकम नहीं दी गई है ?

(ख) राज्य सरकार के पास इस वर्ष में कोई योजना नहीं है।

Page No.3

डॉ० बहादुरसिंह : क्या अबतक नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी गई इसके लिये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मौजूद है। ऑल इन्डिया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड डाइरेक्टली दे देते हैं। इसके लिये न तो राजस्थान सरकार के पास योजना ही है और न फंड ही।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या सरकार देती है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

ज़िला जालोर में गोचर भूमि पर कब्ज़ा

५६०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जालोर की सांचोर तहसील की कौन कौन सी पंचायतों ने कब कब गोचर भूमि में गैर कानूनी तरीके से कब्जा किये हुओं को हटाने मुतलिक तहसीलदार को लिखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सत्य है कि उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आ सका है, अतः इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : सांचोर के प्रश्न का कई दफा जवाब नहीं मिलता।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

भूमि सम्बन्धी रिकॉर्ड पर अफसर के दस्तखत

५६२. श्री रूपाराम (नोखा सु.) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भूमि संबन्धी रिकॉर्ड मसलन गिरदावरी सहाया आदि पर नम्बर सफा वा मोहर अदालत होकर अफसर मुतल्लिका के दस्तखत नहीं होते ?

(२) क्या यह सही है, कि ऐसा न होने से काश्तकारान को लैन्ड रिकॉर्ड अमला फर्जी इन्द्राज़ करके व पन्ने बदल कर परेशान करते हैं तथा इससे सरकार को भी नुकसान होता है ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि नम्बरिंग न होने से बिना राय अलॉटमेंट कमेटी हज़ारों बीघा जमीन साधन सम्पन्न तबका ने हथिया ली है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार जांच का विचार रखती है तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) यह सही नहीं है।

(२) किन्हीं विशेष मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं होता।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) जी नहीं, शिकायतें प्राप्त होने पर व कोई उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होने पर जांच करने न करने का निर्णय हो सकता है।

श्री रूपाराम : आपने कहा 'सही नहीं है, गिरदावरी आदि पर नम्बरिंग' हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा २३६ के अन्तर्गत खसरा गिरदावरी के ऊपर यह कायदा है कि हरएक पेज़ नम्बरिंग रहता है और तहसीलदार और ऑफिस कानूनगो के दस्तखत होते हैं। पेज की शुरूआत और अन्तिम मेज़ पर दस्तखत होते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) क्या अबतक जो रजिस्टर हैं उन पर नम्बरिंग नहीं होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गिरदावरी के रजिस्टर जो सप्लाई होते हैं सब पर नम्बर होते हैं पटवारी अपने दस्तखत करता है। पटवारी को जो खसरा दिया जाता है उस पर नम्बर किया जाता है, तहसील की मोहर लगती है। तहसीलदार और ऑफिस कानूनगों के दस्तखत होते हैं। जब रजिस्टर दिया जाता है उस समय रिकॉर्ड में यह दर्ज होता है कि इसमें इतने पेजेज है, इसका हिसाब रखा जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नियम अर्ज कर दिया न। लैंड रेवेन्यू की धारा २३६ की तहत रूल बने हैं।

श्री रूपाराम : यह गिरदावरी पर नम्बर, सफा नम्बर देते हैं वह अगर छप जावे तो क्या एतराज़ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सुझाव है, सरकार इस पर विचार करेगी।

गुलाबपुरा गांधी बहुउद्देशीय हायर सेकन्डरी स्कूल छात्र संख्या

५६३. श्री जयसिंह (आसीन्द) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला भीलवाड़ा के गुलाबपुरा गांधी बहु उद्देशीय हायर सेकन्डरी स्कूल की कक्षा ६ के ए व बी सेक्शनों में कितने विद्यार्थी हैं ?

(२) इनमें से कितने विद्यार्थियों के पास अब तक विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं ?

(३) राजकीय स्तर पर इस अवस्था का जिम्मेदार कौन अधिकारी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) :
(१) ४८।

(२) मांग की पूर्ति कर दी गई अब कोई कमी नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कब पूर्ति कर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है। पर अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले।

Page No.5

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : यह इतने दिनों से पाठ्य पुस्तकें मिलने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कहीं ज्यादा चली गई, कहीं कम पहुंची। तो जहां ज्यादा चली गई, वहां से कम वाली जगह भेज दी गई हैं।

डॉ० चन्द्रकला : इतने देर से मिलने से बालकों की पढ़ाई में जो हर्जा हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। ज्यादा टाइम नहीं लगा। जहां की शिकायत आती है पूर्ति कर दी जाती है जल्दी ही।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या टर्म शुरू होने से छः महीने बाद तक उनको किताबें नहीं मिली, यह सच है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छः महीने बाद पहुंची, यह तो मैंने नहीं कहा।

श्री चन्दनमल वैद : जब तारीख आप नहीं बताना चाहते, तो कैसे मालूम हो कि छः महीने बाद नहीं पहुंची ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तो फिर यह कैसे क्यास कर लिया जावे कि छः महीने बाद पहुंची।

श्री पी० के० चौधरी : इन्स्पेक्टर के पास भेज दी गई थीं, क्या यह सही नहीं है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह सदा की बातें हैं। रोज़ रोज़ यही होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनके पास ज्यादा पहुंच गई, वहां से कम के पास भिजवा दी गई।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह कई दिनों से बार बार सवाल आता है। यह ठीक नहीं है। जब किताबें ही देर से मिलती हैं तो पढ़ाई क्या होगी ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He replied that the books were sent to the institutions. That was a wrong reply.

श्री दामोदरलाल व्यास : I accepted that immediately that they were sent to the Inspectors.

डॉ० चन्द्रकला : किस इन्स्पेक्टर को ज्यादा भेज दी गई हैं और फिर ऑफिस में एडजस्टमेन्ट हुआ, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लड़कों की संख्या घटती बढ़ती रहती है इस कारण कम ज्यादा भी चली जाती हैं, एडजस्टमेंट भी होता है और भेज भी दी जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर किताबें देने की ज़िम्मेदारी सरकार अपने पर क्यों लेती है पहले जैसी व्यवस्था क्यों नहीं कर देती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये कि राष्ट्रीयकरण किया है। सदन में कई बार इस पर बहस हो चुकी है।

डॉ० चन्द्रकला ? तो क्या उस बहस से

Page No.6

(डॉ० चन्द्रकला)

सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुँची कि राष्ट्रीयकरण करने से पुस्तकें देर से जाती हैं और बच्चों का नुक्सान होता है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : जी नहीं, बच्चों को बहुत फायदा हुआ है।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : छः छः महीने तक पुस्तकें नहीं भेजने से बच्चों का फायदा कैसे हुआ ?

प्रश्न संख्या ५६४

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता

५६५. श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस के कॉन्सटेबिलों को तृतीय श्रेणी में शरीक किया जाता है ?

(ख) अगर हां, तो उनको यात्रा भत्ते में चतुर्थ श्रेणी का भत्ता क्यों दिया जाता है।

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सब कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर पारिवारिक यात्रा व्यय दिया जाता है ?

(घ) अगर हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जाता ?

उपमन्त्री वित्त विभाग(श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी नहीं। राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत, उनको चतुर्थ श्रेणी में माना जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) साधारणतया चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तर नहीं दिया जाता। अतः ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तर पर, पारिवारिक यात्रा व्यय दिलाने का प्रावधान नियमों में नहीं है। यदि सार्वजनिक हित में ऐसे व्यक्तियों का स्थानान्तर किया जाता है तो परिवारिक यात्रा भत्ता सरकार की मन्जूरी से दिया जाता है।

गोगाजी के मन्दिर में पूजा की व्यवस्था

५६६. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गंगानगर जिले की नोहर तहसील के गोगामेडी में गोगाजी का मन्दिर है ?

(२) यदि हां, तो उस मन्दिर की पूजा की क्या व्यवस्था है, पुजारी कौन है और उस पर कितना रुपया सरकार खर्च करती है ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त देवस्थान की पूजा करने का परम्परागत अधिकारी होने के नाते किसी अन्य ने उक्त अधिकार प्राप्ति के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ?

(श्री अनोपसिंह)

(४) यदि हां, तो उस प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जबाब पिछली टर्न पर सदन में दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या ५६७

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

महिला आश्रम, भीलवाड़ा की अध्यापिका को तकावी

५६८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(१) महिला आश्रम भीलवाड़ा की एक अध्यापिका श्रीमती स्नेह लता ने राजस्व विभाग से कुंए, बैल, बीज व भूमि सुधार के लिए कितनी कितनी तकावी, किस किस तारीख को, किन किन शर्तों पर ली है ?

(२) क्या सही है कि इनके पति ने भी राज्य सरकार से अपने नाम पर तकावी ले रखी है ? यदि हां, तो कितनी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) तीन हज़ार रुपया कुंआ खुदवाने के लिये १०। १। ५६ को साधारण तकावी की शर्तों पर दिये गये। तथा २२ मन गेहूं बीज के लिए १६। १०। ५७ को दिया गया।

(२) जी हां, तीन हज़ार रुपये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह महिला आश्रम में अध्यापिका का भी काम करती है ? और खेती का भी काम करती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : खेती का काम करती हैं तभी तो तकावी दी गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जमीन किस जगह है, भीलवाड़ा से बाहर या अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पता नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इसका सदुपयोग नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं सदुपयोग हुआ ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि इस बीज़ को बाज़ार में बेचते हुए पकड़ा गया और इसकी तहसीलदार को उसी समय रिपोर्ट दी गई थी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) अगर आपको मालूम हो, तो क्या करेंगे आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, एक्शन लेंगे।

श्री मदनसिंह : रकम ली गई उसकी सब शर्तें पूरी कर दी गई ? कब लौटाना चाहिये था वह रुपया या उसकी किश्तें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साधारण तकावी दी गई साधारण रुल्स के अन्तर्गत।

Page No.8

श्री मदनसिंह : तकावी लौटाने की तारीख पर तकावी नहीं लौटाई, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल : जी हां, वसूली की कार्यवाही की गई है।

श्री भैरोंसिंह : जमानत पर उनके पति को भी तकावी मिली है उसी जमानत पर जिस की जमानत पर उनकी पत्नी ने ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जान कारी मुझे इस समय नहीं है। अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त कर सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : तकावी लेने से पहले जिस मकान की जमानत इन्होंने दी उसी मकान की जमानत इनके पति ने अपनी तकावी के कर्जे के लिये दी है ? तो क्या रकम देने से पहले इस तरह की जांच नहीं की जाती कि यह और काम के लिये पहले से तो मोर्टगेज नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच आम तौर पर की जाती है। इसमें भी जरूर की गई होगी। मैं तो अर्ज करता हूं कि जमानत की तस्दीक की गई होगी, इस केस में भी।

श्री दयाकृष्ण विजय : मकान के आधार पर तकावी दी गई है। वह पहले से किस जगह मोर्टगेज था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, मेरी जानकारी में नहीं है। आप सूचना दे रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : रिकवरी की कार्यवाही कब से की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल : नोटिस दिया गया रकम जमा नहीं करवाई गई, भीलवाड़ा तहसीलदार के मार्फत पी० डी० आर० में कार्यवाही करने का तै किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कब दिया लोन, तरीख नहीं बताई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, तारीख बताई है सबकी। पहली तरीख बताई गई १०। १।५६ की और दूसरी बताई गई १६। १०।५७ की। आप सुनते तो मालूम हो जाता।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन उनके खिलाफ जो कार्यवाही वसूली की नहीं हो रही है उसका कारण यह है कि वह श्री माणिकलालजी वर्मा की लड़की हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास: वसूली की कार्यवाही हो रही है और वह पी० डी० आर० के तहत हो रही है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह गलत है कि वह श्री मणिक्यलालजी वर्मा की लड़की नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे मालूम नहीं है कि वह किनकी लड़की हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको यह मालूम नहीं है कि वह श्री मणिकलालजी वर्मा की लड़की हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, मगर मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

मिडिल स्कूल के हैडमास्टरों की नियुक्ति के आधार

५६६ श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मिडिल स्कूल के हैडमास्टर्स की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं ?

(ख) क्या श्री भंवरप्रसाद गंगवाल से जिन्हें हैडमास्टर बनाया गया है, अन्य व्यक्ति सर्विस, योग्यता तथा ग्रेड में सीनियर नहीं थे ?

(ग) शिक्षा विभाग में सीनियोरिटी किस आधार पर मानी जाती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (क) ऑर्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) श्री भंवरलाल को आरज़ी तौर पर बनाया गया था, जो अब हट चुका है ।

(ग) नियम की कापी सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : यह आरजी तौर पर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट्स कर लिया करते हैं और टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट के बाद में जब पर्मानेन्ट अरेन्जमेन्ट किया तो उनको हटा दिया ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) फिर पर्मानेन्ट अरेन्जमेन्ट का ही ख्याल कर क्यों नहीं रखा गया ताकि हटाने की जरूरत नहीं होती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्प्रेरी अरेन्जमेन्ट करने में किसी के राइट्स पर असर नहीं पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी ।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में लगान के साथ अन्य करों की वसूली

५७० श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान निर्माण से पूर्व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ ज़िलों में किसानों से लगान वसूली के साथ अन्य कर अब्बाव, धर्मादा, हक़ मुखिया वसूल किया जाता था तथा अब तक भी वसूलीयत जारी है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के विभिन्न तहसीलों के पटवारियान द्वारा उन लोगों की बकाया दर्ज रजिस्टर किया जाता है ?

राजस्व मन्त्री (श्रीदामोदरलाल व्यास): (क) पहले वसूल किया जाता था अब वसूल नहीं किया जाता ।

(ख) जी हां, जिला डूंगरपुर के अतिरिक्त ।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से बन्द किया गया ?

Page No.10

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ऑर्डर्स २४-११-५८ को जारी हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : उसके पहले जो गैर कानूनी ढंग से वसूल हुए हैं क्या उसको लगान के अन्दर एडजस्ट किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह किसने कहा कि गैर कानूनी ढंग से वसूल हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : बन्द किस कारण से हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डूंगरपुर का अलग कानून था, बांसवाड़े का अलग कानून था, पर जब राजस्थान का यूनीफाइड कानून बन गया तो उसके अन्दर वसूल करना बन्द कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह कानून कब बना था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह जरूर है कि जब से ऑर्डर्स हुए उसी तारीख से वसूल करना बन्द कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : यूनिफाइड कानून बनाने के बाद में भी क्या लगान वसूल किया जाता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स बनाये गये उसके बाद में इसको रोका गया।

श्री भैरोंसिंह : युनिफाइड कानून बनने के बाद में भी इस प्रकार की वसूली हुई है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस कानून के लिए फरमा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिस कानून के लिए आपने अभी फरमाया है।

श्री भोगजी : क्या यह सही है कि लोगों की बकाया दर्ज रजिस्टर किया जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भीमसेन : क्या यह सही है टिनेन्सी एक्ट की धारा ३७ के मुताबिक लैण्ड रेवेन्यू वसूल नहीं किया जा सकता और सन् १९५५ से यह वसूली जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह जारी रही है और यह बिल्कुल वाजिब है। इसलिए कि टिनेन्सी एक्ट की धारा जिसका जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसमें यह लिखा है कि जो ऑथोराइज्ड सैस है वही वसूल किये जायेंगे और यह सैस बिल्कुल ऑथोराइज्ड था। डूंगरपुर में लगान वसूली के साथ आधा आना और अन्य कर अब्बाब धर्मादा, हक मुखिया कुल १ आना फी रुपया वसूल किया जाता है और इस तरह से बहुत से स्टेटों के कानून थे कि जिनसे यह अब्बाब वसूल किया जाता था। यह कानून जयपुर में भी था। फिर जयपुर हाईकोर्ट ने इसको अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया। अब नम्बरदारी के रूल्स अलग बन गये हैं तो जो सैस पहले वसूल होता था उसको बन्द कर दिया है। आजकल तो सैस वसूल करने का कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरजमल।

संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर

५७१. श्री सूरजमल (फलोदी सु०) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.11

(श्री सूरजमल)

(१) जोधपुर में तारीख २६ जनवरी १६५८ को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में भाग लेने के लिए किस किस जगह के कुल कितने कलाकार आये और टी० ए० के कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

(२) इस अकादमी में भाग लेने के लिए किस किस जगह से कितने मंत्री व राज्य अधिकारी व कर्मचारी आये और उनका कितना कितना टी० ए० और डी० ए० बना ?

(३) क्या यह सही है कि इतना भारी खर्चा होते हुए भी उस हाल में लाउडस्पीकर की खराबी से किसी को नाच के सिवाय कुछ भी सुनने में नहीं आया ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास मुख्य मंत्री की ओर से): दिनांक २६–१–५८ को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर में हुए उत्सव में भाग लेने के लिए निम्नलिखित कलाकार आये थे :

(१) दिल्ली से स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद जी नृत्याचार्य, जयपुर घराना : अपनी पार्टी के साथ बुलाये गये जिन्हें कॉन्ट्रेक्ट के नियमानुसार केवल ६५० रुपये दिये गये।

२. महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल, जयपुर से छात्राओं की एक पार्टी शाला की मुख्याध्यापिका के साथ बुलाई गई, जिनके खर्चे के ४०० रु० दिए गए।

३. मारवाड़ जक्शन से रेडियो पर गाने वाले श्री नूर मोहम्मद लंगा को मय पार्टी के बुलाया गया जिन्हें कॉन्ट्रेक्ट पर ५० रु० दिए गए।

४. जन सम्पर्क कार्यालय के एक कर्मचारी श्री गणेशीलाल उस्ताद ने भाग लिया।

५. श्री गणेशीलाल उस्ताद के साथ २ कलाकार जयपुर से, १ भीनमाल से व एक अजमेर से आये जिन्हें केवल दूसरे दर्जे का रेल किराया दिया गया।

(२) मुख्य अतिथि के रूप में डॉ० बी० वी० केसकर मंत्री, भारत सरकार, सूचना एवं प्रसार विभाग को बुलाया गया राजस्थान के मुख्य मंत्री तथा सचिवालय के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अधिकारी ने भाग लिया जिनका भत्ता अकादमी से नहीं लिया गया।

(३) जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : मैनेजिंग कमेटी के अन्दर अकादमी के कितने सदस्य हाजिर थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास :इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं है। इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें तो जानकारी दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

गांव मिठड़िया, तहसील लूणकरणसर में पंजाबियों को भूमि का अलॉटमेंट

५७२. श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५८ में गांव मिठड़िया, तहसील लूणकरणसर, ज़िला बीकानेर में कितनी कितनी भूमि किस अधिकारी द्वारा पंजाबियों को अलॉट की गई ?

(श्री लच्छूराम)

(२) क्या उक्त अलॉटमेंट का अधिकार उपरोक्त अधिकारी को था ? अगर नहीं, तो उस अलॉटमेंट को कैन्सिल करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त अलॉटमेंट छिपे तौर पर किया गया था, तथा वहां के निवासियों एवं ग्राम पंचायत को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) ७६८० बीघा भूमि ६४ पंजाबी सिक्खों को श्री मूलसिंह, नायब तहसीलदार, द्वारा जब कि तहसीलदार दौरे में था, अलॉट की गई थी।

(२) उपरोक्त अधिकारी को अलॉटमेंट करने का अधिकार नहीं था। अतएव सब-डिविज़नल ऑफिसर, बीकानेर द्वारा उक्त अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया था, परन्तु प्रार्थियों द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, बीकानेर के समक्ष अपील करने पर सब-डिविज़नल अधिकारी का उक्त आदेश सेट असाइड कर दिया गया। अब मामला सरकार के विचाराधीन है।

(३) यह विषय सरकार के विचाराधीन है। अगर कोई अनियमिततायें हुई हैं, उन सब पर ही विचार होगा।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि इस मामले में अनियमिततायें हुई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए ही श्री मूलसिंह के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि एस० डी० ओ० के खिलाफ कलेक्टर को सुनने के अधिकार नहीं थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानूनन बात है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने कहा कि अलॉटमेन्ट भी कैन्सिल कर दिये और एक्शन लेने के लिए भी ऑर्डर्स दे दिये तो फिर विचाराधीन क्या रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि जहां तक अलॉटमेन्ट का सवाल है उसके हक नायब तहसीलदार को नहीं थे और उसने अपने अधिकारों के बाहर जाकर काम किया। इसलिए उसके खिलाफ डिसीप्लीनेरी एक्शन ले लिया गया। अलॉटमेन्ट के मेन प्रिन्सिपल्स हैं उनको देखते हुए एस० डी० ओ० ने कैन्सिल कर दिये वह सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को तो मोटे मोटे कानून टिप्स पर याद रहने चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, हां याद हैं लेकिन मेरे लिए हर कानून की अलग अलग दफाओं के बारे में बता सकना मुश्किल है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर किताबें पढ़ें।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि यह अलॉटमेन्ट की जो जमीन है यह गोचर जमीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गोचर जमीन है या नहीं इसकी जानकारी तो पास नहीं है। पर हां, अलॉटमेन्ट रेग्युलर था।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार ने एडीशनल कमिश्नर का फैसला देखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार जब मामले पर विचार करेगी तो उसको भी देखेगी लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि यहां फैसला कोई बनाया जाये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सरकार रेवेन्यू बोर्ड में एडीशनल कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील प्रस्तुत करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आवश्यकता हुई तो।

श्री भीमसेन : अगर मियाद निकल गई तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मियाद नहीं निकलने देंगे।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, यह गोचर जमीन है और इसके लिए बालां बालां ही कार्यवाही की गई है और अलॉटमेन्ट किया गया है और सदन के सामने यह कह कर कि यह विचाराधीन है नायब तहसीलदार का पोषण किया जा रहा है और उसकी कार्यवाही को दबाया जा रहा है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर में टैक्निकल विभाग का भवन

५७३. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नका उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में टेक्नीकल विभाग का भवन तैयार हो गया है या नहीं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त विभाग के कमरों की फर्श अभी तक नहीं बनी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि टैक्निकल विभाग में जो मशीनें विद्युत द्वारा चलने वाली आई हैं, वे बंद पड़ी हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) पूर्णतया तैयार हो गया है।

(२) जी नहीं। प्रेक्टिकल वर्कशाप के लिए ३ हाल हैं जिनमें १ हाल में शुरू से ही पक्के फर्श हैं और २ हालों में मशीनें लगाने के लिए फर्श कच्ची रखी गई थी जिनमें से १ हाल की फर्श को पक्का करने के लिए काम चालू है और एक सप्ताह में तैयार होने की संभावना है।

(३) जी हां। इस विभाग में बिजली का फिटिंग मार्च, अप्रेल, १६५८ में हो गया था। किन्तु बिजली घर से कनेक्शन नहीं मिल सका। अब यह कार्य चालू हो गया है और एक सप्ताह के भीतर करेन्ट मिलने की सम्भावना है। करेन्ट मिलते ही टैक्निकल विभाग का कार्य पूर्ण रूप से चालू हो जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह : विलम्ब होने से विद्यार्थियों का जो समय बरबाद हुआ उसके बारे में कुछ नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विलम्ब हुआ और विद्यार्थियों का समय जरूर बरबाद हुआ, लेकिन जब काबू में नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। पॉवर का सवाल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

था। जब पॉवर अवेलेबल नहीं था। अब पॉवर उसके लिए अवेलेबल कर रहे हैं।

चूरू ज़िले की राजगढ़ तहसील की सड़कों में आई किसानों की भूमि का मुआवज़ा

५७४. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चूरू ज़िले की राजगढ़ तहसील में राजगढ़-सांखू, राजगढ़-मडेला, राजगढ़-पिलानी व राजगढ़ तारानगर सड़कें, जिन किसानों के खेत में से गुजरती हैं, उनको क्या ज़मीन का मुआवज़ा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस दर से ?

(२) यदि नहीं, तो उक्त मुआवज़ा कब तक दे दिया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं।

(२) मुआवज़ा न तो दिया गया और न दिया जावेगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : इसके बारे में सरकार की क्या नीति है कि ज़मीन काश्तकार से ली जाती है तथा उसके बाद में कितने दिनों में मुआवजे के रूप में दूसरी जमीन वापिस दे दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की नीति यही है कि जिसकी ज़मीन ली जाती है तो ज़मीन की एवज़ में ज़मीन दे दी जाती है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ज़मीन दी जा सकती है।

महिला सदन, धौलपुर

५७५. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या धौलपुर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कोई महिला सदन भी है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(२) क्या उक्त महिला सदन की कोई सलाहकार समिति भी नियुक्त है ? यदि हां, तो सदस्यों की सूची उनकी सामाजिक सेवाओं के विवरण सहित सदन में प्रस्तुत करें।

(३) उक्त सलाहकार समिति की बैठक कब कब कहां कहां हुई, और उसने क्या क्या सुझाव दिये ?

(४) उक्त सदन का वार्षिक व्यय स्वीकृति शुदा कितना है ?

उपमंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां, यह राजघर की हवेली पुलिस लाइन के पास स्थित है।

(२) जी हां। सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई।

(३) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(४) सदन का स्वीकृत वार्षिक व्यय २२,३००) रू० है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : इस सूची में कुछ कसर है। मैंने यह पूछा था, "कि सदस्यों की

(डॉ० बहादुरसिंह)

सूची उनकी सामाजिक सेवाओं के विवरण सहित सदन में प्रस्तुत करें।" उनकी क्या क्या सामाजिक सेवाएं हैं यह उक्त सूची में नहीं आई हैं।

श्री भीखाभाई : दरअसल में नियुक्तियां जो होती है वह समाज कल्याण बोर्ड की सलाह से होती हैं अतएव उनका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। समाज कल्याण बोर्ड दरअसल में जो व्यक्ति समाज सेवा में रुचि रखते हैं, और समाज का कार्य करते हैं ऐसे लोगों के लिए ही सलाह देता है और तब वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सदस्य १, २, ३, ४, ५ की कुछ समाज सेवाएं धौलपुर में हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास जो इत्तला है उसके अनुसार कुछ अधिकारी भी उसमें हैं। एक तो सब-डिविज़नल ऑफिसर, धौलपुर, दूसरा सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग भरतपुर, श्री सहायक अधीक्षक और रक्षक विभाग यानी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस। (चार महिलाएं उसमें हैं और दूसरे कार्यकर्ता हैं।)

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न तो यह है कि सरकारी अधिकारियों की समाज सेवा का तो आप जाने, लेकिन कई व्यक्ति हैं जैसे श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती गंगादेवी, श्री जमुनाप्रसाद, इनकी क्या समाज सेवाएं हैं ?

श्री भीखाभाई : यह तो आपकी राय है। बाकी बोर्ड की राय के अनुसार यह नियुक्तियां की गई हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने समाज सेवाओं के बारे में विवरण पूछा था कि उनकी समाज सेवाएं क्या हैं ? मैं नहीं जानता हूँ तो कम से कम मैं तो जान जाऊंगा।

श्री भीखाभाई : हर व्यक्ति की समाज सेवाओं की जांच का कोई मापदण्ड नहीं है। वह बताता है तो भी हम सही तौर पर नहीं जान सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि समाज कल्याण विभाग में समाज सेवाओं की ज्यादा गुन्जायश नहीं होती है। वैसे ही लोग भरती कर लिये जाते हैं।

श्री भीखाभाई : वैसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जिस समय समिति बनाई गई उस समय यह आवश्यक नहीं था कि जिनकी नामज़दगी की जा रही है उनकी समाज सेवाएं कितनी हैं इस बात की जांच की जाय।

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है, मगर मेरा जहां तक ख्याल है ऐसा कोई नियम नहीं है सरकार के पास। जो भी सलाह देता है समाज कल्याण बोर्ड को उनकी नियुक्ति कर दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : समाज कल्याण विभाग में सरकार ने कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया हुआ है कि जिसके आधार पर सरकार उन्हीं सम्बन्धित नामों की सिफारिश करें जो कि समाज सेवा में रत हों।

श्री भीखाभाई : आम तौर पर जो समाज के कार्यों में रुचि रखते हैं उनका नाम तो होता है। समाज कल्याण बोर्ड ने जो सलाह दी थी उसको मान कर ये नियुक्तियां की गई हैं। उसके अनुसार यह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के समाज कल्याण विभाग में ऐसे प्रिन्सिपल दिये हुये हैं इस बात के कि जिसके अनुसार या आधार पर यह आंका जा सके कि ये आदमी समाज सेवा करने वाले हैं।

श्री भीखाभाई : मेरे कहने का मतलब यह है कि दरअसल में समाज कल्याण विभाग और सरकार में मैं भिन्नता नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण बोर्ड अलग है। वह जिस प्रकार की सलाह देता है कि इन इन आदमियों को नियुक्त किया जाय, इन इन महिलाओं को नियुक्त किया जाय, तो चूंकि आम तौर से यह मानते हैं कि जो समाज सेवा के अन्दर रुचि रखते हैं, उनकी ही वह सिफारिश करेंगे, तो उसके अनुसार नियुक्ति की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि समिति में महिलाएं नहीं आ सकती हैं ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या समाज कल्याण विभाग में सब ऐसे लोग हैं कि जिनका कि समाज सेवा का कोई मेरिट नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री महादेवप्रसाद बंका।

सैटिलमेंट विभाग के अमीन

५७६. महादेवप्रसाद बंका (केकड़ी-सु.—श्री लल्लूराम टटवाड़िया द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सैटिलमेंट विभाग में कितने अमीन हैं और इनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं।

(ख) क्या यह सही है कि कुछ अमीनों को कमी में लाया जा रहा है ?

(ग) यदि हां, तो कितनों की कमी की जा रही है, और क्यों ?

(घ) क्या अनुसूचित जाति के अमीनों की कमी की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) कुल १५१३ अमीन हैं। जिनमें १४ अनुसूचित जातियों के हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इस वर्ष कुल ६० कम किये जा रहे हैं क्योंकि खर्च में कमी करनी है ?

(घ) जी नहीं।

प्रश्न सं० ५७७

श्री अध्यक्ष : श्री गज्जा पटेल।

(अनुपस्थित)

ग्राम कलाऊ तहसील शेरगढ़ में अग्निकाण्ड

५७८. श्री सूरजमल (फलौदी सू०) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री सूरजमल)

(क) क्या सरकार को विदित है कि शेरगढ़ तहसील का ग्राम कलाऊ में कुछ समय पहले किन्हीं राजपूतों की ढ़ाणी जली ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस ढ़ाणी के जलते समय उसमें जन, पशुधन आदि की अधिक हानि हुई ? विवरण सहित नाम की तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या इस ढ़ाणी के जलने के पश्चात् सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से उसकी जांच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को और नहीं तो क्यों नहीं ?

(घ) उक्त ढ़ाणी किसकी थी और सरकार ने उसको किस तरह की सहायता दी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) कलाऊ गांव में ८-३-५८ को अचानक आग लग जाने से राजपूतों की ढ़ाणियां जल गई थी।

(ख) ढाणी के जलने से जन व पशु धन को कतई हानि नहीं हुई। करीब ३०० रू०के मुल्य का सामान व नकदी नोट जल गये जिसका विवरण, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) राजस्व निरीक्षक ने इस ढ़ाणी के जलने की जांच दिनांक १६-३-५८ को की।

(घ) उक्त ढ़ाणी श्री आनन्दसिंह पुत्र लालसिंह की थी जिसको सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये।)

श्री सूरजमल : ढाणी जलने की तारीख दुबारा बतला दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज़ किया कि ८-३-५८।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): उसकी कार्यवाही की जारही है, इसका क्या मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने के बाद कितना रुपया दिया जायगा यह ऑर्डर हुआ है। लास्ट फाइनेन्शल ईयर में रुपया रहा नहीं था, इसलिए नहीं दिया जा सका। पहले जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी वह बराबर फार्म में नहीं आई थी, उसको लेकर कार्यवाही की जा रही है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि दो फाइनेन्शल ईयर हो गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ८-३-५८ को अर्ज़ किया है। आपने ५६ समझ लिया है।

श्री चन्दनमल वैद : ५६ नहीं समझा है, लेकिन २ साल बीत गये हैं, इसपर आप ध्यान दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि गये साल इसलिए नहीं दिया जा सका कि बराबर फार्म पर एप्लीकेशन नहीं थी। उनसे एप्लीकेशन लेकर कितना नुकसान हुआ है और कितना दिया जाना चाहिए। उसकी अब कार्यवाही की जा रही है। उसके आदेश दे दिये गये हैं। उसकी फौरन कार्यवाही करके पेमेन्ट किया जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) :-क्या सरकार के पास इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं है कि इस प्रकार के संतप्त परिवारों को तुरन्त प्रोविज़नल सहायता दी जाय, जब तक कि आप उनका फाइनली तय नहीं करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके नियम बने हुए हैं जिसके मातहत उन परिवारों को सहायता दी जाती है जिनको कि इसकी आवश्यकता होती है। हर एक परसन को देना मुमकिन नहीं है और उसके लिए बजट का प्रोविज़न है।

श्री भैरोंसिंह : १६-३-५८ को जांच हुई तो क्या आयोग ने सिफारिश की कि इनको तुरन्त सहायता दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो आयोग की बात नहीं कही। मैंने तो लैण्ड रिकॉर्डस का जो इन्स्पेक्टर है उसका हिन्दी नाम था राजस्व निरीक्षक वह कहा है आपने समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : लैण्ड रेकॉर्डर्स इन्स्पेक्टर ने क्या इस बात की सिफारिश की है कि उनको इस प्रकार से सहायता तुरन्त दी जाय।

श्रीदामोदरलाल व्यास : लैण्ड रेकॉर्डस इन्स्पेक्टर ने जांच की है कि कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार आग लगी, आदि की फेक्चुअल रिपोर्ट दी है। सहायता के लिए एक फार्म प्रेस्काइब्ड है उसमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह : प्रेस्क्राइब्ड फार्म में एप्लीकेशन कब आगई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य से अर्ज़ करूंगा कि आर्डस जारी दिये गये हैं उनको दे देने के बारे में।

श्री भैरोंसिंह : कब हुए हैं ऑर्डर्स।

श्री दलपतसिंह (आबू) : १६-३-५८ को जांच हो गई है लेकिन सहायता के रूप में उनको क्या मिला है ? उनको कुछ राशि मिली है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर मिला है।

(हंसी)

श्री नाथूलाल।

श्री अनोपसिंह (बालोत्तरा) : क्या सरकार ऐसे मामले में कोई इमरजेन्सी प्रोविज़न रखने की ज़रुरत नहीं समझती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सारा फण्ड ही इमरजेन्सी का है।

श्री सूरजमल : कोई दख्वास्त देता है लेकिन बेचारे गरीब की झोपड़ी जलने के बारे में कोई ध्यान नहीं देती है। ढाणी के जलने की दख्वास्त के बारे में झूठा उत्तर दिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, I take object to this.

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए। आप कह सकते हैं कि यह सत्य नहीं हैं।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि बजट में प्रोविज़न ५७–५८ में नहीं था या ५८–५६ में नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोविज़न हर साल के बजट में होता है। मैंने अर्ज किया कि सेविंग नहीं था।

श्री चन्दनमल वैद : कौन से बजट में प्रोविज़न नहीं था ? ५७–५८ में या ५८–५६ में, अभी माननीय मंत्रीजी ने जो तारीख दी है उसी साल की बात कहना चाहते हैं, यानी ५८–५६ में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बजट है। देने के लिए ऑर्डर दे दिये गये हैं। जांच होने में और एप्लीकेशन आने में देर लगी। माननीय सदस्यों को महसूस करना चाहिए कि इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर एप्लीकेशन देना पड़ती है। उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि इतना नुकसान हुआ है, और इतना रुपया दिया जाय। उसकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं आती है तो सरकार के लिए यह मुमकिन नहीं है कि कितना रुपया दें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी तरफ से दर्ख्वास्त देने में देरी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दर्ख्वास्त आ गई थी और उस पर कार्यवाही हो गई है।

श्री दलपतसिंह : क्या जिस किसी की ढांणी में आग लग गई उसको दर्ख्वास्त देने में देरी लग गई तो, इट इज़ नोट रेस्पोन्सिबिलिटी ऑफ....सरकार को चाहिये कि उसको सहायता दी जाय ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर्स के पास भी तो इसके लिये कुछ फंड रहता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There are rules printed for the purpose and the Hon. Members can refer to this.

श्री चन्दनमल वैद : क्या मंत्री जी विश्वास दिला सकते हैं कि यह आर्थिक साल समाप्त होने से पहले उनको सहायता मिल जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आदेश जारी कर दिया गया है, नियमानुसार मिलना चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : क्या यह माना जाय कि यह साल समाप्त हो रहा है, इसमें सहायता नहीं मिलेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फौरन तामील करने के लिये ऑर्डर दे दिया जायगा।

श्री चन्दनमल वैद : धन्यवाद।

विकास खंड बस्सी में बांध, तालाब इत्यादि का निर्माण

५७६. श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु.): क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) विकास खंड बस्सी जिला जयपुर में कहां कहां बांध व तालाब व पानी पीने की बेरियां व कुंए बनवाये गये हैं ? इनमें से कितने तैयार हो गये और कितने अधुरे पड़े हुए हैं ? विकास अधिकारी द्वारा इनके लिये कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई थी ? और वह कौन कौन से साल व महीने में दी

Page No.20

(श्री नाथूलाल करोल)

गई ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम बिसनपुरा, बसेड़ी में जिस बांध या तालाब के बनवाने की स्वीकृति दी गई थी जो आज तक भी तैयार नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त बांध के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई और वह किसे दी गई थी ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम कानेटा तहत पंचायत ग्राम बड़वा द्वारा एक कुंए की मन्जूरी दी गई थी और वह अभी तक भी तैयार नहीं हुआ है ?

(५) यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य के निमित्त रकम किसको दी गई थी और वह खर्च भी हुई या नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास विकास मंत्री की ओर से) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। जन सहयोग न मिलने के कारण ।

(३) ७०० रु० श्री भगवाना पटेल, शिवसिंहपुरा वाले को दिये गये थे।

(४) जी हां। कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केवल ढ़ाने का प्लास्टर व फर्श बाकी रहा है जो कि शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

(५) यह रकम सरपंच को दी गई थी और जैसा अभी बताया गया कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री नाथूलाल करोल : नं० (२) में बताया गया है वह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि जन सहयोग नहीं मिला वहां से।

प्रश्न संख्या ४८०

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

ग्राम बिठ्ड़ा के पटवारी के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

४८१. श्री मोतीबाबा (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बाली तहसील के ग्राम बिठ्ड़ा के पटवारी के विरुद्ध रिश्वत की शिकायतें तहसील व ग्राम पंचायत चाणोद में की गई ?

(ख) यदि हां,तो उक्त पटवारी के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां।

(ख) पटवारी का स्थानान्तर कर दिया गया है, एस. डी. ओ. बाली से शिकायतों की जांच करने को कहा गया है। आगे कार्यवाही जांच के परिणाम के जानने के बाद नियमानुसार की जा सकेगी।

श्री सूरजमल (फलोदी) : शिकायत कब की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है कि कब की गई, लेकिन शिकायत आने पर पटवारी को वहां से हटाकर एस. डी. ओ. को जांच करने के लिये कह दिया गया ।

श्री सूरजमल : जांच कब जारी हुई, ६ महीने बीत गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : समय तो लगता है । शहादतें वगैरा मुहैया करनी पड़ती हैं, इन्क्वायरी करनी पड़ेगी, इसमें समय तो लगेगा । इससे पहले पटवारी को हटा दिया गया है, ताकि वह इन्फ्ल्युएन्स नहीं कर पावे ।

श्री सूरजमल : शिकायत आने के बाद इमीजियेट कार्यवाही होनी चाहिये थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत आने के बाद ही कार्यवाही शुरू की गई ।

श्री सूरजमल : ६ महीने बीत गये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इन्क्वायरी का ऑर्डर कब दिया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है ।

समाज कल्याण बोर्डों की स्थापना

५८२. श्री रामचन्द्र (डग — श्री लादूराम सुलानिया द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सब ज़िलों में समाज कल्याण बोर्ड कायम किये गये हैं ?

(२) बोर्ड के क्या उद्देश्य हैं और सदस्यों के क्या कर्त्तव्य हैं ?

(३) बोर्ड की साल में कम से कम कितनी बैठकें होती हैं और क्या इन बैठकों की कार्यवाही सरकार तक भेजी जाती है ?

(४) ज़िला झालावाड़ में इस बोर्ड की स्थापना कब की गई और पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष कितनी कितनी बैठकें हुईं ?

उप मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) समाज कल्याण कार्यों का मूल्यांकन करने और उस सम्बन्ध में सरकार को सुझाव देने व छूआछूत मिटाने के उद्देश्य से इन बोर्डों का गठन किया गया था । सदस्यों के कर्त्तव्य की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(३) बोर्ड की बैठक साल में तीन बार होती है और बैठकों की कार्यवाही सरकार को भिजवाने का नियम नहीं है ।

(४) ज़िला झालावाड़ में बोर्ड की स्थापना २६ जुलाई, १९५५ को हुई । बोर्ड की स्थापना के बाद अब तक दो बैठकें हुई हैं ।

(५) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : उप मंत्री महोदय ने यह बताया कि बोर्ड की

(श्री धन्नालाल हरित)

मीटिंग साल में २,३ बार होती है लेकिन झालावाड़ ज़िले में तो ३ साल में दो मीटिंगें हुई हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : जहां पर सदस्य सक्रिय हैं वहां पर तो साल में दो या उससे भी अधिक मीटिंग हुई हैं । उदयपुर में ६,७ हुई हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या ज़िले में समाज कल्याण बोर्ड बनाते हैं उसमें ज़िले के लोगों को ही लेते हैं या बाहर के लोगों को भी लेते हैं ?

श्री भीखाभाई : ज़िले के लोगों को ही लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीकर ज़िले में बाहर के लोगों को भी बोर्ड में लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी नहीं है कि बाहर के लोगों को भी बोर्ड में लिया गया हो । दरअसल में उस ज़िले के जो शिड्यूल कास्ट के एम. एल. एज़. हैं उनको शामिल किया जाता है ।

श्री भीखाभाई : क्या यह सही है कि सीकर ज़िले में समाज कल्याण बोर्ड नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपही ने तो अभी कहा था कि बोर्ड में बाहर के लोगों को लिया गया है, अन्दाज़ से ही प्रश्न पूछते हैं क्यों ?

श्री भीखाभाई : यह बताइये कि सीकर ज़िले में समाज कल्याण बोर्ड है या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : यदि नहीं है तो अब बन सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने यह कहा कि सब ज़िलों में समाज कल्याण बोर्ड है तो क्या सब ज़िलों में सीकर ज़िला शामिल नहीं है ?

श्री भीखाभाई : मैंने यह अब कहा कि सब जिलों में बोर्ड हैं । मैंने तो यह कहा कि छूआछूत मिटाने के उद्देश्य से इन बोर्डों का गठन किया गया था ।

चर्मालय व चर्मोद्योग केन्द्र

५८३. श्रीमती आनन्दीदेवी जेलिया (बारां—सु.) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार चर्मोद्योग के अन्तर्गत चर्मालय व चर्मोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है ?

(२) यदि हां, तो उक्त चर्मालय व प्रशिक्षण केन्द्र किन किन स्थानों पर चल रहे हैं ?

(३) क्या सरकार इन चर्मालय व प्रशिक्षण केन्द्रों को छोटे ग्रामोद्योग की श्रेणी में मानती है ?

(४) यदि हां, तो क्या उक्त चर्मालयों व प्रशिक्षण केन्द्रों को, कार्य व्यवस्था की दृष्टि से सरकार राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को सौंपने का विचार रखती है ?

उप मंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखब-चन्द धारीवाल) : उद्योग विभाग द्वारा चमड़े की रंगाई और चर्म उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं ।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) चमड़ा रंगाई केन्द्र कुन्दनपुरा व बस्सी जिला जयपुर में, हिन्डौन, राजसमन्द, डूंगरपुर, सुमेरपुर में चल रहे हैं व चर्मोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र सीकर, सारना, डूंगर, भीनमाल, कोटा, खैरितल, अजमेर, नसीराबाद व पीसांगन में चल रहे हैं।

(३) जी नहीं। इन्हें ग्रामोद्योग की श्रेणी में शुमार नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रामोद्योग बोर्ड के सुपुर्द करने का सवाल पैदा नहीं होता।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इनको ग्रामोद्योग में किस आधार पर नहीं माना जाता है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : इनका ताल्लुक ग्रामोद्योग बोर्ड से नहीं है और जिन सेन्टर्स पर यह चलाया जाता है वहां पर उनको ठीक प्रकार से रंगाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है इसलिये ग्रामोद्योग बोर्ड से इनका ताल्लुक नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : चर्म उद्योग को ग्रामोद्योग में क्यों नहीं माना जाता ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : चर्म उद्योग भी ग्रामोद्योग माना जाता है। लेकिन चमड़े की रंगाई आदि के प्रशिक्षण का काम उद्योग विभाग ने शुरू किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : जब चर्म उद्योग को ग्रामोद्योग मानते हैं तो यह काम ग्रामोद्योग बोर्ड को क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ट्रेनिंग दी जाने के लिये, रंगाई आदि का काम ठीक तरह से हो, अच्छा हो, इसलिए यह पर्टिकुलर काम इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के आधीन रखा है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ग्रामोद्योग बोर्ड ठीक तरह इसका संचालन नहीं कर सकता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे भी करते हैं। इसको स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के अंडर में रखा गया है, लेदर ट्रेनिंग वगैरह का प्रशिक्षण शुरू किया गया है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या ग्रामोद्योग इन्ट्रेस्टेड पार्टीज़ के हाथ में है और इन्ट्रेस्टेड जगहों पर काम कर रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा कोई केस बतावें जिसमें लोगों का हाथ रहा हो तो यह कहा जा सकता है कि वास्तव में क्या बात है ?

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा सवाल यह नहीं था। सवाल यह था कि क्या इन्ट्रेस्टेड व्यक्तियों के लिये बनाई गई है और इन्ट्रेस्टेड सेन्टर्स पर काम करते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी बात नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर): भाग (३) के प्रश्न का यह है कि "क्या सरकार इन चर्मालय व प्रशिक्षण केन्द्रों को छोटे ग्रामोद्योग की श्रेणी में मानती है ?" इसका उत्तर मंत्रीजी ने 'नहीं' में दिया। लेकिन उसके बाद मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं वह पहली बात से कॉन्फ्लिक्टिंग है!

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपको कन्फ्युज़न हुआ मालूम होता है। उत्तर साफ है। जो सेन्टर्स इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तहत में हैं वे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ की तहत रहते हैं, और जो लैदर का काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा या और बहुत से गांवों में हो रहा है वह ग्रामोद्योग की तारीख में आता है। उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाय, ड्राइंग की व्यवस्था की जाय इसके लिये ऐसे सेन्टर्स मुकर्रर किये गये जिसका प्रावधान इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने किया है और उसका ताल्लुक है। ग्रामोद्योग बोर्ड भी उनको सहायता देते हैं और हमने भी चर्म उद्योग को बहुत सा लोन दिया है और बहुतों को सहायता देते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक चर्म उद्योग का सवाल है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से लोन नहीं मिल सकता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लोन नहीं देता है, तो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट लोन देता है।

डॉ० चंद्रकला : इस प्रश्न के भाग तीन का उत्तर किस आधार पर दिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन चर्मालय व प्रशिक्षण केन्द्रों को छोटे ग्रामोद्योग की श्रेणी में मानती है ? केन्द्रों को कैसे ग्रामोद्योग की श्रेणी में मान सकती है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : चर्मालय।

श्री अध्यक्ष : चर्मालय भी कैसे ग्रामोद्योग हो सकते हैं।

(हंसी)

श्री पी. के. चौधरी : It means unless they are affiliated with the Gramodyoga, they don't recognise the industries Board. Any Cottage industry, if it is done with it must be there where there are......

श्री रिखबचंद धारीवाल : The Hon'ble Member probably don't know. There are no hard and fast rules in this connection. There is no definition that this is a cottage industry and this is a village industry. A particular cottage industry may be......

श्री पी. के. चौधरी : What is the difference between a cottage industry and a small scale industry ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Listen to me first. S. C. industry can be a village industry,that is no where provided. There is no such definition...

श्री पी. के. चौधरी : The Hon'ble member is making a broad statement. What is the difference between a small scale industry and a village Industy, smale scall industries are quite different from village industries.

श्री जनार्दनराय नागर : यह बात स्पष्ट कर दी है, अध्यक्ष महोदय, कि कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं। इसके मायने हैं कि स्वीट विल है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब है, आप लोन ले सकते हैं।

(हंसी)

श्री जनार्दन राय नागर : चर्म उद्योग के बारे में प्रयत्न करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोई क्राइटेरिया हो, कोई नियम हो, तो समझ बात में आ सकती है। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं। हमारी कन्टेन्सन सार है it is on the sweet will and...

श्री शिखर चन्द धारीवाल : There is nothing like that. मैंने निवेदन किया जहां तक आपका सवाल था, इसमें केन्द्रों का सवाल आया कि इन केन्द्रों को ग्रामोद्योग माना जाता है या नहीं। मैंने निवेदन किया कि नहीं। अभी जैसा कि मिस्टर पी. के. चौधरी ने फर्माया कि स्माल स्केल एन्डस्ट्रीज़, विलेज इन्डस्ट्री और कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ में क्यों फर्क है। मैंने निवेदन किया कि जितने केन्द्र हैं वे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के अधीन रख कर पर्टिक्यूलर ट्रेनिंग के लिए रख दिये गये हैं, उसके लिए प्रावधान है। जहां तक काटेज इन्डस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, लेदर सेन्टर्स बड़े भी हो सकते हैं जिनको स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में ले सकते हैं। जो छोटे छोटे चर्म उद्योग गांवों में होते हैं, वे ग्रामोद्योग में आ सकते हैं। यह इस पर डिपेन्ड करता है कि किस जगह की क्या स्थिति है, जो आदमी काम करते हैं, वे वहां की पर्टिक्यूलर नीड को फुलफिल करते हैं या नहीं। ऐसे उद्योग ग्रामोद्योग भी हो सकते हैं, स्माल स्केल इन्डस्ट्री भी हो सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मंत्री महोदय, आप एक चर्म उद्योग शुरू करके बता दें, आप देखें कि कितने दिनों में लोन दिया जाता है। आप हमारी तकलीफें महसूस कम करते हैं, इसलिए एक केन्द्र में काम करके दिखादें।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : आप इसका अनुभव कर चुके हैं।

प्रश्न संख्या ५८५

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल

५८५. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा-श्री दलपतसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में स्पोर्ट्स कौंसिल की स्थापना कब हुई ?

(२) इसे कितनी सरकारी सहायता अब तक आर्थिक रूप में दी गई ?

(३) आरम्भ होने से अब तक खेल-कूद सम्बन्धी कार्यों के विकास के लिये इसकी क्या गतिविधियां रही हैं ?

(४) इसके सदस्य व पदाधिकारी कौन हैं उनको मनोनीत किस आधार पर किया जाता है ? कृपया इसके पदाधिकारियों व सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज़ पर रखें।

Page No.26

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) २१ फरवरी, १६५७ को।

(२) सन् १६५७–५८में २०,००० रु०।

सन् १६५८–५६ में ५०,००० रु०।

(३) (क) राजस्थान के भिन्न भिन्न खेलकूद एसोसिएशन्स को आर्थिक सहायता देना।

(ख) राजस्थान में खेलकूद करने वाले खिलाड़ियों को हर प्रकार से उत्साहित करना।

(ग) खिलाड़ियों में अनुशासन व चरित्र निर्माण करना।

(घ) समय समय पर प्रतियोगिताएं करवाना तथा उनको उत्साहित करना।

(ड.) राजस्थान में अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण करना इत्यादि।

(४) मनोनीत सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। सरकार यह आधार मान कर मनोनीत करती है कि वे उस संस्था की हर पहलू में मदद करेंगे। वे मनोनीत सदस्य उस संस्था की गति विधियों के बारे में पूर्ण परिचित होते हैं और उस कार्य की उन्नति में रुचि रखते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री दलपत सिंह : जो स्पोर्ट्स के लिए इन्स्पेक्टर हैं, वे फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं? और क्या फुटबाल, हॉकी की स्पेशल टीमें रखी गई हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not followed the Hon. members' question.

श्री दलपत सिंह : मैं पूछ रहा था कि क्या क्रिकेट आदि की स्पेशल टीमें बना रखी हैं, जिनके लिए पैसा दिया जाता है, या इन्स्पेक्टर वगैरह वगैरह के लिये देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले अर्ज कर दिया कि जिन कामों के लिए स्पोर्ट्स कौंसिल को पैसा दिया जाता है। इसके अन्दर चार–पांच बातें हैं। क्रिकेट आदि की टीमें बनाने का सवाल नहीं है। इसमें हैं राजस्थान के भिन्न भिन्न खेलकूद एसोसियेशन्स को आर्थिक सहायता देना, राजस्थान में खेलकूद करने वाले खिलाड़ियों को हर प्रकार से उत्साहित करना, खिलाड़ियों में अनुशासन व चरित्र निर्माण करना। समय समय पर प्रतियोगिताएं करवाना तथा उनको उत्साहित करना, राजस्थान में अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण करना। ये काम हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सदन की मेज़ पर जो सूची रखी है....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Are some teams also organised by this Council?

श्री भैरोंसिंह : सदन की मेज़ पर जो सूची रखी है, उसमें कौन कौन सदस्य हैं। थोड़े नाम हों तो नाम बता दिये जांय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहते हैं तो सुन लीजिये, मुझे एतराज नहीं हैं।

The Deputy Minister Education is the President and Shri V. N. Kak is the Vice President. (Laughter-Pause) Now I think you are satisfied.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा): सदस्यों को किस आधार पर मनोनीत किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated it in my reply.

श्री दलपत सिंह : No. sir, क्या इस लिस्ट के अन्दर कोई आदमी है, जो बेस्ट प्लेअर हो गेम्स के अन्दर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो इसमें रुचि रखते हैं, उनको सदस्य मनोनीत करते हैं हर संस्था के हर पहलू को देख कर।

श्री भैरोंसिह : आॅल राउन्ड प्लेअर हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : The best players are buttering.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, आंख मिचौनी खेलने वालों को मदद करते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवरधनसिंह केन।

जिलाधीश भरतपुर के निवास स्थान के चारों ओर की भूमि पर काश्त

५८६. श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना सु.) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िलाधीश भरतपुर के निवास स्थान के चारों ओर ३ फर्लांग तक किन किन काश्तकारों की काश्त है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उन काश्तकारों के पास और भूमि है ?

(३) इस क्षेत्र में कब से कृषि होनी प्रारम्भ हुई है ! कृषि प्रारम्भ होने से पूर्व यह भूमि किस प्रयोग में आती थी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) उनमें से कुछ के पास और भी भूमि है जिसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं।

(३) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह सूई रखी है या सूची रखी है। सूची के मायने सूई के होते हैं,और एक का लिस्ट से मतलब होता है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

डीग के भवनों की देखभाल तथा मरम्मत

५८७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डीग के भवनों की देखभाल तथा मरम्मत आदि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत है, अथवा राज्य सरकार के ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त ऐतिहासिक भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं ?

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(३) यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में कब कब और क्या जानकारी प्राप्त की है ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या सरकार स्वयं उक्त भवनों की सुरक्षा का उतना ही ध्यान रखेगी जितना कि अन्य ऐतिहासिक महत्व व दर्शनीय स्थानों का रखा जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की ओर से) (१) फिलहाल पी. डब्लू. डी. राजस्थान के अधीन है और हस्तान्तरण शीघ्र ही केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को किया जा रहा है।

(२), (३), (४) इसका स्थानान्तरण शीघ्र हो रहा है इसलिए कोई कार्यवाही मरम्मत इत्यादि की नहीं की गई।

(५) केन्द्रीय सरकार के अधीन होने के बाद आवश्यक मरम्मत ऐतिहासिक महत्व के अनुसार हो सकेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह कार्य सौंपने की कार्यवाही दो तीन साल में पूर्ण होगी, यह कार्यवाही अभी चल रही है कि इसे केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग को सौंपा जाय। इन तीन चार साल के अन्दर जो भवन टूटते फूटते जा रहे हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार कोई देख भाल नहीं कर रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जवाब नहीं मांग रहे हैं, आपने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : कब तक स्थानान्तरण हो जायगा ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुरातत्व विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, वे कहते हैं कि अभी राजस्थान सरकार का पी. डब्ल्यू. डी. देख भाल कर रहा है। यह भवन टूटता फूटता जा रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं कि पुरातत्व विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट भरतपुर में आने वाले हैं, उनसे बातचीत करके इसे ट्रान्सफर करने की बात की जायगी।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : तब तक इसको सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है, क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जी हां, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये भवन बिल्कुल टूट फूट गये हैं, इसकी ओर पी. डब्लू. डी. ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है, इसके लिए आपका क्या उत्तर है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : ऐसी कोई टूट फूट नहीं हुई जिसकी वजह से बिल्डिंग का महत्व कम हो गया हो। मामूली मरम्मत करने के लिए मैंने अर्ज किया कि ट्रान्सफर होते ही मरम्मत का काम करा दिया जायगा, ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूं, यह मेरे क्षेत्र में है, पिछले दिनों जो सफाई करने वाले थे,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वे भी आज नहीं है। वहां आज कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, जाले लगे हुए हैं, और उन भवनों की कोई देख भाल नही हो रही है। राजस्थान सरकार कहती है कि केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की ज़िम्मेदारी है,केन्द्रीय पुरातत्व विभाग कहता है कि राजस्थान सरकार की ज़िम्मेदारी है। दोनों के बीच झगड़े की वज़ह से टूट फूट बढ़ती जा रही है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। यह एक ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व की चीज़ है, वह नष्ट होती जा रही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो पुरातत्व विभाग राजस्थान सरकार का है, इसका काम इतना सुस्त है कि उसके सम्बन्ध में एक दिन सदन में बहस होने की आवश्यकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उसकी डिमान्ड आज ही है।

श्री जनार्दन राय नागर : राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों की, मैं समझता हूं, जिस व्यवस्थित रूप से देख भाल होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। सरकार सदन को एक दिन का मौका दे, जिससे कि हम इस विभाग पर अच्छी तरह से बहस कर सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज ही करें।

श्री जनार्दन राय नागर : अध्यक्ष महोदय, हमको टाइम मिल नहीं सकता क्यों कि कट मोशन नहीं रखा है। इसलिए इस पर एक दिन बहस होनी चाहिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने एक कट मोशन इस बात का रखा, उसका इस सचिवालय की ओर से उत्तर मिला कि यह मामला केन्द्रीय सरकार का है, इसलिए कट मोशन नहीं ला सकते। मुझे इज़ाजत दी जाय कि मैं बोल सकूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोती बाबा।

श्री दलपतसिंह।

श्री जुगकिशोर चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सचिवालय की ओर से मुझे सूचित किया गया है कि यह विभाग केन्द्रीय सरकार को सुपुर्द कर दिया गया है इसलिए इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : सरकार निश्चित कर चुकी है कि इस विभाग को केन्द्रीय सरकार के पास ट्रान्सफर कर दिया जाय।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आज तक तो केन्द्रीय सरकार को ट्रान्सफर नहीं किया है। पर मुझे यह उत्तर मिला है कि यह विभाग केन्द्रीय सरकार के पास चला गया है इस लिये इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री मोती बाबा।

चर्म उद्योग सहकारी समिति, बागोल, तहसील देसूरी

५८८ **श्री मोती बाबा** (बाली): क्या मन्त्री

Page No.30

(श्री मोती बाबा)

सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चर्म उद्योग सहकारी समिति बागोल तहसील देसूरी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(२) उक्त समिति में कुल कितने सदस्य हैं और उनको कब व कितनी धनराशी ऋण के रूप में दी गई ?

उपमंत्री सहकारी विभाग : (श्री रिखबचन्द धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव विभाग के मंत्री इसका उत्तर अपनी अगली टर्न पर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह ।

सिरोही जिले में दारू व अफीम के ठेके

५८६. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या मंत्री, आबकारी विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) जो ठेके दारू व अफीम के दिए जाते हैं, उनमें क्या सरकार द्वारा यह भी ध्यान रखा जाता है कि ठेकेदार को उसमें कितना मुनाफा हो सकेगा ?

(२) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के सभी ठेकेदारों को इतना मंहगा दिया गया है, कि उन्हें मुनाफा बहुत ही कम मिला है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार अपनी क्षतिपूर्ति अवैध तरीके से करते हैं ?

आबकारी मन्त्री (श्री हरिभाउ उपाध्याय) : (१) ठेके पूरे तौर पर नीलाम किये जाते हैं। ठेके के समय गत वर्ष की बिक्री की मात्रा आदि घोषित कर दी जाती है। सम्भव मुनाफा का ध्यान रखना बोली बोलने वालों का कार्य है।

(२) ठेकेदारों ने ठेके खुले नीलाम के आधार पर लिये हैं। इस प्रकार ठेके लेने वाले अपने २ नुकसान के स्वयं जिम्मेदार है।

(३) यदि कोई ठेकेदार अवैध कार्यवाही करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको नियमानुसार सजा दी जाती है।

श्री दलपतसिंह : क्या सरकार महसूस करती है कि जो कमिशन ठेकेदारों को सरकार की तरफ से दिया जाता है, उससे कहीं ज्यादा रकम ठेकेदारों द्वारा ठेके में दी जाती है, जहां कमिशन का उन्हें हजार दो हजार रुपया मिलता है वहां ठेके की रकम के बीस बीस हजार और तीस तीस हजार देने पड़ते हैं तो, इस बीच की रकम की पूर्ति वे अवैध तरीकों से पूरी करते हैं ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : सरकार की जिम्मेदारी तो इसमें सिर्फ इतनी ही है कि पुरानी बिक्री के आंकड़े, उनके सामने रख देती है और पिछले साल इतनी बोली बोली गई थी, यह भी आगाह कर दिया जाता है, इसके बाद भी वे लोग बोली बढ़ते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है । अवैध कार्यवाही की शिकायत आती है तो उनको सजा दी जाती है।

श्री लक्ष्मी चन्द (सांचोर) : क्या सरकार ने ऐसा क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है कि फलां ठेके की बोली कोई इतने से ज्यादा नहीं बोल सकता ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : नहीं ऐसा नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या यह सही है कि जो ठेके दिये जाते हैं सरकार को जितनी रकम मिल जाती है, ठेकेदार उस इलाके से मनमानी रकम वसूल करता है और आतताई तरीके इस्तेमाल करता है।

श्री हरिभाउ उपाध्याय : बेचने की और कमिशन की रेट बंधी हुई है, फिर मनमानी का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री जनार्दनराय नागर : मुट्ठी बंधी हुई है, इससे इन्कार नहीं करता पर हथैली खुलती है उस वक्त सरकार की क्या जिम्मेदारी आती है ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : सरकार की निगाह में ऐसी बात आती है तो कार्यवाही करती है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि मंहगे ठेके लेकर बोतलों में पानी मिलाते हैं ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : हो सकता है कि ऐसा करते हों, पर पकड़े जाते हैं तो उन्हें सजा मिलती है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : पानी मिलाते है तो क्या नुकसान है, कम नशा आयेगा।

हंसी

श्री दलपतसिंह : पानी मिलावे तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं पर ये लोग तेजाब और स्पिरिट आदि ऐसी चीजें मिलाते हैं, जिनसे कि पब्लिक की हैल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सरकार की कोई न कोई नीति इसके लिये होनी चाहिये कि जनरली हमेशा टैस्ट करवा लें।

श्री हरिभाउ उपाध्याय : जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत जहरीली चीजें मिलने के सम्बन्ध में है, सरकार इसकी जांच करेगी।

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या सरकार ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए ठेके की नीलाम की नीति को बदल कर कमिशन बेसिस पर देने की नीति को अख्तियार नहीं करना चाहती ?

श्री हरिभाउ उपाध्याय : बार बार इस पर विचार किया गया है और अन्त में यह निर्णय लिया गया है कि ठेके नीलाम करना ही बहतर तरीका है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : क्या मिलावट की हुई शराब से प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य की हैल्थ पर बहुत बुरा असर हुआ है ?

(अनवरत हंसी)

श्री दलपतसिंह : मैं तो पीता ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

भूमिहीन किसानों की संख्या

५६०. श्री जयचन्द्र मोहल (कपासिन-सु.): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जयचन्द मोहिल)

(२) राज्य के प्रत्येक जिले में भूमिहीन किसानों की कुल संख्या क्या है ?

(३) उन्हें भूमिहीन मानने के क्या क्या आधार हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) भूमिहीन किसानों की गणना की जा रही है, इसलिये अभी सूचना देने में मजबूरी है।

(२) भूमिहीन किसानों की परिभाषा भूमि के वितरण के रूल्स हैं, लैंड रेवेन्यू के तहत, उनमें दिये हुए हैं ?

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : परिभाषा है, पर लक्षण क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लक्षण उसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा।

श्री जनार्दन राय नागर : यह प्रश्न बिल्कुल ठीक है माननीय अध्यक्ष, परिभाषा दी है पर लक्षणों से ही अच्छी तरह पता चल सकता है कि कौन भूमिहीन है।

एक माननीय सदस्य : जिला टोंक में कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि सारे राजस्थान के भूमिहीनों की गणना हो रही है।

एक माननीय सदस्य : कितना टाइम लगेगा ? इधर सीलिंग तो आ रहा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम तो लगेगा पर सीलिंग से बहुत पहले गणना हो जायगी ?

श्रीजनार्दनराय नागर : सरकार लिखित जवाब दे रही है या मौखिक ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री श्री राम बासौतिया ने दिनांक ११–३–५६ से २०–३–५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२.८. म.प.

(विराम)

विधायी-कार्य

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १६५६

(पुरः स्थापन)

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदर लाल व्यास) माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, १६५६ को पुरः स्थापित करने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री मोगजी : यह हिन्दी में होना चाहिये साहब। समझ में नहीं आता।

(हंसी)

एक **माननीय सदस्य** : यह तो हिन्दी में ही है।

१२.६ म० प०

मांग संख्या १४

वैज्ञानिक विभाग

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उपमन्त्री, वैज्ञानिक विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,२२,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग पर निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :

'Demand No. 14. Majorhead 36-Scientific Department be reduced by Re.1/- (to discuss the unsatisfactory working of the Mines Deptt.)'

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (पुरातत्व विभाग द्वारा मचकुंड तीर्थ धौलपुर की व्यवस्था पर वाद विवाद हेतु)"

"मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (राजस्थान में खान पत्थरों के ठेके की प्रथा को समाप्त करने पर वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (धौलपुर में पत्थर की खान का ठेका देने की व्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (धौलपुर में सहकारिता के आधार पर खानों की व्यवस्था करने पर बहस करने हेतु)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी कि :

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (प्रान्त में जुलोजिकल पार्क्स के विकास के संबंध में विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६

(डॉ० चन्द्रकला)

वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (अजायबघरों के विकास के संबंध में वाद विवाद करनें के लिये)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पुरातत्व विभाग द्वारा हस्तलिखित ग्रन्थों के समुचित प्रकाशन की आवश्यकता पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत एक अच्छी रिसर्च लाइब्रेरी की आवश्यकता पर विचार विनिमय करने के लिए)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (भू-सम्पत्ति का सर्वेक्षण कर, उसके समुचित विकास की योजना बनाने की आवश्यकता पर विचार करने हेतु)"

श्री धन्नालाल हरित प्रस्ताव करेंगे : कि : "मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (पुरातत्व विभाग की कोटा जिले में उदासीनता पर विचार करने के लिए)"

श्री अनोपसिंह प्रस्ताव करेंगे कि : 'Demand No. 14 Major Head 36, Scientific Department be reduced by Rs. 100/-(to discuss the failure of the Govt. in developing on scientific lines the querries of Fidusar in Distt. Jodhpur)'

'Demand No. 14 Major head 36 Scientific Deptt. be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Govt. in developing the Gypsum deposits) '

श्री सूरजमल प्रस्ताव करेंगे कि : 'Demand No. 14 Major head 36 Scientific Department be reduced by Rs. 100/-(to discuss the failure of the Govt. in developing on scientific lines the querries of Fidusar in Distt. Jodhpur.

'Demand No. 14 Major head 36 Scientific Deptt. be reduced by Re.1/- (to discuss the failure of the Govt. in developing the Gypsum deposits)'

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (खनिज विभाग द्वारा दिया जाने वाली पट्टा प्रणाली पर विचार करने के लिए)"

श्री सूबेदारसिंह प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (मुचकुन्द (पुरातत्व विभाग) पर विवाद करने हेतु)"

"मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १) रु० मात्र की कटौती की जावे (खान विभाग द्वारा ठेके देने की पद्धति पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री दलीपसिंह प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक

(श्री दलीपसिंह)

विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (कोटा डिविजन में पत्थर की खानों के प्रबंध में अनियमितात्रों और पक्षपात पर वाद विवाद हेतु)"

श्री दयाकृष्ण विजय प्रस्ताव करेंगे : "मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में से १००) रु० मात्र की कटौती की जावे (रामगंज मंडी आदि स्थानों की पत्थर की खानों की मोनोपोली प्रथा समाप्त करने के संबंध में वाद विवाद करने हेतु)

श्री गिरधारीलाल प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ में १) रु० तक की कटौती की जावे (राज्य से संबंधित खानों का राष्ट्रियकरण करने के संबंध में वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग सं० १४ मुख्य शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (पुरातत्व विभाग की अव्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे कि : "मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (लूणकरणसर तहसील की भूगर्भ अन्वेषण पर बहस करने के लिए)"

मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६- वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (पलाना खान के कार्य के सम्बन्ध में बहस करने के लिए)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीषक -३६ वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (कोलायत मुल्तानी मिट्टी का Activation Plant लगाने की योजना पर बहस करने के लिए)"

"मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६- वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारखाने में होने वाले विलम्ब पर बहस करने के लिये)"

श्री जगदीश प्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे कि "मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६- वैज्ञानिक विभाग में (१ रुपये की कटौती की जावे (राज्य की खनिज उद्योग के विकास पर विचार करने के लिये)"

श्री गिरधारीलाल । कटौती के प्रस्ताव हैं ।

(विराम के पश्चात् पुनः)

श्री गिरधारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है जिसमें है, "To discuss the unsatisfactory working of the Mines Department."

मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य

(श्री भैरोंसिंह)

में कई विभाग ऐसे हैं जो इस बात के लिये मशहूर हैं कि सबसे ज़्यादा बकाया, यदि किसी विभाग का प्राइवेट पार्टी में हो सकता है तो ऐसे विभागों में माइनिंग विभाग भी एक ऐसा विभाग है।

इस सम्बन्ध में इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि यह इतनी बकाया किस वजह से ऐक्युमलेट हुई। मैं समझता हूं कि इस विभाग की तरफ से सतर्कता बरती जाती तो इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि इस विभाग पर भी इस प्रकार के दोष लगाये जाते, यह विभाग भी उन विभागों में से है जिनमें सबसे ज्यादा बकाया वसूल करनी है। मैं इस विषय में अपने यहां राजस्थान के ऑफिसरों की, आबू में हुई कॉन्फ्रेन्स की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। वहां पर इस बात का निर्णय लिया गया था कि जो विभागीय बकाया है और वह इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसको जल्दी से जल्दी वसूल करने की कार्यवाही की जावे, उस समय माइनिंग विभाग को खास तौर से चर्चा का विषय बनाया गया था। मैं सारे आंकड़े तो नहीं दे सकता लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि उस कॉन्फ्रेन्स के बाद में भी सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। हां, यह बात जरूर है कि सरकार रकम वसूली के लिये तकाजा करती आ रही है और यह बात भी सही है कि इसके लिये सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं। उनमें यह है कि जो लोग डिफाल्टर्स हैं उनको खनिज विभाग के लीज और लाइसेन्स नहीं दिये जावें और उनसे सम्बन्ध विच्छेद दिया जावे। इसके अलावा यहां तक व्यवस्था की गई है कि जिनमें ज्यादा रकम बकाया है उनको ब्लेक लिस्ट में लिया जावे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन कानूनों की पूरी पाबन्दी नहीं हो रही है। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, इन नियमों के अनुसार तकाजा हुआ होगा, और ज्योंही तकाजा होना शुरू हुआ विभागीय लोगों ने बेजा तरीके से या धन के प्रलोभन से या कोई चीज प्राप्त करने के लिये कोशिश की। मैं समझता हूं कि तकाजे के कारण मैं कुछ लिस्ट अभी पेश नहीं कर सकता लेकिन माननीय मन्त्री महोदय अगर चाहेंगे तो फिर मैं लिस्ट पेश कर दूंगा। जहां पर हमने यह नियम बनाये कि डिफॉल्टर्स को नये लाइसेन्स नहीं दिये जावेंगे वहां पर हमने उन रूल्स के विपरीत, उनको रिलेक्स करके दिये गये हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि यदि इस प्रकार की छूट नहीं रखी जाती है तो खनिज विभाग के खनिज के उत्पादन में काफी कमी होती है और काफी घाटा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर घाटे का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर लीज होल्डर्स का लीज रिन्यू नहीं होता तो घाटे का कोई प्रश्न नहीं, उल्टा फायदा होता। इसके अलावा अब तक की बकाया के सम्बन्ध में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है और किस प्रकार वसूल करने में सफल हुई है यह देखने की बात है।

अभी कुछ दिन पहले की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं भीलवाड़ा गया और वहां की कुछ माइन्स को देखा। वहां की माइन्स को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि अगर सरकार इस पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल करे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी सरकार की आमदनी बहुत कुछ बढ़ सकती है। और लोगों की बेकारी

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

भी बहुत हद तक दूर की जा सकती है । मैंने वहां जोटी माइन्स को देखा । इस माइन को मैंने अन्दर से जाकर देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां पर बहुत अन्धेर है । अन्धेरा माइन में नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में । माइन जो २०० : २५० फीट गहरी है उसमें तो अन्धेरा होता ही है । मैंने देखा कि इस माइन में माइका की ही रॉयल्टी ली जाती है जबकि वहां पर Quartz और दूसरे को मैं अच्छी तरह से नहीं कह सकता सेलिका सेन्ड भी उसी माइन्स से निकलते हैं जब मैंने यह देखा तो मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा कि इन दोनों की रॉयल्टी भी वसूल की जाती है । तो उन्होंने कहा की नहीं । मैंने पूछा कि क्यों नहीं ली जाती है, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने यह गलती की है जिसका नतीजा उनको आगे चल कर भोगना होगा, उन्होंने कहा वे नहीं जानते । मैंने उस सम्बन्ध में माइनिंग ऑफिसर से जिक्र किया कि इनकी रॉयल्टी वसूल क्यों नहीं होती है तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनको यह मालूम नहीं था कि इसमें Silica और Quartz भी मिलती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक और गलत व्यवस्था वहां पर देखी । मैं समझता हूं कि रॉयल्टी सेल वेल्यू पर ली जाती । जो सेल होकर बिहार को जाती उस पर रॉयल्टी वसूल होती थी । अब सरकार ने वेट के आधार पर यह रॉयल्टी मुकर्रर कर दी है और वह वेट कौनसा, वह वेट वह है जो लीज होल्डर सरकार को अपने स्टेटमेंट में दे । हमने उस लीज होल्डर पर इतना अधिक विश्वास किया है । लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का कोई न कोई ऑफिसर तो वहां होना चाहिये । मगर वहां सरकार का ऑफिसर तो होना दूर रहा, वहां पर कोई सरकार का चपरासी भी नहीं है, जो इस बात को बता सके कि वास्तव में इतना माल ट्रान्सपोर्ट हुआ और जो स्टेटमेंट आ रहा है वह ठीक है । जिस समय सरकार की तरफ से उत्तर आएगा उस समय मैं चाहूंगा कि माननीय उप मन्त्री इस पर स्टेटमेंट जरूर देंगे कि कितना ब्लैक मार्केट में जाता है । वे यह कहेंगे कि रॉयल्टी लीज होल्डर के स्टेटमेंट पर वसूल की जाती हैं लेकिन माइका माइन के पिट माउठ पर कोई वजन देने वाला नहीं है । टैक्स पेअर के विश्वास पर सरकार ने यह छोड़ दिया है । हमारी सरकार इस प्रकार का विश्वास लीज पेअर पर करती है इस बात की खुशी है, विश्वास करना अच्छा है । मगर उन पर विश्वास करना जो चोरी करते हैं उचित नहीं और चोरी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं ।

मैं समझता हूं कि उप मंत्री भारत से जितना माइका एक्सपोर्ट होता है उसके आंकड़े देख लें और जितने पर रॉयल्टी वसूल होती है उसको भी देख लें तो उनको मालूम होगा कि उसमें आकाश पाताल का अन्तर है । अगर यह माइका बिहार की फार्म की मार्फत एक्सपोर्ट होता है तो आपको मालूम होगा कि जितना माल बाहर गया है उसकी आधी रॉयल्टी भी नहीं दी गई है । सरकार इसकी जांच करे कि बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है और रॉयल्टी कम ली गई है । इसका मतलब यह कि पिट माउथ पर कोई ऑफिसर नहीं होने से सही स्टेटमेंट नहीं प्राप्त होता । इसलिये ठेकेदारों ने या लीज होल्डरों ने अनाप सनाप पैसा कमाया है । मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान इकोनॉमिक रिव्यू पत्र

(श्री भैरोंसिंह)

निकलता है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें माइका भारत के बाहर जाता है और रॉयल्टी कितनी दी जाती है उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन दोनों स्टेटमेंटों को देखने से आपको मालूम होगा कि इस मामले में हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार को किस प्रकार से धोका दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी खामी है जो कार्य व्यवस्था में रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग में जो काम चलाने वाले हैं और जो घटनाएं होती हैं उसको देख कर यह कहा जा सकता है कि यह विभाग जनता को और दूसरी तरफ सरकार को धोका देता है। इसके विभागीय 'Statistical Review of Mineral Production in Rajasthan' उसके पेज नम्बर ३१ है उसमें लिखा है नम्बर ५७ पर Messrs Jaipur Mineral Development Syndicate, Jaipur: Old lease. सोफट स्टोन का लीज १३ वर्ग मील में किया जाता है। मैं माननीय उप मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि यदि उनकी जानकारी नहीं हो कि यह १३ वर्ग मील नहीं बल्कि १८ वर्ग मील में काम करता है। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह गलत दिया गया है। गवर्नमेंट गलत स्टेटमेंट देती है। वास्तव में १८ वर्ग मील है और लिखा १३ वर्ग मील है। इसके अलावा जहां तक मैं समझता हूं, माइनिंग रूल्स में १० मील से ज्यादा किसी को लीज पर नहीं दिया जा सकता। जहां तक मेरी जानकारी है। इन रूल्स के आधार पर भी अगर देखा जाए तो यह १३ वर्ग मील लिखा गया है वह भी ३ वर्ग मील ज्यादा है। लेकिन यह १८ मील में काम करता है। पैसा लिया जाता है, सिर्फ १३ वर्ग मील का और ५ वर्ग मील की छूट दे रखी है। मैं यह कहूँगा कि यह रियायत नहीं है लेकिन इसके पीछे कोई दूसरा बैक ग्राउन्ड है। सरकार दिन प्रति दिन गलतियां कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह लीज़ पुराना है और यह लीज़ मैं समझता हूँ, जयपुर में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मिर्जा इस्माइल जिस समय थे उस समय का यह दिया हुआ है। जिस समय यह लीज दिया गया था उस समय यह केवल ४५ हजार रुपये में दिया गया था। उस लीज़ के साथ यह शर्त थी कि वह एक कोस्मेटिक फैक्टरी जयपुर में चालू करेगा, और चालू करेगा केवल इसी शर्त पर यह ४५ हजार का कॉन्ट्रेक्ट रहेगा, लेकिन जिनको कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था उन्होंने फैक्टरी चालू नहीं की, ऑक्शन बेसिस पर लीज़ जा सकता था उसको ४५ हजार से बढ़ा कर राजस्थान सरकार ने १,४५ हजार पर कर दिया। जिस समय किया फिर उसी समय रिप्रेजेन्टेशन हुए। उसके आधार पर सरकार को चाहिये था कि ऑक्शन करायें और यह भी व्यवस्था करनी चाहिये थी कि जो बकाया थो उसकी वसूली करे, लेकिन वसूली नहीं हुई और उसको १,४५ हजार से घटा कर ६० हजार कर दिया। उप मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि क्यों कम किया गया और कम करने के साथ भी एक शर्त थी कि माइक्रोमाइजिंग प्लान्ट लगाया जावेगा। वह प्लान्ट नहीं लगाया गया, ६० हजार की वसूली नहीं हुई और इस सम्बन्ध की एक लाख और कुछ ऊपर की बकाया अब तक इस फर्म में चलती आ रही है। किस तरह से रुपया जमा कराया जाय इसके लिए उनका रिप्रेजेन्टेशन ले रखा है इन्ट्रेस्ट को डिस्प्यूटेड पॉइन्ट बना कर, वह भी वसूल

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं किया जा रहा है। पिछले वर्ष तक इस फर्म में शायद दो लाख की कुल बकाया थी। अब तक सरकार की ओर से कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं उप मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह घोटाला किस प्रकार से हुआ कि ४५ हजार से किस आधार पर १,४५ हजार किया गया, फिर उसको कम करके ६० हजार किया गया, १८ की जगह १३ का लीज़ लिया गया, और १३ स्कायर माइल्स अब तक उनके कब्जे में है, यह किस कारण से रहने दिया गया, इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण करें। उनको इसकी साफ जांच कराना चाहिये। यह अच्छा नहीं होगा कि जो कुछ इसके पीछे वास्तविक रहस्य है, वह मैं विधान सभा में प्रस्तुत करूं, मैं फिर एक दफा कहना चाहता हूं कि यह मामला रूटीन केस में नहीं चल रहा है, इसकी डिपार्टमेंट को जानकारी हो और इस मामले पर किसी क्लर्क की जानकारी हो, यह भी नहीं है किन्तु इस मामले में उच्च स्तर पर पक्षपात किया जा रहा है और इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जिसकी जांच कराना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। इन सारी चीजों को लेकर मैं कह सकता हूं कि मामला बहुत गम्भीर है इसकी वास्तविक रूप से जांच की जानी चाहिये और यदि इसको यों ही टाल दिया गया तो मैं समझता हूं कि हो सकता है आगे चलकर बाकी लीज़ में भी इस प्रकार से डीमोरेलाइजेशन आयगा और हो सकता है आगे चल कर मंत्रियों को और अधिकारियों को प्रलोभन दिया जायगा, तथा जो लोग लीज़ का अधिक एरिया अपने कब्जे में रखेंगे उसे भी बचा सकते हैं। अच्छा है हाल ही में उप-मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे, मुझे बाद में राइट आॅफ रिप्लाई नहीं रहेगा। उनकी ओर से उत्तर आने वाला है कि लीज़ होल्डर्स की ओर से सारी भूमि का नक्शा पेश नहीं किया गया, इसलिए नहीं जांच सके कि वास्तव में उनके पजेशन में कितनी भूमि है। नक्शा पेश करने की जिम्मेदारी लीज़ होल्डर पर है, लेकिन ११ साल में एक लीज़ होल्डर से सरकार नक्शा पेश नहीं करवा सकी, यह काफी सबूत है इस बात का कि ऐसा जान बूझ कर किया गया है कि नक्शा पेश नहीं किया गया क्यों कि नक्शा पेश करने के ऊपर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत १० स्कायर माइल्स करना पड़ेगा और इसीलिए नक्शा पेश करने में ढिलाई दिखाई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मामला बहुत गम्भीर है और मैं समझता हूं कि इसकी, उपमंत्री महोदय जल्दी से जल्दी जांच करने के लिए तैयार होंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मामले बहुत हैं और उनको रखने में कोई सेन्स नहीं है क्यों कि सरकार कोई कार्यवाही करती हो ऐसा नहीं लगता है। एक मामला तो मैंने अभी सदन में प्रस्तुत किया और एक छोटा सा मामला और प्रस्तुत करता हूं आमागड़ और झालाना की रॉयल्टी की वसूली के सम्बन्ध में। इस ठेके को लेकर, अध्यक्ष महोदय, कई बार इस सदन में प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर जिस प्रकार से दिया गया उसका जिक्र मैं पीछे करूंगा जब उपमंत्रीजी से जवाब मिलेगा। यह १६ हजार में ठेका दिया गया था कई लोगों ने दर्ख्वास्तें पेश कीं कि इससे ज्यादा ठेका दे सकते हैं लेकिन वे दर्ख्वास्तें नामंजूर की गई। कॉन्ट्रेक्ट लिया जाता है उसका एग्रीमेंट होता है. अर्नेस्ट मनी

(श्री भैरोंसिंह)

भी जमा कराई जाती है। सिक्योरिटी भी जमा होती है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में न सिक्योरिटी ली गई, न अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। जमा हुई दो वर्ष के समय में इन्स्टॉलमेन्ट्स क्वार्टरली होती थी वह जमा करायी, और जमा नहीं होने के ऊपर एग्रीमेंट के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं की गई। एग्रीमेंट के अनुसार सिक्योरिटी जमा नहीं कराई, अर्नेस्ट मनी भी नहीं जमा कराई, इस बात के होते हुए भी दो वर्ष हो गये तब तो सरकार को चाहिये था कि किसी प्रकार से आगे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके माइनिंग लीज़ को एक्सटेन्ड किया गया वह नहीं किया जाता यह कोई वाजिब स्टेप भी होता।। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि एग्रीमेंट के खिलाफ कार्यवाही करने के बावजूद भी सरकार ने फिर उस आदमी को लाइसेन्स रिन्यू कर दिया। जनता ने शिकायतें की माननीय मंत्री महोदय और एन्टीकरप्शन विभाग को, इस पर माइनिंग इन्जीनियर को जांच के लिए नियुक्त किया और माइनिंग इन्जीनियर ने स्पष्ट रूप से अपने लेटर में लिख दिया कि जो कुछ चार्जेज मैंने लगाये हैं वे बिलकुल सही थे। यह है : Letter from the Mining Engineer, Mines & Geology Department Rajasthan, Jaipur to the Director of Mines & Geology Rajasthan, Udaipur dated the 22nd August, 1957:—

मैं एक छोटा सा रेफेरेन्स उसमें से देता हूं।

"Two contracts, one of royalty collection contract of Amagarh for Rs. 16,600/- p. a. and other of royalty collection contract of Bajri of Bassi for Rs. 8050/- were sanctioned upto 31-3-58. The contractor has to pay two quarterly instalments of Rs. 4150/- and /- 2012/8/- each respectively upto the end of September, 1957 (i. e. Rs. 8300/-and 4,025/-). Out of these sums, she had paid only Rs. 4,594/- and Rs. 3,025/-. Thus a sum of Rs. 3706/- in the case of Amagarh and Rs. 1,000/- in the case of Bajri of Bassi is outstanding. Mst. Kani Devi was given a notice, but she had not cared to deposit the balance of the instalment as indicated above.

As regards the execution of agreement, she has not submitted the stamp papers in both the cases and is not coming forward for the same. She has not deposited the security of Rs. 4150/- and Rs. 4,025/— in both the case although full one year and five months have passed. This shows that the contractor appears to be financially weak, and unless strong action is taken to safeguard the Government revenue, it may again result in arrears.

As all the efforts have been in vain to secure security, stamp paper for execution of agreement and realisation of arrears. It is requested that the contract may be cancelled with immediate effect.

The Accounts Branch is being asked to take action for realisation of

(श्री भैरोंसिंह)

the arrears etc. under the P. D. R. Act. Early sanction may kindly be communicated.

Yours faithfully.
Sd./ T. G. George.
Mining Engineer.

माइनिंग इन्जीनियर ने इस प्रकार का पत्र दिया। मुझे अफसोस है कि २-८-५० को पत्र लिखा था उसके बाद से लेकर अब तक, उप मंत्री महोदय बतायेंगे कि, क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही के नाम नदारद। इससे कुछ ऐसा लगता है कि इस सारे मामले को लेकर किसको शिकायत की जाय। कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि विधान सभा में किसी मामले को रखा जाय तो सरकार उसके लिये कह सकती है यह तो व्यक्तिगत मामले हैं, किसी व्यक्ति को जिम्मेदार टहरा कर आक्षेप न लगाये जायं किसी को कॉग्नीजेन्स में लेने की कोशिश नहीं करते। इस सारी स्थिति को लेकर मैं ऐसा समझता हूं माइनिंग उद्योगों को लेकर मैंने जिन जिन बातों का पहले जिक्र किया उनकी जांच करवा सकते हैं। उस जांच में उनको ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे सरकार को घाटा होता है और सरकारी अधिकारियों के अन्दर करप्शन का प्रभाव बढ़ता जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी तुरन्त जांच करवायी जानी चाहिये और जांच करने पर जो दोषी साबित हों उन अधिकारियों को दंड दें। मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो आज माइनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर लीज़ के प्रश्न को लेकर, रिन्यूअल के प्रश्न को लेकर, खुले रूप से रिश्वत बाज़ार गरम रहेगा। क्लर्क से लेकर किसी हद तक ऊपर के अधिकारियों तक पैसे देकर ही काम होता है। क्लर्क से लेकर बड़े अधिकारी तक पैसे खर्च करने की एक प्रकार की व्यवस्था सी होगई है, इस विभाग में। वरना आज कोई प्रश्न नहीं जब कि नियम बना हुआ है कि जिन लोगों में बकाया है उनको किसी प्रकार भी लीज़ न दिया जाय ? होता क्या है कि बकाया भी चल रही है और लीज भी दिये जाते रहते हैं। इस प्रकार की गलतियां हर स्टेज पर होती रहती हैं ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं हर स्टेज पर गलतियों का रिपीटिशन होता जाता है। अनजाने में गलती होती हो यह बात नहीं। लोगों से पैसे एक्सपेक्ट किये जाते हैं, चाहे वह कैश के रूप में हो या साधनों के रूप में, इस तरह से सभी कुछ किया जाता है। माइनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर जहां इन चीजों का प्रश्न आता है, रॉयल्टी देने का प्रश्न आता है, एक मोटी बात है इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि सब से ज्यादा पैसा कमाने का क्या जरिया है वह प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स किसको दिया जाय। इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग पीरियड के अन्दर जितना भी माल निकलता है चाहे उसमें किसी प्रकार का खनिज पदार्थ हो, नेचरली प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में जो माल निकलता है उस पर नियमों के अनुसार सरकार का कब्जा होता है। इनफॉर्मेशन सर्कुलर के अन्दर यह जरूर बताया गया है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स किन किन को दे रखा है लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट आपके डिपार्टमेंट में है क्या ? जिसके अन्दर यह दर्ज हो कि प्रोस्पेक्टिंग पीरियड के अन्दर इतना इतना खनिज पदार्थ इस माइन्स से निकला और उस पर सरकार का कब्जा हुआ है। प्रोस्पेक्टिंग पीरियड का जितना भी खनिज पदार्थ होता है उस पर सरकार

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

का अधिकार होता है लेकिन यहां पर मैं समझता हूं सरकार का अधिकार नहीं। तमाशा ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को जिसको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिला है आगे जाकर जब उसकी लाइसेंन्स लीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस माल को जो प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में निकला है लीज लेने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाकर उससे पैसे कमाये जाते हैं। इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स दिये हुए किसी भी फ़र्म को ले लीजिये और लीज होल्डर को लें ले उनका एवरेज निकाल लें हर महिने में कितना टैक्स आप वसूल करते हैं उससे एवरेज अपने आप को मिल जायगा। माइन्स में कितना प्रोडक्शन है और जब लीज मिला है उसके शुरू के दो तीन महिने के प्रोडक्शन को देखें। जब कोई काम शुरू करते हैं तो माल कम निकलता है ज्यों ज्यों ज्यादा एम्प्लॉइज नियुक्त किये जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा माल निकलता है। लेकिन इन मामलों में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है पहले तीन महिनों में उतना एक्सपोर्ट पिछले नौ महीने में भी नहीं हो पाता है। इससे साफ़ जाहिर होता है कि प्रोस्पेक्टिंग के समय के अन्दर जो माल निकलता है उस सब को अधिकार में लेकर वे उसका लाभ उठाते हैं। मुझे यह सूचना है कि इस विभाग के पास इस प्रकार का नाम मात्र का भी स्टेटमेंट नहीं है कि कितनी आमदनी इस प्रकार प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के समय में निकले हुए माल की होती है। यदि आप जांच करें तो आप एवरेज प्रोडक्शन देकर एवरेज निकाल सकते हैं इससे स्पष्ट रूप में आपके सामने तसबीर आजायगी कि प्रोस्पेक्टिंग के समय का सारा अपने अधिकार में कर लिया है जो सरकार के कब्जे में आना चाहिये था। इसके न आने से सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान होता है। लेकिन एक बात जरूर है। लीज होल्डर को फायदा जरूर होता है, पर सब फायदा वह अकेला नहीं खाता। पर कुछ पर्सेन्टेज इस विभाग का उसको जरूर दे देता है। कुछ पर्सेन्टेज फिक्स्ड है। उसे पता होता है कि इतना पर्सेन्टेज विभाग के लिये खर्च करना होगा। तो इस सारी स्थिति को लेकर मैं कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में लीज देने के सम्बन्ध में, उत्पादन के सम्बन्ध में, एक्सपोर्ट करने के सम्बन्ध में, पी. एल. को लीज में कन्वर्ट करने के सम्बन्ध में कोई भी स्टेज ऐसी नहीं जिसमें से बिना पैसा खर्च किये वह उस स्टेज को पार कर सके। टिकट का पैसा, दर्ख्वास्त का पैसा खर्च करे, यह वाजिब है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में जो खर्च हो वह वाजिब है। पर जबतक वह गैर वाजिब खर्च नहीं करेगा तब तक वह काम नहीं कर सकता। इस तरह से लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार यहां होता है। लाखों रुपयों की आमदनी की चिन्ता नहीं करते। सरकारी धन का इस तरह से खुल कर दुरुपयोग करते हैं। मन्त्रीजी जांच कराना चाहें तो मैं बता सकता हूं। मैंने कुछ आंकड़े भी इकट्ठे किये हैं। पर उनको कन्फर्म नहीं किया है। मैं जबतक उनको कन्फर्म नहीं कर लूंगा उनको सदन में रखना उचित नहीं समझता। पर मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। मैंने इस विभाग का स्टेटमेंट देखा भी है। पर उससे सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण मिल सके ऐसी बात

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है । इसलिये मैं कहूंगा कि इस विभाग में काफी भ्रष्टाचार है ।

आज इसमें सन्देह नहीं कि राजस्थान में खनिज पदार्थ बहुत हैं । इतने हैं कि अगर उनका ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हो तो सरकार की आमदनी काफी बढ़ेगी और दूसरी तरफ काफी लोगों को धन्धा मिलेगा । इसमें सन्देह नहीं कि हम इस बात की ओर कोशिश भी कर रहे हैं । दृष्टिकोण भी अच्छा हो सकता है कि राजस्थान के खनिज पदार्थों का एक्सप्लोइटेशन किया जावे । पर जहां इन्कम का प्रश्न है इसको हम गौण समझ कर कार्य करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा जयपुर उद्योग लिमिटेड है वहां पर सीमेन्ट बनाने के लिये जिस खान से पत्थर लाते हैं, मैं समझता हूं उस का एक मामला सेन्ट्रल सरकार की एन्टीकरप्शन पुलिस के पास चल रहा है । मामला किस बात का है । हालांकि है तो वह रेलवे की चोरी और मैं इसके लिये अपनी सरकार को दोषी भी नहीं ठहराता पर मैं सरकार को एक बात के लिये जरूर दोषी ठहराऊंगा कि जो चोरी होती रही है उस बारे में जयपुर उद्योग के डाइरेक्टर के होते हुए भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की हमारी सरकार ने । वह चोरी किस तरह से होती थी । रेलवे के बीस टन की कैपेसिटी के वैगन में तीस टन माल भरा जाता था और सरकार को २० ही टन का किराया चुकाया जाता था। इसका वज़न न यहां होता था न यहां फैक्टरी में ही होता था । न वहां पर वेट कराया न यहां पर । जिस प्रकार की आजकल आपके यहां माइका का वेट होता है, उसी तरह के वेट पर वे किराया देते रहे । इसके बाद में वहां के कर्मचारियों ने शिकायत की । इसके बाद सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट वहां पहुँचा । एक गाड़ी पूरी को रोक लिया । इसके बाद में तोल कराया तो सब में वजन बढ़ा और सारा एवरेज उसका निकाला । एक गाड़ी पहले की थी उसको भी पकड़ कर तोल कराया और उस पर पिछले सालों का अन्दाज निकाला गया कि गये इतने सालों में कितना पैसा सरकार को कम दिया गया ।

इस तरह की चोरी से रेलवे का नुकसान हुआ, इतना ही नहीं, इन्डाइरेक्टली राजस्थान की जनता का भी नुकसान होता है । यह भी किसी न किसी अंश में हम मानते हैं । हमने इसमें डाइरेक्ट होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की, यह जरूर किया कि इस कार्यवाही को किस तरह से दबाया जाय । यह स्वाभाविक भी है । इस जयपुर उद्योग से चूंकि इनको दो लाख रुपया इलेक्शन के लिये मिला है । इसलिये वे थोड़े से नतमस्तक हैं । वे उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । पर जनहित में पार्टी का हित आड़े नहीं आने देना चाहिये । जहां जनता के पैसे का प्रश्न आता है, वहां अगर आप ज्यादा सख्ती करेंगे तो सन् ६२ के इलेक्शन में आपको दो लाख की जगह पांच लाख मिलेंगे । अबके इन्होंने रेलवे को चीट किया अगले वक्त राजस्थान की भी चोरी शुरू कर देंगे । पैसे का जहां तक प्रश्न है वह आपको मिलता रहेगा । पर इस पैसे को कैसे कन्ट्रोल कर सकते हैं, जनहित में यह पैसा किस तरह से रोका जा सकता है, यह देखने की बात है ।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति को लेकर मैं जयपुर उद्योग की चर्चा तो फिर

(श्री भैरोंसिंह)

आखिर में करूंगा; इस समय नहीं; पर थोड़ा सा प्रसंगवश मैंने यह जिक्र किया है। ऐसी सारी स्थिति को देखकर विभाग को कन्ट्रोल किया जाना चाहिये तथा इस सम्बन्ध में जितनी भी अव्यवस्थायें होती हैं उनकी जांच करनी चाहिये। मैंने जो दो तीन बातें कहीं हैं उनमें जांच की काफी गुंजाइश है। इनमें हम डिपार्टमेन्ट के साथ एग्जाम्लरी पनिशमेंट देकर उदाहरण पेश कर सकते हैं कि कोई गलती करके हमारे विभाग से बचकर नहीं जा सकता। कोई कार्यवाही नहीं की तो आभास हो जावेगा कि विधान सभा में कहने के बावजूद भी, माइनिंग इन्जीनियर के रिपोर्ट करने के बाद भी, मौका पकड़ने के बाद भी गलत स्टेटमेन्ट देने के बाद भी, हम तो यों ही कमाते रहेंगे, धन का दुरुपयोग करते रहेंगे कोई मर्जी आवे उस तरह से कहता रहे, हमें उसकी चिन्ता नहीं, यही माना जावेगा। अगर ऐसा ही सर्टिफिकेट देते रहे तो आमदनी कम होगी ही, पर लोगों पर और और टैक्स इम्पोज करके बचे हुए धन को खींचने की कोशिश करेंगे। यह एक प्रकार का अच्छा ढंग नहीं होगा। इसलिये जो सारी बातें मैंने प्रस्तुत की हैं, मैं आशा करता हूँ, कि सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करेगी और ठीक ढंग से इस माइनिंग विभाग की व्यवस्था करेगी।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं पुरातत्व विभाग के सम्बन्ध में बताता हूं। धौलपुर के अन्दर एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है मंचकुंड। यह तीर्थ सम्भवतया महाभारत के काल का मानते हैं। इस कारण इसके चारों तरफ ३०० के करीब मन्दिर हैं। पर इनकी बहुत जीर्ण अवस्था है। इस सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग से भी काफी कोशिश की गई पर जितनी दिलचस्पी उसको लेनी चाहिये थी, नहीं ले रहा है। इसकी स्थिति दिन पर दिन गिर रही है। इससे हिन्दू जनता जो वहां जाती है उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। इसके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग को विशेष कर इसके कुंड और चारों तरफ की स्थिति पर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं तीन अन्य कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष, धौलपुर के अन्दर पत्थर की काफी खानें हैं और वहां से जो पत्थर निकलता है वह शायद भारत के प्रसिद्ध माने जाने वाले पत्थरों में से है। बलुआ उसे कहा जाता है। इसी पत्थर से राजधानी नई दिल्ली की कई बड़ी बड़ी इमारतें और लोकसभा भवन, नई दिल्ली की अन्य बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। पर हमारे इस विभाग के द्वारा आज धौलपुर को स्वयं को पत्थर का मिलना बहुत ही नाजुक है। मुझे बचपन की वह बात याद है। मैं अपने पितामह के मित्र के, जनाजे में गया था। वहां कहा गया पत्थर भी प्राप्त नहीं है कुछ बनाने करने के लिये। इस सम्बन्ध की शिकायतें लोग करते हैं तो पुलिस विभाग की बात करते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद माइन्स विभाग का तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो, नेक थोड़ा सा भी बचा हुआ नहीं है इस

(डॉ० बहादुरसिंह)

मामले में। कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता इस विभाग वाला कि मैं बचा हूं। मैंने यह देखा कि जिस वक्त इसकी एन्क्वायरी करने के लिये इन्जीनियर बुलाया गया। वह जाता है और ठेकेदार से बात करता है। सायं को मिलता है, बड़ा गरम नजर आया। आशा तो यह थी कि वह कोई एन्क्वायरी करेगा पर दूसरे दिन वह नजर नहीं आया। ठेकेदार मिला, कहने लगा आपने शिकायत तो अवश्य की पर इससे और तो कुछ नहीं हुआ हमारा पैसा आपने अधिक खर्च करवा दिया। तो यह स्थिति है इस विभाग की। इसमें ठेकेदारी प्रथा ही इसका सबसे बड़ा कारण है। इस सम्बन्ध में धौलपुर में पत्थर न मिलने के दो तीन कारण अन्य हैं। ठेके की प्रथा को तहसीलवाइज कर दिया गया। पहले से धौलपुर स्वयं में चार तहसीलें रही हैं। चारों में पत्थर मिलता है। लेकिन राजा खेड़ा में सिर्फ थोड़ा पहाड़ का पत्थर है। जैसे खंडा निकालते हैं। धौलपुर तहसील में दो तीन पटेवरी वगैरह की खानें हैं जिससे थोड़ा भवन निर्माण का पत्थर ले सकते हैं। सिर्फ पहाड़ी और सर मथुरा, बसेड़ी में भी थोड़ा है पर उप तहसील सर मथुरा में सबसे ज्यादा है। वहां धौलपुर स्टोन कम्पनी है। भूतपूर्व राज्य से उसी व्यक्ति के पास ठेका चला आ रहा है। इस कारण आज भी पैसे की शक्ति से निश्चित तौर पर मेरी मान्यता है आज भी वह ठेकेदार बराबर बना हुआ है। मैं समझता हूं जबतक आपका यह विभाग ठीक नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति के पास ठेका निश्चित तौर पर रहेगा। बदल नहीं सकते। पर उसको इसका यह एडवान्टेज हुआ कि दस आना में जहां वह पहले बेचा करता था, आज दिल्ली और आगरा में सात रुपया फुट में बराबर बेच रहा है। तो उसे इस प्रकार कितना प्रोफिट है। पर उस वक्त न आपके कर्मचारियों ने ध्यान दिया न विभाग ने। यह खुली बात है कि यह सब पैसे का खेल है। किसी भी धौलपुर के ठेकेदार से आप बात कर सकते हैं। आपके किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उसको दूर कर सके। इस सम्बन्ध में जब शिकायत की गई तो यहां से एक फरमान नया शुरु हुआ कि ठेका जनता को दिया जावे। जनता के नाम पर भी लूटने को लोग तैयार थे। जनता स्टोन कम्पनी बन गई और इसके अन्दर वही सरमायेदार इकट्ठे हो गये और मजदूरों के नाम से ठेका लेकर आज उन्हीं मजदूरों का शोषण किया जा रहा है जैसा धौलपुर स्टोन कम्पनी करती थी। मजदूर परेशान हैं वैसे ही। तो मेरी तो यह मान्यता है कि इस ठेकेदारी की प्रथा को राजस्थान से समाप्त कर देना चाहिये। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत सरकार को नुकसान हो पर इससे जनता को सहूलियत अवश्य मिलेगी और इसके साथ साथ कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। यह हो सकता है हमारे अधिकारियों को लाभ न हो। ठेकेदारों से जो आज उनको पैसा मिलता है वह बन्द हो जायेगा। पर मजदूरों की कोऑपरेटिव से जनता को फायदा होगा, यह निश्चित है। वे पैसा देने को तैयार भले ही न हों इन अधिकारियों को।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां मजदूरों के लिये कोऑपरेटिव बेसिस कर दीजिये। जब कृषि को कोऑपरेटिव बेसिस पर

Page No.46

(डॉ० बहादुरसिंह)

करने जा रहे हैं, गल्ले का व्यापार करने जा रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस काम को कोऑपरेटिव बेसिस पर करने में आपको क्या ऐतराज है। आप कह सकते हैं आपको रॉयल्टी इतनी नहीं मिल पावेगी। लेकिन इसके सम्बन्ध में भी आप एक तखमीना निकाल सकते हैं कि इतना एरिया में इतना पैसा सरकार का वाजिब है तो वह सोसाइटियां दे सकती हैं। यह कार्य वहां के हजारों मजदूरों की भलाई का भी है और मेरी यह निश्चत मान्यता है कि इस कोऑपरेटिव सिस्टम से वहां जो पत्थरों का अभाव है वह भी दूर हो जावेगा क्योंकि कोऑपरेटिव बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं, वह आगरा और दिल्ली को पत्थर नहीं देंगे बल्कि वह सारा पत्थर धौलपुर शहर को और बाड़ी और बसेड़ी जो धौलपुर तहसील की अच्छी जगह हैं और जहां लोगों को आवश्यकता है वहां वह पत्थर देंगे। आज हम अच्छे अच्छे मकान बनाना चाहते हैं लेकिन हमारे सामने पत्थर की दिक्कत पड़ती है। तो मैं इस बात का घोर विरोध करता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि धौलपुर के अन्दर जो ठेकेदारी प्रथा है उसको सबसे पहले खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा प्रशासन का रूप बदल रहा है फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस आधार पर इस ठेकेदारी प्रथा को कायम रखे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, धौलपुर सब-डिविज़न के अन्दर कोई जगह पत्थर की है तो वह सरमथुरा तहसील है और सबसे अच्छा पत्थर वहीं पर निकलता है और उस पत्थर को आपने यह कह कर कि हम उसी तहसील का पत्थर उसी तहसील में बिकवायेंगे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। पहले धौलपुर स्टोन कम्पनी के पास ठेका था, तो पहले ऐसा हिसाब चलता था कि कोई राजा का साला बन गया और उसने सारी दुनियां धौलपुर का ठेका ले लिया। धौलपुर स्टोन कम्पनी का मालिक महाराज का साला बन गया और उसने सारे स्टोन पर कब्जा कर रखा था। लेकिन मैं उस वक्त की तारीफ करूंगा कि वह धौलपुर की आवश्यकता के अनुसार बराबर पत्थर देते थे और फिर उसके बाद में वहां की जरूरत पूरी हो जाने के बाद में पत्थर बाहर जाता था। लेकिन हमारे आज के तरीके में यह हुआ कि जिस प्रकार से उसकी इच्छा हुई उसने ठेके की शर्तें रखीं और उसके बाद में आपने यह मन्जूर कर लिया कि जिस तहसील का पत्थर होगा उसी में बेचा जायेगा। आज सबसे ज्यादा दिक्कत राजाखेड़ा तहसील में है। वहां पर सिर्फ, एक छोटी सी पत्थर की पहाड़ी है क्योंकि धौलपुर में सब खानों का पत्थर आता था। यही परेशानी आज धौलपुर शहर की है। वहां पर कोई खान नहीं है और तहसील में जो खान है वह डांग एरिया में है वहां पटाव की पट्टियां निकलती हैं। अगर किसी मुसलमान को कब्र बनाने की आवश्यकता है तो आपका पत्थर उसे बिल्कुल नहीं मिल सकता। अगर आपको फर्श वगैरह बनवाने की आवश्यकता है तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि हमने स्टाक लगा रखा है तो वहां तो छोटे-छोटे पीसेज़ मिलेंगे। आपको आवश्यकता के अनुसार वहां भी उपलब्ध नहीं होगा। सारा का सारा पत्थर बाहर चला जायेगा। बाहर पत्थर जाये सो भी ठीक है. लेकिन आपको खान के ठेकेदार न तो रसीदें देंगे और सबसे चोरी जो वह करेंगे वह रॉयल्टी की करेंगे। सेल्स टैक्स की चोरी होती है। इसके सम्बंध में जांच करने के लिए जो इन्जी-

(डॉ० बहादुरसिंह)

नियर्स गये थे उनको हमने कहा था कि आप अब चलिये हम आपको बताते हैं। उसने कहा कि कोई सवारी नहीं है तो मैंने कहा कि मैं अभी कार का इंतजाम कर देता हूं। जब उनको कहा गया कि बताओ धौलपुर के किन किन लोगों को स्टोन दिया है, तो वह गाड़ी वालों के नाम बताते हैं। जो गाड़ी वाले बाहर के थे उनका पता नहीं है कि गाड़ी वाले ले गए, जबरदस्ती ले गए, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो आप अब अन्दाज करिये कि सारा का सारा पत्थर मकान बनाने के लिए लोगों को नहीं मिले तो मैं समझता हूँ कि इस ठेकेदारी की प्रथा को जिससे हमारे कर्मचारियों में बुरी भावनायें आती हैं जिसके कारण उनको भ्रष्ट किया जाता है उसको समाप्त कर देना चाहिए और उससे भी कर्मचारियों का बचाव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ठेकेदारी प्रथा को बिलकुल ही समाप्त कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो। उससे परेशानी जरूर होगी कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वह इकट्ठा नहीं आ सकता। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जितने भी आपके टैक्स हैं वह कलेक्ट करा कर इस समस्या को सुलझा सकते हैं। इससे धौलपुर के लोगों को और उसके आसपास के इलाके के लोगों को पत्थर मिलेगा और कई मजदूरों को भी रोजी मिल जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में मेरे कई कटौती के प्रस्ताव हैं और उन सब प्रस्तावों को मैं एक साथ प्रस्तुत करती हूं। मैं सबसे पहले अपने प्रस्ताव नं० १० के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करती हूं। मेरे यह प्रस्ताव भूसम्पत्ति का सर्वेक्षण कर उसकी समुचित विकास की योजना बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारी भूसम्पत्ति हमारी आर्थिक योजना का एक बहुत बड़ा आधार है। यह कहने या यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान की धरती की गोद में बहुत बहुमूल्य पदार्थ हैं और यह भी हम जानते हैं कि न केवल हमारे प्रान्त बल्कि हमारे प्रान्त के बाहर सारी पूंजी को इधर से उधर करने वाली व्यापारिक प्रतिभा भी अधिकतर राजस्थान की भूमि की ही मानी जा सकती है। तो कोई कारण नहीं है कि हम इस भूसम्पत्ति का विकास करके अपने प्रान्त का बहुत बड़ा उपयोगी कार्य कर सकते हैं। भूसम्पत्ति या हम अपने खनिज विभाग का विकास करके बहुत तरह से लाभ उठा सकते हैं। पहले तो यह कि जो खनिज विभाग की बहुमूल्य सम्पत्ति है वह उपलब्ध हो सकती है और उसकी उपलब्धि से हमें बहुत कुछ साधन और सामग्री मिल सकती हैं। इसके अलावा खनिज विभाग के साथ ही साथ हमारी बेकारी की समस्या जो हमारे सामने आज बहुत भयंकर रूप में है वह भी बहुत अंशों में इससे हल हो सकती है। क्योंकि हम खानों में या खनिज विभाग के कामों में बहुत सारे लोगों को लगा सकते हैं। देखा तो अध्यक्ष महोदय, यह भी गया है कि अधिकतर मज़दूर लोग या जो छोटी छोटी

(डॉ० चन्द्रकला)

खानें हैं और जो आधे समय तक काम करने वाले किसान हैं या ऐसे क्षेत्र में जहां एक ही फसल होती है तो एक फसल तो वह कर लेते हैं और बाकी समय बेकार रहते हैं तो वह आसपास की खानों में काम करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं और उनको काम मिल सकता है। तो खनिज विभाग जहां एक ओर अपनी खनिज सम्पत्ति में वृद्धि कर सकता है दूसरी ओर हम बेकारी की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारा खनिज विभाग बहुत विकसित रूप में काम करता है तो हमारी विदेशी मुद्रा की भी समस्या हल हो सकती है क्योंकि हमारे यहां आइरनकोर है, माइका है, जिसकी बहुत बड़ी मांग विदेशों में है और हम विदेशों में इन्हें भेज कर बहुत सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बहुत बड़ा योग दे सकते हैं, यदि हम इस ओर ध्यान दें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सरकार इस मामले में उदासीन सी मालूम होती है। जहां तक मुझे मालूम है हमारी सरकार एक बहुत अच्छे तरीके से सर्वेक्षण नहीं करा सकी है कि हमारे यहां क्या क्या चीज़ें कहां कहां उपलब्ध हैं और किस किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है। सबसे पहले आवश्यकता हमारे सामने यही है कि पूरे प्रान्त का सर्वेक्षण किया जाये उसकी सर्वे की जाये, उसकी जांच की जाये और जानकारी की जाये कि कहां कहां किस किस तरह का खनिज पदार्थ उपलब्ध है। फिर उसका विकास किस किस तरह से किया जा सकता है, अपने साधनों से दूसरे साधनों को लगा कर फिर उसके हिसाब से उसके विकास की योजना बनाई जाये, तब हम आगे चल कर इसका बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। इस दृष्टि से मैंने अपना यह प्रस्ताव रखा है। लेकिन जैसा कि इस बजट को देखने से मालूम होता है १८ लाख रुपया खानों के विकास के लिए रखा गया है।

१ म० प०

और इसके साथ ही जिस समय खदानों के पर्यवेक्षण कार्य के लिए करीब डेढ़ लाख रुपया रखा गया है; बजट को देखने में मुझे एक बहुत बड़ी कमी मालूम होती है। वह यह मालूम होती है कि हम सब जानते हैं कि खानों का काम, भूगर्भ का काम ऐसा है जिसको केवल अधिकारी वर्ग यानी प्रशासकीय वर्ग नहीं चला सकता है। उसके लिए टैक्निकल हैण्डस की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बजट में टैक्निकल हैण्ड्स या टैक्निकल कर्मचारियों का जो वेतन आदि रखा गया है वह बहुत थोड़ा है। वह मामूली मज़दूरों से कुछ ऊंचा उठा कर रखा गया है और यही कारण है जैसा कि यहां सदन में कई बार, प्रश्नोत्तर काल में मालूम पड़ता है कि हमारा खनिज विभाग इसलिए विकसित नहीं हो पाया है कि हम पूरे टैक्निकल हैण्ड प्राप्त नहीं कर सके हैं, नहीं रख सके हैं। यानी माइन्स विभाग के बजट को देखने से मालूम पड़ता है कि जहां पर एक ऐसे टैक्निकल हैंड की ज़रूरत है वहां पर उनको एक कर्मचारी के रूप में रखा है और वेतन वगैरह बहुत निम्न स्तर का रखा है जबकि होना यह चाहिये कि अच्छे से अच्छे टैक्निकल हैण्ड को ढूंढकर उनकी पूरी पूरी सेवाओं का उपयोग करना चाहिये और इस तरह से उनको वेतन व अलाउन्स देने की व्यवस्था करना चाहिये, जिसका इस बजट में कोई

Page No.49

(डॉ० चन्द्रकला)

कदम उठाया हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है।

इसके साथ ही बजट में जो कुछ खनिज पर्यवेक्षण के लिए जो राशि रखी गई है उससे मालूम पड़ता है कि सरकार ने इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। बजट का एक बना हुआ ढांचा है पहले का, पहले साल की मदों को देख लिया और उन मदों में थोड़ा रुपया रख दिया है। इससे मालूम होता है कि इस दिशा में बहुत विकास नहीं कर पाये हैं। इस दिशा में थोड़ी आवश्यकता हमें महसूस होती और अच्छी तरह से इस विषय में सोचते और थोड़ा मांगते तब उसी तरह से बजट बनाते।

इन शब्दों के साथ मैं फिर अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने इस प्रान्त की जो भूसम्पत्ति है जो कि पृथ्वी की गोद में पड़ी हुई है अविकसित अवस्था में, उसको विकसित करें जो बड़ी समृद्धि, बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा साधन जो कि अभी तक उपेक्षित पड़ा हुआ है उसका उपयोग करने के लिए ध्यान दें।

इस मांग के सम्बन्ध में मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव पुरातत्व के सम्बन्ध में है। यह हम सब जानते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में पुरातत्व के लिए क्षेत्र है। यहां पर बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भवन और सामग्री सब प्राप्त हैं जिनको यदि हम सुरक्षित रखें और सुरक्षित रख कर जनता के उपयोग में लायें तो हम अपनी बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं। पुरातत्व विभाग इस इस तरह का काम करता है। यहां एक पुरातत्व विभाग पहले था, जो अब जोधपुर चला गया है। उस पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत हम देखते हैं कि वहां बहुत सारी ऐसी सामग्री है साहित्य के रूप में, हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में, उसको सुरक्षित करें। न केवल सुरक्षित रखें, सुरक्षित बसने और बस्तों में बांध कर रख सकते हैं और बजट में बहुत बड़ी राशि उन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए रखी गई है। उसको सुरक्षित रखने का तरीका केवल कीड़ों से बचाना ही नहीं, लेकिन संस्कृति की दूसरी ओर इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको सुरक्षित करने का दूसरा तरीका यह है कि उनको आधुनिक साधनों के साथ प्रकाशित किया जाय, उनको प्रकाश में लाया जाय, उनको संसार के उपयोग लायक बनाया जाय और उपयोग में आकर फिर वह परम्परा से सुरक्षित रहे लोगों के विचारों में और लोगों के उपयोग में आकर वह सुरक्षित रहे। इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में एक कटौती प्रस्ताव है कि एक बहुत अच्छी रिसर्च लाइब्रेरी की स्थापना के सम्बन्ध में है।

१.४ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पुरातत्व विभाग के अन्दर एक सुन्दर और अच्छी सी रिसर्च लाइब्रेरी हो और उस लाइब्रेरी के अन्तर्गत जितनी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ग्रंथ हस्तलिखित ग्रन्थ हैं, पुरानी मूर्तियां या दूसरी चीज़ें होंगी वह रखी जायं। वह लाइब्रेरी जनसाधारण के लिए खुली हुई हो और जिस किसी का भी हमारे इतिहास, संस्कृति, धार्मिक परम्पराओं, इन सब बातों की ओर ध्यान आकृष्ट होगा, उनको सुविधा वहां पर मिले। इसके लिए

Page No.50

(डॉ० चन्द्रकला)

यह आवश्यक है कि सरकार अपने पुरातत्व विभाग को संगठित करे और विकसित करे। निश्चय ही पुरातत्व विभाग को विकसित करने की ओर हमारी सरकार प्रयत्नशील है और उस दिशा में थोड़े बहुत कदम भी उठाये भी हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पुरानी २ चीज़ें, जो धार्मिक ग्रन्थ, हस्तलिखित भोजपत्रों और ताड़पत्रों में और अन्य तरीके से पड़े हुए हैं, ऐसे ग्रंथों को प्रकाशित करें, उनको जनता के सामने लाया जाय, नये रूप में लाया जाय, आज कल की जनता के लिए सर्वसाधारण के लिए वह सुलभ करें, इसकी आवश्यकता है। इसके लिए मैंने यह सुझाव दिया है कि एक सुन्दर रिसर्च लाइब्रेरी पुरातत्व के अन्दर रखी जाय तो अधिक अच्छा रहे।

हमारी सरकार अजायब घरों के विकास के लिए भी प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है और स्वयं जयपुर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में जो कि पहले छोटी छोटी रियासतों की राजधानियां थीं, वहां पर अजायबघर थे और वे अजायबघर अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। जहां तक जयपुर के अजायब घर का सम्बन्ध है, इस अजायब घर की बहुत अच्छी सुरक्षा और अच्छी देखभाल तथा अच्छी सम्हाल हो रही है। इसके अलावा और दूसरी दो एक जगह अजायब घर हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान देती है। जो छोटे छोटे अजायबघर हैं उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान के बड़े शहरों में अच्छे अच्छे अजायबघर रखे जायं और जो वहां के स्थानीय महत्व की चीज़ें हैं तथा उनके साथ साथ प्रान्त की दूसरी प्रदर्शनीय चीज़ें हैं, उनका भी वहां पर प्रदर्शन हो, क्योंकि सब लोगों के लिए यह नहीं हो सकता है कि दूसरे प्रान्तों के लोग, दूसरे देशों के लोग, जो ट्युरिट्स की दृष्टि से आते हैं उनके लिए केन्द्र और राजधानी में अजायबघर ठीक हो सकता है। उससे इस प्रांत का गौरव बढ़ सकता है, लेकिन सरकार के लिए और आम जनता के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या दूसरे लोगों के लिए राज्य की मुख्य मुख्य जगहों पर बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे अजायबघर भी सुन्दर ढंग से रखें तो ज्यादा अच्छा हो। इन सब दृष्टियों से मैंने अजायबघर के विकास के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव रखा है और इसके द्वारा मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दे। एक बड़े अजायबघर को बनाये रखें उसकी सुव्यवस्था, सारी देखभाल रखें, सम्हाल रखें, यह तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ प्रान्त में कई जगह कम से कम डिविज़नल हैड क्वार्टर्स में इस तरह के छोटे छोटे अजायबघर रखें और उन अजायबघरों के साथ और भी इस तरह की यहां की चीज़ें हैं, दूसरी मूर्तियां वगैरह, दूसरी चीज़ें रखी हुई होती हैं, इस तरह की आयोजना कर सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पुरातत्व विभाग या अजायब घर वाली दूसरी चीज़ें हैं यह बहुत पुराने काल की संस्कृति की रख सकने की विशेष बातों को और तथा वैज्ञानिक विभाग के अन्दर जो कि विज्ञान की उन्नति और पदार्थों के उद्भव और विकास के लिए, उनकी ओर से सरकार को निश्चय ही उदासीनता को छोड़ना चाहिये और इनके विकास के अन्दर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण होरात

(अनुपस्थित)

श्री धन्नालाल हरित

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत पुरातत्व विभाग की कोटा ज़िले के लिए उदासीनता पर विचार करने के लिए, मैंने एक कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है :

"मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जांवे (पुरातत्व विभाग की कोटा ज़िले में उदासीनता पर विचार करने के लिए ।)"

उक्त प्रस्ताव में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि पुरातत्व विभाग कोटा ज़िले की बहुत ही पुरानी और कला की उत्कृष्ट इमारतों के बारे में बिल्कुल उदासीन है ।

किशनगंज तहसील में बिलास चौदहवीं शताब्दी का बहुत पुराना गांव है, जहां पर भारत की सर्वोत्तम कलाकृति का नमूना है लेकिन वह गांव दिन ब दिन उजाड़ होता जा रहा है । वहां की सारी मूर्तियां इधर उधर बिखर चुकी हैं लेकिन पुरातत्व विभाग ने अब तक उस तरफ कत्तई ध्यान नहीं दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर पुरातत्व विभाग ने और थोड़े दिन इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वह हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम कला नष्ट हो जानेवाली है । दूसरा इसी किशनगंज तहसील में रामगढ़ गांव में एक बहुत पुराना वाम मार्गियों का १३ वीं शताब्दी का चन्द्रदेवरा का मन्दिर है वह तात्कालिकसंस्कृति का पूर्णतः प्रतिबिम्ब है, वह भी बहुत जीर्ण अवस्था में है यदि उसकी तरफ पुरातत्व विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान में अब तक किसी भी अवस्था में यह मन्दिर बच गया है, वह खत्म हो जायगा ।

दूसरी बारां तहसील में बारहवीं शताब्दी की एक इमारत का अवशेष इस समय भी मौजूद है । सन् ४६ में उक्त इमारत को म्युनिसिपल बोर्ड से लेने के लिये और पुरातत्व विभाग को सुपुर्द करने के लिये सरकार की ओर से आदेश हुआ था और उसके अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार को सौंप दिया था । लेकिन उसके बाद उस इमारत की जो दुर्दशा हुई है वह बहुत सोचनीय है । पी. डब्ल्यू. डी. ने इसकी बहुतसी पटियां निकाल ली हैं और जो मरम्मत और देख रेख पहले म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा होती थी उससे भी वंचित हो गई है । यदि पुरातत्व विभाग ने जरा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया तो १२ वीं शताब्दी की बहुत पुरानी इमारत जो है वह नष्ट हो जानेवाली है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पुरातत्व विभाग का इस इमारत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो इमारत नष्ट होने जा रही है उसको बचाया जाय और बारहवीं शताब्दी की सर्वोत्तम कलाकृति का नमूना राजस्थान में बच रहा है, उसकी रक्षा

Page No.52

(श्री धन्नालाल हरित)

की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कट मोशन्स हैं। एक तो है : To discuss the failure of the Government to develop on scientific lines the quarries in district Jodhpur.

और दूसरा है : To discuss the failure of the Government in developing gypsum deposits.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत मानी हुई चीज है कि हमारे यहां ऐसे कई उद्योग जो हिन्दुस्तान के आजाद होने से पहले से चल रहे हैं और उस वक्त से जिनकी नींव राजाओं के हाथ से लगी हुई थी या किसी तरह से उस वक्त शुरू हो गया था आजादी से पहले, उनको हम किसी तरह से आज आधुनिक रूप नहीं दे पाये हैं, जिससे हमारी आजादी के बाद नये गवर्नमेन्ट ने जो हिसाब और सिस्टम डेमोक्रेटिक है या प्लान या योजना से उसमें फर्क किसी तरह का पड़ा हो। अब मैं अर्ज करूंगा कि जोधपुर में फिर दूसरी खानियां हैं वे पत्थर के लिये राजस्थान ही क्या सारे हिन्दुस्तान में मशहूर हैं...

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I think it is present by incoming of Hon'ble Shri Narottamlal Joshi.

श्री अनोपसिंह : यह मानी हुई चीज है कि यह जोधपुर का पत्थर दो तरह का निकलता है एक तो लाल और दूसरा पीला। इस पत्थर की बिल्डिंग्ज राजस्थान में ही नहीं, बल्कि बोम्बे, कलकत्ता, करांची तक में बनी हुई हैं। इस पत्थर को वहां पर ले जाया गया है और इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं। इस खान की वजह से करीब करीब १० हजार मजदूर अपनी जिन्दगी निकालते हैं, अपना निर्वाह करते हैं और ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से अपना गुजर इस पर कर रहे हैं और इस उद्योग से उनको लगाव है। फिर भी मैं देखता हूं कि आज से १० वर्ष पहले जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था उस वक्त जो सिस्टम पत्थर निकालने का था वह आज भी है। उसमें हम किसी भी तरह से आधुनिकता नहीं ला पाये हैं। कई जगह हम मशीनें लगा सकते थे, पत्थर को नीचे से ऊपर लाने के लिये क्रेन्स लगा सकते थे। मेरे ख्याल से आज तक वहां पर कोई मशीन नहीं लगी हुई है। राजाओं के जमाने में वहां पर क्रेन्स लगी हुई थीं जो ऐसे बड़े पत्थर को जिसको १०-२० इन्सान ढोकर आज ऊपर लाते हैं और लेबर की एनर्जी वेस्ट होने का जो अन्दाज होता है उसको मिटाने के लिये वहां पर क्रेन लगी हुई थी। मैं यह मानता हूं कि जिस तरह से मशीनों का प्रयोग बढ़ेगा शायद उसकी वजह से लेबर को उतना ही निकम्मा और बेकार होना पड़ेगा, पर ऐसे कई धन्धे हैं जिनमें तो कम से कम मशीनों का हमें उपयोग करना ही पड़ेगा, या मशीनों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। वहां पर पहले बड़े बड़े पत्थरों को ढोने के लिये क्रेन्स लगी हुई थीं उनको आज वहां से हटा लिया गया है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि

(श्री अनोपसिंह)

गवर्नमेन्ट ने इस पर अपने तरीके से या आधुनिक तरीके से इस तरह की कोई चीज नहीं की है। जो पत्थर पहले हथोड़े से निकाले जाते थे या जो पहले का तरीका था वही आज भी है। इसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेन्ट की चीज़ नहीं हुई है। अभी जिस तरह से पत्थर निकाला ज़ाता है शायद उसमें वेस्टेज भी बहुत होता होगा। मशीनों से काम लिया जाने से उसमें सफाई भी अधिक आ सकती है और खूबसूरती भी आ सकती है। जिस तरह का मजदूरों का यह उद्योग है उसकी तरफ गवर्नमेन्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया है जिसकी वजह से यह कह सकें कि मजदूरों को सहायता देने के लिये या उद्योग को बढ़ाने के लिये किसी तरह का कदम उठाया गया हो। यहां तक कि पीने के लिये पानी तक की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां पर उनके लिये कोई केन्टीन नहीं है या इस तरह की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि कोई तरक्की हुई है। हमारी गवर्नमेन्ट रॉयल्टी वसूल करती है। वह रॉयल्टी वसूल करने की एजेन्सी के सिवाय यह कहने की पोज़िशन में नहीं कि हमने मजदूरों से टैक्स, ठेका, या रॉयल्टी के रूप में लिया उसमें से इनको कुछ वापिस भी दिया। यहां तक कि वहां से कचरा या मलबा हटाने का जो आश्वासन दिया था उसको भी शायद अब तक पूरा नहीं किया है। इसलिये मैं इसको सदन के सामने रखता हुआ माननीय मंत्रीजी से उम्मीद करूंगा कि ऐसी खानियें जिनका पत्थर शायद सारे हिन्दुस्तान में जाता है और उससे बिल्डिंग्ज बनती हैं और बिल्डिंग स्टोन के लिहाज से जितनी इसकी इम्पोर्टेन्स या जितना इसका महत्व है तथा जिस तरह का पत्थर हिन्दुस्तान में बहुत कम निकलता होगा वह खासकर जोधपुर की बहुत मानी हुई इन्डस्ट्री है। मेरे ख्याल से जयपुर में जितने बिल्डिंग्ज बनते हैं उनमें किसी न किसी तरह की कोई न कोई चीज वहां से लाये बिना शायद बिल्डिंग्ज नहीं बनती होगी, उसको इस तरह से छोड़ रखा है और कोई दिलचस्पी नही ली जाती उसके लिये मेरा यह कटमोशन है। इसकी ओर ध्यान दिया जावे और आधुनिक तरीके से इसको डवेलप किया जाय वरना यह पिछड़ी हुई रह जायगी।

दूसरा मेरा कट मोशन है जिप्सम् खानों को डवेलप न करने के बारे में। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि बाड़मेर के पास कवास नाम का स्टेशन है, जहां हजारों लाखों टन जिप्सम निकलता है, वह जिप्सम फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए सिन्दरी तक जाता है। वह रॉ मेटिरियल वहां से जाता है, वह रॉ मेटेरियल जिस जिस काम में आ सकता है, सिवाय इसके कि उसे बाहर भेजा जाता है, किसी और तरह से काम में नहीं लिया जाता है। यह हमारी राजस्थान सरकार की सुस्ती है, या अदूरदर्शिता है, या अकर्मण्यता है, कुछ भी कह लीजिये, जो इन्डस्ट्री हमारे खुद के प्रान्त में डवेलप हो सकती है और जिस मेटिरियल से डवेलप हो सकती है, वह मेटिरियल मौजूद है, उसे यहां काम में न लेकर फर्टीलाइज़र फैक्ट्री सिन्दरी तक भेजते हैं, यह मेटेरियल यहां से वहां तक जा सकता है, इतना रेल्वे फ्रेट लग सकता है, उससे इतनी महंगी चीज वहां पड़ सकती है और जो चीज फर्टीलाइजर फैक्ट्री से निकलेगी वह इतनी महंगी हो सकती है, इस बारे में गवर्नमेंट ने कभी नहीं सोचा। जो बाड़मेर का

(श्री अनोपसिंह)

इलाका है, वह उद्योग के लिहाज़ से, खनिज के लिहाज़ से, इन्डस्ट्रीज के लिहाज़ से काफी पिछड़ा हुआ है, वहां के लोग बेकार हैं, उनके लिए कुछ विचार किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि इसके अन्दर सबसे पहला प्रश्न आयेगा कि साहब, वहां पानी कहां है, बाड़मेर में पानी कहां है ? मैं अर्ज कर दूं कि वहां से तिलवाड़ा फेअर का साइट है, वह कवास से दूर नहीं है, दो तीन स्टेशन के बाद में कवास आ जाता है, वहां पर तिलवाड़ा का मेला लगता है। वहां पर एक नदी बहती है। वहां पर सोसेंज टेप किये जाय तो मैं यह किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वहां पानी नहीं निकलेगा। अगर वहां कई ट्यूब वैल्स बोर किये जाते हैं तो वहां पर पानी पूरी पूरी मात्रा में मिल सकता था। इतना मिल सकता था कि आस पास की पानी की आवश्यकता को पूरी कर दे, इन्डस्ट्री को चला दे, इन्डस्ट्री की वजह से हजारों आदमियों को धन्धा दे दे, रोजी दे दे। मेरे ख्याल में हमारी राजस्थान सरकार ने इस बात को नहीं सोचा है। बाड़मेर का पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर कोई उद्योग नहीं है, बेकार लोग बैठे हैं, अकाल की समस्या हरदम सिर पर मंडराई रहती है, हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल अकाल पड़ता है। इसलिए वहां बेकारी को मिटाने के लिए, अकाल की स्थिति को सुधारने के लिए, वहां के लोगों के आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार की उदासीनता और अकर्मण्यता की वजह से बाड़मेर का इलाका उसी तरह से पिछड़ा हुआ है, जिस तरह कुछ वर्षों पहले था। मैं जोर के साथ कह सकता हूं कि वहां पर इन्डस्ट्री को सुधारा जा सकता है, वहां पर पानी निकाला जा सकता है, इन्डस्ट्री को डवेलप किया जा सकता है, बशर्ते कि हमारी गवर्नमेंट में एमेजीनेशन हो, दूरदर्शिता हो, तब ही कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष, जो मेरे कटौती के प्रस्ताव थे, वे सुझाव के रूप में थे। मैं समझता हूँ, सुझाव के रूप में गई बार भी यही की यही बातें बाड़मेर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसे सुधारने के लिए, इन्डस्ट्री को कायम करने के लिए, कही थी। इसके साथ ही जो बहुत सी इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिलाया था, उन पर विचार नहीं हुआ है। जिप्सम की तरफ अब आपका ध्यान दिला रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष तक इस सम्बन्ध में आप विचार कर सकेंगे। चर्म उद्योग, जिप्सम फैक्ट्री के बारे में कार्यवाही की जा सकती है। रॉ मेटिरियल वहां मिलते हुए, मज़दूर मिलते हुए, लेबर मिलते हुए, वहां की हालत को सोचते हुए, गवर्नमेंट ने यह सोच कर कि यह तो विरोधी पक्ष का एरिया है, वहां इन्डस्ट्री बनाने पर गौर नहीं किया, उसे छोड़ दिया, यह बदकिस्मती की बात है। अगर इसलिए छोड़ दिया कि किसी ने सुझाव नहीं दिया है, तो यह बात नहीं हो सकती है कि किसी ने सुझाव न दिया हो। डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में कई बार इसकी चर्चा हुई है। उनके बारे में मंत्री महोदय जांच करें और यह पता लगावें कि वहां डवेलपमेंट हो सकता है या नहीं। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरज मल।

श्री सूरज मल (फलौदी-सु.) : मान-

(श्री सूरजमल)

नीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी कटौती का प्रस्ताव इस वैज्ञानिक विभाग पर है। जैसे कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य श्री अनोप सिंह ने, आपके द्वारा, सदन में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं भी मेरे विचार, इस सदन में, आपके द्वारा, जोधपुर फिटूसर पत्थर की खानों के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर फिटूसर पत्थर की खानों की संख्या करीब करीब ८०० है और मान लीजिये, करीब करीब उनके अन्दर मजदूरों की संख्या १० या १५ हजार की तादाद में है, जो कि मौजूदा कुछ खानों के अन्दर मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय,जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खानों की संख्या आज करीब करीब ८०० की तादाद में होते हुए भी आज तक हमारी सरकार ने उन खानों पर कुछ विचार नहीं किया। उन खानों की हालत, जो पहले राजाओं के समय में थी, उससे भी बिगड़ी जा रही है और उन खानों की हालत मलवा और कचरे के कारण दिन पर दिन गिरती जा रही है लेकिन हमारी सरकार ने जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खानों पर कोई विचार नहीं किया। माननीय उपाध्यक्षजी, जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खानों की प्रत्येक खान पर, प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टर से, प्रत्येक खान मालिक से मलवा हटाने के लिए २०० रुपये जमा कराये जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जो प्रत्येक जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खान के मलवे को हटाने के लिए २०० रुपये प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टर से जमा कराये जाते हैं, वह रुपया किस काम में लिया जाता है। आज जब जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खानों के बारे में आपने कोई विचार नहीं किया, तब वहां की हालत दिन पर दिन मलवे के ज्यादा बढ़ने की वजह से बिगड़ती जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में आज जोधपुर फिटूसर की पत्थर की खान एक मुख्य उद्योग धन्धा है, लेकिन हमारी सरकार ने उन खानों पर आज तक कोई विचार नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा माननीय उद्योग मंत्री जी भी वहां पधारे थे। मुझे तारीख याद नहीं, मगर मैं यह कह सकता हूं कि शायद जून १९५७ में माननीय मंत्री जी ने भी मौजूदा मौके को देखा था और खानों के ठेकेदारों को, खानों के मालिकों को आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इन खानों के मलवे को हटाये जाने की व्यवस्था इस साल के अन्दर की जायगी लेकिन आज तक हमारी सरकार ने उन खानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह भी कहूंगा कि मैंने आगे इस सदन के अन्दर एक दो दफा मलवा हटाने की व्यवस्था करने के बारे में प्रश्न भी पेश किये थे लेकिन माननीय मंत्री जी की ओर से मुझे कोई खास उत्तर नहीं मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी की ओर से एक लिस्ट दी गई, उस लिस्ट के अन्दर मैंने खास बात देखी कि जोधपुर फिटूसर पत्थर की खानों की संख्या कुल ७३२ बताई गई है, इस लिस्ट के अन्दर। मेरी जानकारी के अनुसार कुल खानें कम बताई गई हैं, इसके साथ ही ठेकेदारों की संख्या ४५० बताई गई, खान के मालिकों की संख्या ४५० बताई गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनमें शिड्यूल्ड कास्ट के ठेकेदारों की संख्या ४८ ही है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रत्येक खान से २०० रुपये मलवा हटाने के लिए सरकार

Page No.56

(श्री सूरजमल)

द्वारा एडवान्स के रूप में जमा करवाये जाते हैं, वह रुपया किस काम में आता है। इसके साथ ही मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारी सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट को कई प्रकार की सुविधायें दे रखी हैं। तो इस किदूसर की खान के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वे लोग पत्थर का काम जानने वाले हैं, और यदि समझा जाय तो यह पत्थर का काम उन्हीं का निजी मुख्य उद्योग है। यह उद्योग खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का ही है जो कि पत्थर का काम अच्छी तरह से जानते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई व्यक्ति किदूसर पत्थर की खान लेना चाहे तो २०० रुपये मलवा हटाने के नाम से जमा किये जाते हैं, इन दो सौ रुपयों के जमा कराने की उसको छूट दे दी जानी चाहिये ताकि वह आसानी से इस खान को ले सके। उससे २०० रुपया जमा नहीं किया जाय, तो वह आसानी से ले सकता है नहीं तो वह इधर उधर से नम्बर ढूंढ कर लाता है और एप्लाई करता है तो १५, २० रोज के अन्दर उसके पास इत्तला आती है कि २०० रुपये मलवा हटाने के लिये जमा कराये जाय। वह बेचारा दौड़ धूप करता है और इस तरह दौड़ धूप करने के बाद भी पैसे उसके हाथ नहीं आते हैं और इस तरह उसको खान नहीं मिलती है। इस लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि किदूसर की खानों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति खान लेना चाहता है तो उनसे २०० रुपया नहीं लिया जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक खान मालिक से २०० रुपया जमा कराये गये हैं, वह सब रुपया मलवा हटाने के लिये खर्च किया जाना चाहिये। पर कई दफा मन्त्री महोदय वहां पधारे पर आज तक उन खानों के ठेकेदारों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रत्येक खान मालिक से दो दो सौ रुपया एडवान्स जमा करवाये गये हैं, उन रुपयों को या तो मलवा हटाने के लिये व्यवस्था में खर्च किया जाय, या, उन खान के मालिकों को वापिस लौटा दिये जाय और यदि प्रत्येक खान पर मलवा हटाने के २०० रुपया जमा कराने का क़ानून रखें तो वहां से मलवा हटाने की भी व्यवस्था करें और जोधपुर किदूसर की खान यदि कोई शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति लेना चाहता है तो उनको यह २०० रुपया जमा कराने से छूट दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष रख रहा हूँ, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि मैंने एक कटौती का प्रस्ताव पुरातत्व विभाग के आधीन डीग के भवनों की स्थिति पर विचार करने के लिये दिया था, पर मुझे यह कह कर आपके सचिवालय ने उसे पेश नहीं करने दिया, कि यह मामला राजस्थान सरकार का न हो कर केन्द्रीय सरकार का है, पर आज ही प्रश्नोत्तर काल में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने बताया कि नहीं, अभी वे भवन राजस्थान सरकार के अन्तर्गत हैं और पी० डब्लू० डी० देख भाल कर रही है और अभी केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि उस कटौती प्रस्ताव पर जो मैंने डीग

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के भवनों पर पेश किया है बोलने की आज्ञा प्रदान करें:—

श्री उपाध्यक्ष : उस पर आप संकेत दे सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संकेत कुछ भाषण ही के साथ तो।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण तो पूरा नहीं हो पायेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सुझाव तो आयेंगे ही।

श्री उपाध्यक्ष : हां, संकेत के रूप में।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि हमारे सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को पता होगा कि राजस्थान में जिस प्रकार अन्य कितने ही ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थान हैं, उनमें डीग के भवन भी हैं। डीग के भवनों के बारे में संक्षेप में बता दूँ कि वहां एक भवन नहीं कई भवन हैं, जिनमें से एक शीश महल है, जो कि खालिस संगमर्मर के का बना हुआ है, जिनके बारे में आज नहीं पहले से ही यह धारणा रही है, कि ताजमहल के बाद में वही ऐसा दूसरा स्थान है, जहां एक साथ इतने संगमर्मर पत्थर एक मकान में लगे हुए हैं, वहां कांच भी लगे हुए हैं, रंग-बिरंगे पत्थर लगे हुए हैं और वहां की वस्तु कला काफी दर्शनीय और प्रशंसनीय रही है। यदि सदन के माननीय सदस्य और मन्त्री महोदय, भी आज उस भवन को जा कर देखें, तो पता चलेगा कि आज उस भवन की बड़ी दुर्दशा हो रही है, राजस्थान सरकार के पास, उन भवनों के आने के बाद जितनी देख रेख होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। आज मुझे यह बताया गया है कि वे भवन केन्द्रीय सरकार की देख भाल में जाने वाले हैं इस लिये राजस्थान सरकार उनकी देखभाल नहीं करती। इस उत्तर से तो ऐसा लगा कि राजस्थान सरकार उनके महत्व को अनुभव नहीं करती और इसी लिये शायद वहां देखभाल की आवश्यकता भी नहीं समझती है।

तो एक ओर शीशमहल को देखा जाय तो उसके कितनेही बहुमूल्य पत्थर धीरे धीरे निकल चुके हैं, टूट चुके है और संगमर्मर बहुत ही बुरी हालत में हो रहा है और दूसरे अच्छे अच्छे पच्चीकारी के काम हैं उनकी भी हालत बहुत खस्ता हो रही है। वहां एक गोपाल भवन है वह बहुत ही विशालकार्य भवन है परन्तु उसमें से भी बहुत सी ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं और पत्थर गिर चुके हैं बर्बाद हो चुके हैं। एक वहां नन्द भवन हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब हो रही है। वहां सावन भादों भवन हैं, जिसमें किसी जमाने में कहते हैं ऊपर जा कर किसी भी महिने में जायं तो बादल गरजते हुए सुन सकते थे। ऐसा पुराना प्राकृतिक विज्ञान उसमें लगा हुआ है उसमें एक पत्थर का गोला डाला हुआ था जिसमें पानी भर देने पर गोला उसके चारों ओर घूमता था और वहां बादलों की गड़गड़ाहट के समान आवाज होती थी। तो इस प्रकार की पुराने प्राकृतिक विज्ञान की वस्तु वहां है, वह सावन भादों भवन हैं, कितनी ही जगह से टूट रहा है, गिर रहा है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हजारों ही फव्वारे लगे हुए हैं, न

Page No.58

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मालूम कहां कहां से गुप्त नालियां डाली हुई हैं पर सारी की सारी शिल्टेड हो गई हैं। खास तौर से एक हौज जिसके बारे में आज कल के वैज्ञानिक चकित हो जाते हैं कि भवन की छत पर बना हुआ इतना बड़ा हाल है और उस हौज़ में ६०००० साठ हजार गैलन पानीभर जाता है। राजस्थान बनने के बाद वहां देखभाल नहीं होती हैं, इस कारण इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है।

इस लिये मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि जब तक राजस्थान सरकार के हाथों में ये भवन टिके हुए हैं, जब तक केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित नहीं किये जाते, ठीक है कि ये केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित किये जायेंगे पर अभी तो राजस्थान सरकार के हाथ में हैं, वे राजस्थान सरकार के गौरव की चीजें हैं, उन पर राजस्थान सरकार गर्व कर सकती है, इनकी अच्छी तरह देख भाल की जानी चाहिये। आज हम ट्युरिस्ट्स से चाहते हैं कि वे हमारे यहां की चीजें देखें, चित्तौड़ का किला, आमेर का किला, हवामहल इत्यादि को ट्युरिस्ट्स देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यदि राजस्थान सरकार डीग के भवनों का भी उसी प्रकार से प्रचार करे, जिस प्रकार यू०पी० सरकार ताजमहल का प्रचार करती है, तो इन्हें देखने के लिये भी ट्युरिस्ट्स अधिक तादाद में आ सकते हैं। पर आज तो इन भवनों को देख कर दुःख होता है कि उनकी जितनी देखभाल होनी चाहिये वह भी नहीं होती, जैसा प्रश्नोत्तर काल में बताया, अभी २०, २५ दिन पहले ही मैं देख कर आया हूं, वहां दीवारों पर जाले जमें हुए हैं, जगह जगह से टूट रहे हैं, मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर काल में पूछा था कि क्या इनकी राजस्थान सरकार की तरफ से देख-भाल नहीं की जाती, तो यहां मैंने कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पेश किया तब तो कहा गया कि इसे केन्द्रीय सरकार को दे दिया है, पर आज प्रश्नोत्तर काल में मुझे यह कहा गया कि दिया नहीं है, दिया जा रहा है लेकिन उन्होंने कहा कि दे दिया है। तो मैंने कहा कि केन्द्रीय सरकार का भी तो कोई आदमी या अधिकारी वहां रहता होगा। तो मुझे कहा गया कि कोई रहता तो है, कोई मुंशी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन भवनों को न केन्द्रीय सरकार देखती है और न हमारी राजस्थान सरकार, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आज कितनी ही जगह ऐसी हैं और मेरा यह विश्वास है कि आज उन स्थानों की ठीक तरह से देखभाल नहीं हो रही है और अगर उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं की गई तो शायद ऐसे पत्थर जो बड़े और बहुत भारी हैं शायद उनको कोन भी आज उठा नहीं सकेगी, शायद उठा भी लें, पुराने समय में आदमियों की शक्ति से वे पत्थर लगाये गये थे, आज उन पत्थरों के गिर जाने के बाद उनका उठाना मुश्किल हो जावेगा। इसलिये इस पुरातन महत्वपूर्ण स्थानों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और मैं कहता हूं कि सरकार इसके लिये जिम्मेदार है और हमारी सरकार यह कह कर जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती कि केन्द्रीय सरकार के कोई अधिकारी जल्दी ही इन स्थानों को लेने के लिये आ रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। यह तो ठीक वैसी ही बात है जैसे हम लोगों की आम धारणा होती है कि किसी के घर में लड़की पैदा हुई, सब जानते हैं कि लड़की दूसरे के घर जावेगी। जब वह दूसरे के घर

Page No.59

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जावेगी तो फिर क्या जरूरत है कि उसको हृष्टपुष्ट रखी जावे, इसको अच्छा खाना खिलाया जावे क्योंकि वह तो दूसरे के घर जावेगी। अगर राजस्थान सरकार इसी भावना से काम कर रही है कि भवन हमारे घर में रहने वाले नहीं है, उनका भार केन्द्रीय सरकार ग्रहण करेगी, इसलिये उनकी आज देखभाल की जरूरत नहीं है तो मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत याद दिलाना चाहता हूं कि जितनी उपेक्षा इनकी आजतक रही है अब नहीं रहनी चाहिये। अगर आप इनको भारत सरकार को भी दें तो भी आपको इसके लिये जिम्मेदार रहना चाहिये कि उसके टूट फूट की मरम्मत होनी चाहिये और आपको देखना चाहिये कि उसकी मरम्मत होती है या नहीं। ये स्थान राजाओं के निजी स्थान नहीं हैं। इनका जिस तरह से उपयोग होता रहा है वह प्रजा के और जनता के मनोरंजन के लिये होता आया है। आज कल भी उनका वही उपयोग होता है जिस समय गुसाइयों की यात्रा चलती है तीन दिन उनका पड़ाव रहता है और हज़ारों लोग वहां पर आते हैं और फव्वारे छोड़े जाते हैं और वहां एक बड़ा ही मनोरंजक दृश्य लगता है। भवन सब के लिये खुले होते हैं। सब लोग वहां पर आते हैं और देखते हैं। ऐसे लोगों के मनोरंजन के स्थानों की देखभाल सरकार ठीक से नहीं करती तो हमारी सरकार के लिये शोभा की चीज़ नहीं है। मैं इस आशा के साथ सरकार से निवेदन करूंगा कि जब ये भवन चले जावेंगे लेकिन अभी तक तो सरकार के पास ही हैं। जब तक नहीं जावें तब तक तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छी हालत में रखें। जिस समय केन्द्रीय सरकार को दे उस समय उनको अच्छी हालत में देंगे तो वे भी समझेंगे कि वहां का एक निर्माण विभाग है उसको भी इन भवनों की चिन्ता रही है। यदि आप उन्हें टूटी फूटी हालत में संभलावेंगे तो वे यह समझेंगे कि राजस्थान सरकार को भी इसकी चिन्ता नहीं रही और वह भी इनकी उपेक्षा करती रही है तो भारत सरकार के सामने तो पुरातत्व विभाग के बहुत से काम हैं, वह इनकी तरफ क्या ध्यान देगी। इसलिये हमारी राजस्थान सरकार को इस तरफ और भी अधिक ध्यान देना चाहिये। यह मेरा एक कटौती का प्रस्ताव भवनों के सम्बंध में है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय है, खनिज विभाग द्वारा दिये जाने वाले पट्टा प्रणाली पर विचार करने के सम्बन्ध में। इसमें अंग्रेजी में जिसे माइन्स एन्ड क्वेरीज़ कहते हैं दोनों आ जाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि राजस्थान की बहुत बड़ी सम्पदा में यह भी एक निहित है। जहां हम एक ओर भूमि से बहुत कुछ उत्पन्न करते हैं, जहां हम वनों से बहुत कुछ उत्पन्न करते हैं उसी तरह से हमारे राजस्थान में खनिज वस्तुएं भी अपना मुख्य स्थान रखती हैं और जितनी भी चीजें उत्पन्न होने वाली हैं यदि उनका ठीक तरह से उपयोग किया जावे तो राजस्थान सरकार की आय में वृद्धि हो सकती है और जनता के लिये जीविका का साधन उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जो भी इस समय व्यवस्था और स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि खानों के पट्टे कर दिये जाते हैं यह प्रथा बहुत दूषित है। भरतपुर में बयाना के आस पास कुछ गिटियें पट्टे पर दी गई और वहां पर मुझे बताया गया है कि

Page No.60

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जिस दफ्तर से उसका सम्बन्ध था, (कोटा से इसका सम्बन्ध था) वहां पर यह प्रथा रखी गई है कि जो कोई भी प्लॉट लेने वाले हैं, वहां पर प्लॉट सिस्टम से दिये जाते हैं। उसके लिये प्रार्थनापत्र दिये जाते हैं, जहां तक मुझे बताया गया है, अगर उसमें कोई गलती हो तो सम्बन्धित मंत्री महोदय उसे ठीक कर देंगे, उन्होंने बताया कि जिस वक्त आवेदनपत्र खोला जाता है उस समय जो आवेदनपत्र सबसे पहले अधिकारी के हाथ में आ जाता है, वही व्यक्ति समझ लिया जाता कि उस का अधिकारी है। ऐसी कोई प्रथा बताई है। मेरे समझ में नहीं आया। आवेदनपत्र तो किसी भी तरह से दे दिया जा सकता है। दस्ती भी दे सकते हैं, डाक द्वारा भेजा जा सकता है या किसी व्यक्ति के हाथ भी भेजा जा सकता है। अब जो पहले पहुंचे और अधिकारी के हाथ में आवे उसको प्रमाणिकता की दृष्टि से अधिकारी माना जाता है यह बात मेरे समझ में नहीं आई। यदि ऐसी बात है तो इसमें काफी गड़बड़ी होती है और आम तौर से लोग इस प्रथा को भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली बताते हैं। एक तो इसके बारे में शिकायत मिल रही है।

दूसरा यह भी बताया गया है कि पहले पत्थर तोड़ने वाले सड़कों का ठेका लेते थे और आम तौर से उन्हीं को पत्थर का ठेका मिला करता था। लेकिन आजकल उनको ठेका नहीं मिलता और दूसरे ठेकेदार ले लेते हैं और सड़कें बनाने वाले और दूसरे लोग उनसे पत्थर लेते हैं। उन पत्थरों का ठेका भी अजीब तरीके से होता है। ऐसा होता है कि पहाड़ के पहाड़ का ठेका दे दिया जाता है। एक तो पहाड़ कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। पहले खानें होती थी उनका ठेका दिया जाता था। परन्तु भरतपुर में नगर तहसील में रसिया की पहाड़ी का ठेका दे दिया गया। यह पहाड़ी तीन चार मील लम्बी होगी। जिस किसी व्यक्ति को ठेका मिलता है वह तो इस सारी पहाड़ी पर अपना अधिकार समझता है। इसके अलावा जो पहाड़ी का हिस्सा पंचायत क्षेत्र में आ जाता है उसके लिये यह नियम था कि जो हिस्सा पंचायत के क्षेत्र में आता था उसका फायदा पंचायत उठाती थी और गांव वाले मुफ्त में पत्थर ले सकते थे परन्तु जब पहाड़ी का ठेका दे दिया जाता है तो ठेकेदार एक तरह से उस पहाड़ी का मोनोपोलिस्ट हो जाता है। पहाड़ी का तो क्या यह तो तीन या चार मील होती है, मुझे यह बताया गया है कि तहसीलों का ठेका दे दिया जाता है। नगर तहसील का ठेका दिया। ठेका एक ही आदमी ले सकता है। मगर यह एक इस प्रकार की प्रणाली है जो आज के युग में ठीक मालूम नहीं होती। आज लोग एक हिस्से में ही ठेका लेना चाहते हैं और रहना चाहते हैं इसलिये लोग कम बिड लगाते हैं। वे लोग यह समझते हैं कि इतनी दूर कौन जावे मगर कुछ समय बाद कौन जानता है कि साल दो साल में वहां से होकर सड़क निकल जावे और वह सड़क के पास आ जावे और उसकी कीमत बढ़ जावे। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो ठेका है वह छोटे छोटे प्लॉटों में दिये जावें और इस रूप में दिये जावे न कि पूरी पहाड़ी के नाम से या तहसील के नाम से दे दिया जावे जिससे कि वह उस तहसील या पहाड़ी का मालिक हो जावे। इसलिये यह पट्टा प्रणाली की शिकायत थी वह सुनने को मिली।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इसी तरह से पंचायत वाले भी शिकायत करते हैं। पंचायत एक्ट में भी है कि जो पंचायत क्षेत्र में होता है वह उस पंचायत की आमदनी होती है। उसका फायदा गांव वाले भी उठा सकते हैं। अगर उनको मकान बनाने की जरूरत हो तो वे पत्थर आदि ले सकते हैं अन्यथा उनको भी रुकावट हो सकती है। पहले जिस ज़िले में ठेका दिया जाता था उस समय यह शर्त रखी जाती थी कि अगर लोकल जरूरत होगी तो उसके लिये रिड्यूस्ड रेट पर मिलेगा लेकिन आजकल वह भी प्रथा दूर हो गई है। तो यह पट्टा प्रणाली जिस तरह से उठायी जाती है या ठेके दिये जाते हैं मुझे जैसा बताया गया है, इसमें कुछ इस प्रकार का दोष है। इससे लोगों को तकलीफ होती है, लोगों के जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होता है, जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ, इस ओर सरकार ध्यान देगी। यह भी किसी जगह के लिए बताया जाता है, कि इस हिस्से का ठेका दिया जा रहा है, या प्लॉट्स दिये जा रहे हैं उनका भी तरीका ऐसा रखा जाता है कि साधारण लोग जो बोली लगाने वाले होते हैं वे उसको समझ नहीं पाते। जैसे आवेदन पत्र के साथ नक्शे लगा कर बतावेंगे कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में ये होंगे तो उनको समझने में साधारण लोग असमर्थ रहते हैं और कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है। तो मैं यह चाहूंगा कि उनको पट्टे पर या ठेके पर देना हो तो उनको स्पष्ट कर दिया जाय, सरकार की तरफ से जो प्लॉट्स के नक्शे हो उनमें चिन्हित कर दिया जाय, जिससे कि साधारण लोग समझ सकते हैं। होशियार लोग तो कहां से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उनके वे टेन्डर्स स्वीकार हो जाते हैं और उन लोगों के अस्वीकार होते हैं। तो यह प्रणाली का दोष है इससे तो जनता को तो कष्ट होता ही है और मैं समझता हूं कि सरकार की आय में भी निश्चित अन्तर आता होगा। इसलिए दोनों की हित की दृष्टि से सुझाव देना चाहता हूं कि जो वर्तमान पट्टा प्रणाली है उसको ठीक किया जाय। लोगों को इस की जो शिकायत है वे आगे उस प्रकार की शिकायत न करें, सीधा सादा रास्ता उनको मिले। इससे सरकार को भी निश्चित आमदनी प्राप्त हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मेरे भी चार कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री भीमसेन : मैं उपस्थित था।

श्री उपाध्यक्ष : I think, I was very cautious about your absence.

श्री भीमसेन : अनोपसिंहजी के बाद मेरा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष : अनोपसिंहजी के तीन नम्बर पूर्व आप थे।

श्री भीमसेन : जैसा आप चाहें :

श्री उपाध्यक्ष : You were on No. 8, whereas Mr. Anoop Singh was on No. 11. Now I will consider your case after other Members are exhausted.

(विराम)

श्री सूबेदारसिंह ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो पुरातत्व विभाग के बारे में और दूसरा खानों के ठेकों के बारे में वादविवाद करने के लिए।

जहां तक पुरातत्व विभाग की बात है यह बात निश्चित है कि जो भी हमारे यहां पुराने भवन बने हुए हैं या पुरानी यादगार हैं जिनके जिन्दा रहने की बात है तो निश्चित पुरातत्व विभाग को उस ओर देखना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सरकार का ध्यान धौलपुर के उन स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि ऐतिहासिक स्थान हैं. भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि मुचकुंद राजा हुआ था उन्होंने यज्ञ कराया था। जो हवन कुंड बना था वह एक विशाल कुन्ड है और उसके किनारे पर बड़े २ विशाल भवन और मंदिर बने हुए हैं। यहां पर प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाखों यात्री स्नान करने के लिए आते हैं। आम लोगों में, जन सांधारण में, यह ख्याल है कि जो भी व्यक्ति कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, वह जब तक मुचकंड जाकर स्नान नहीं कर लेता, वह अपनी तीर्थ यात्रा को सफल नहीं मानता। इससे हजारों लाखों आदमी स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं। वहां पर विशाल भवन बने हुए हैं, सुन्दर घाट हैं, लम्बे चौड़े महल हैं। आज हम देखते हैं कि चूंकि वहां की रियासत या नरेश न रहे तो वह स्थान अवनति की ओर चला जा रहा है, धीरे धीरे मंदिर, भवन टूटते चले जा रहे हैं। जंगल का पानी आता था, प्रायः करके नालियां नष्ट होगई हैं और होती जा रही हैं जिससे पानी भरने के स्थान में कमी रह जाती है। उस मुचकुंड में इतने कमल हो गये थे कि धौलपुर वासियों ने, करीब एक हजार आदमियों ने मिल कर श्रमदान से उन कमलों को साफ करके पानी को साफ किया। जिससे लोगों को तैरने आदि का भी मौका मिला। लेकिन अब इसमें मिट्टी भरती जा रही है जिससे इसका पानी खराब होता जा रहा है। मकान टूटते जा रहे हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि पुरानी जो यादगारें हैं, जो ऐतिहासिक स्थान हैं वे कहीं बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट न हो जाय। धौलपुर आगरा से ३६ मील की दूरी पर है। आगरा में पर्यटन करने वाले ट्युरिस्ट लोग आया करते हैं। रियासत ने धौलपुर में मुचकुंड के निकट ही फोरेस्ट रखा हुआ है और दूर तक तालाबशाही भवन तक लोग घूमने के लिए आते हैं। ये मुगलशाही भवन भव्य और सुन्दर हैं। राज्य सरकार कुछ खर्चा कर रही है जिससे, इस प्रकार के खर्चे से, ये महल खड़े रह सकते हैं लेकिन बाग और फव्वारे आदि हैं वे नष्ट हो रहे हैं। थोड़ा इधर चलेंगे तो रामायण काल में जब सीताजी का वनवास हुआ था रमदा तहसील बछेड़ी में सीताकुन्ड नामका एक कुन्ड है। वहां पर अड़ोस पड़ौस के गांवों के लोग पानी पीते हैं, उस कुन्ड में इतना पानी रहता है कि सारे गांवों के लोग और मवेशी वहां पानी पीते हैं। यही नहीं, सीजन आ रहा है चेचक की बीमारी फैलने का तो वहां ऐसी धारणा है कि इस जल का छींटा दे दिया जाय तो चेचक ठीक हो जाती है। यहां राज्य की ओर से मकान बने हुए

(श्री सूबेदारसिंह)

थे और सड़क की हालत ठीक रहती थी। इससे लोगों को बड़ी सुविधा रहती थी। जब से हम मत्स्य में मिले और फिर राजस्थान का निर्माण हुआ तब से किसी की निगाह ही उस ओर नहीं गई। माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने कुछ ठेके दे दिये। जब आवागमन उस सड़क पर अधिक हुआ तो सड़क किधर ही चली गई और बड़े २ गड्ढे हो गये। इसलिए इस स्थान का पुरातत्व विभाग देखरेख रखे तो अच्छा है। भूतेश्वर स्थान है, वहां जमीन की खुदाई होती है तो सुन्दर सुन्दर मूर्तियां निकलती है। आर्चिस्लोजिकल डिपार्टमेन्ट से मूर्ति भेजी गई है जिससे पता लगेगा कि स्थान कैसे अच्छा है। खोज की जाय तो स्थान अच्छा हो सकता है।

मेरा दूसरा प्रस्ताव खानों के ठेकों के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खानों के ठेके के बारे में चर्चा करनी है मैं यह अच्छी तरह से समझता हूं कि जब हम गणतन्त्र में शरीक हुए उस वक्त हमारी धौलपुर की जनता को यह पूर्ण विश्वास था कि गाढ़ी मेहनत करते हैं और दो चार पैसा बचा कर अपने पास रखते हैं। तो शायद अपने मकानों को पक्का बना लेंगे। क्योंकि वहां हर साल गर्मियों में आये दिन आग लगा करती थी। इस प्रकार की आशा लगा बैठे थे। लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ। ज्यों २ ठेकों की प्रथा चली वहां से पत्थर गायब होता गया। यह अफसोस की बात है कि एक तरफ तो राज्य सरकार विकास करना चाहती है, विकास के कार्यों में, स्कूल का भवन, अस्पताल, पंचायत भवन में आधा गांव वालों की तरफ से और आधा सरकार से मिलता है लेकिन उनको भवन बनाने के लिए पत्थर नसीब नहीं होता। यह बड़ी सोचने की बात है कि वहां पर पत्थर मौजूद होते हुए भी उस गांव वालों को पत्थर नहीं मिलता। वहां के लोग अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए आगरा ज़िले की तातपुर इलाके से पत्थर लाकर मकान बनाते हैं। इसप्रकार की व्यवस्था से जनता को नुकसान होता है इससे राजस्थान सरकार की आमदनी में भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। धौलपुर का ठेका जो ढाई या पौने तीन फुट होता है उसके दो टुकड़े कर दिये गये हैं। उसमें से एक तो एक लाख रूपये में उसी आदमी को दिया गया है जो पहले पत्थर का काम करता था। वह ठीक प्रकार से उसको चलाता है वह पंचायत को भी और स्कूलों को भी, पत्थर मुफ्त में दे देता है।

२.१ म० प०

दूसरा ठेका जिसकी रकम करीब दो लाख रूपये की होनी चाहिये, उसके बजाय ८० हजार रूपया लेकर एक एसोसियेशन को दिया गया जो नाम मात्र का एसोशियेशन है। उसने छः महिने तक वे खाने नहीं चलायी बाद में धीरे धीरे करके उस एसोसियेशन को समाप्त कर दिया जाता है और दो चार व्यक्ति मिल करके उस ठेके को चलाते हैं। उसके कारण यह हाल होता है कि धौलपुर में रहने वालों को वह पत्थर नहीं मिलता है, सारा पत्थर आगरा और मथुरा में जाकर बिकता है। शायद राजस्थान सरकार ने ठेका देते समय कुछ इसप्रकार का एग्रीमेंट किया होगा कि इतने हजार फुट पत्थर निकालने पर रॉयल्टी की दर भी ज्यादा देनी पड़ेगी इस कारण उपाध्यक्ष महोदय, वहां जिन्होंने एसोसियेशन के नाम से ठेका लिया वह एसो-

(श्री सूबेदारसिंह)

सियेशन नहीं रहा, दो चार व्यक्ति मिल करके काम करते हैं वह कोई फर्म नहीं न कोई लिमिटेड कम्पनी ही है। वैसी हालत में उन लोगों में से कोई सुबह खान पर चला जाता है, और शाम तक जो कुछ पत्थर की बिक्री हुई उसका पैसा लिया और जेब में रख कर जो भी उस रोज़ के कागजात होते हैं उनको वहीं फाड़ फेंक देते हैं। इससे यह होता है कि सरकार को यह पता नहीं चल सकता कि कितना पत्थर निकला और कितना बेचा गया है। जब इस बारे में गांव के लोगों ने कहा सुनी की माइनिग इन्जीनियर से कहा गया कि यहां से किस प्रकार पत्थर निकला जाता है लेकिन हमारे साथ सरकारी अफसरों को जाने की फुरसत कहां हो सकती है। यह मैं ही नहीं, मेरी तरह बैठने वाले मंत्री महोदय भी इस बात को जानते होंगे। जब वे हमारी तरह एक कार्यकर्ता थे। जिस प्रकार से आज हम महसूस करते हैं उसी प्रकार वे भी महसूस करते थे। आज जब कि वे मंत्री मंडल में हैं उनसे आशा तो यह की जाती है कि वे पक्षपात न करें किन्तु अब उन अफसरों की मदद वे न करें तो दूसरा कौन करे। बात भी ठीक है। वहां जो पत्थर मिलता था उसके लिये गांव वालों ने झगड़ा किया तीन रुपया चौका जो तीन फुट चौड़ा और करीब सात फुट लंबा होता है खुल्लमखुल्ला ब्लैक से बेचा जाता है माइनिंग इन्जीनियर साहब जो कोटा से आये थे उन्होंने वहां जाकर देखा और उन्होंने एडमिट किया कि ये रुपया लेते हैं सरकार द्वारा जो शिड्यूल्ड रेट कायम हैं उससे वे ज्यादा लेते हैं जब यह बात ठेकेदारों से कही तो वे कहते हैं इसमें हमारा हाथ नहीं जो खनिक हैं श्रमिक हैं वे ब्लैक का पैसा लेते हैं उसमें हम क्या करें। मैंने ये सब बातें उपमंत्री महोदय धारीवाल साहब जब पधारे उनको मैंने निवेदन किया था वास्तव में वह पैसा खनिक को नहीं मिलता बल्कि उस ठेकेदार के जेब में जाता है। इससे होता क्या है कि जो कुछ पत्थर वे ब्लैक में बेचते हैं उसकी रॉयल्टी सरकार को नहीं मिलती। अगर उस पर बराबर देख रेख रक्खे तो सरकार को भी रॉयल्टी का पैसा ज्यादा मिल सकता है

आपको सुनकर बड़ा तज्जुब होगा कि जब बुल्डर डाल दिया जाता है और जो कट स्टोन होता है वह किसानों को फ्री मिलना चाहिये लेकिन देखा यह गया है कि वहां प्रत्येक गाड़ी पर एक रूपया वसूल किया जाता है। मैंने कम से कम २००, ३०० रसीदें ऐसी पेश की है जिसमें एक रुपया फी ब्लौक कार्ट के हिसाब से वसूल किया है सन् ४५ से ५२ तक की रसीदें हैं। जिसमें किसी में हिन्दी दस्तखत है, किसी में उर्दू में तो किसी में अंग्रेजी में ताकि पता नहीं पड़ सकता कि किसके दस्तखत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में माइनिंग इन्जीनियर वहां जाकर जांच करें तो उनको इन सब बातों पर विश्वास आजायगा। इस विषय में ज्यादा तो जानकारी मुझे नहीं है फिर भी मैंने यह सुना है कि इस बार इस कम्पनी को ठेका देने की सिफारिश नहीं की गई। सरकार इसको ठेका देना नहीं चाहती, हालांकि ठेका लेने की कोशिश ऊंचे लेवल पर वे कर रहे हैं। वे देखते हैं कि किसी प्रकार भी ठेका मिल जाय तो ये तो आन्धी के आम हैं जितना बटोर लें उतना ही थोड़ा है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान सरकार सतर्क है अगर उसमें किसी प्रकार की कमी है

(श्री सूबेदारसिंह)

तो मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को इस प्रकार के व्यक्तियों से बचना चाहिये अगर ठेका ही किसी को देना है तो किसी फर्म को या किसी कम्पनी को दिया जाय जो अपना हिसाब किताब ठीक प्रकार से रखता हो जिससे सरकार को रॉयल्टी भी ठीक प्रकार से मिल सके और जो जनता को पत्थर मिलने वाला है वह भी उचित मूल्य पर मिल सके। आज के इस युग में मह देखते क्या हैं कि वहां के निवासियों को जो दस फीट की दूर पर खान है उससे मकान बनाने के लिये पत्थर नहीं मिलता उनको अपने मकान को बनाने के लिये १६.२० मील दूर से आगरा ज़िले की तातपुर तहसील से पत्थर लाना पड़ता है। आज राजस्थान सरकार जिस विकास के लिये इतना खर्च कर रही है क्या ही अच्छा हो कि सरकार आने वाले ठेके में इसप्रकार का एग्रीमेंन्ट करे कि लोकल डिमान्ड जितनी भी होगी वह उस खान से पूरी की जायगी उसके बाद अगर कुछ पत्थर बचता है तो उसको बाहर जाने दिया जाय। आज होता क्या है कि लोकल डिमान्ड को पूरा न करके उस खान से जो पत्थर निकलता है वह आगरा मथुरा और दिल्ली में जाकर बिकता है और वहां ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। सब से पहले लोकल रहने वाले हैं उनके मकान यदि पक्के बनते हैं तो राजस्थान सरकार की तारीफ होती है लोग यह महसूस करते हैं कि चलो जनतन्त्र आया तो हमको यह तो आराम मिला। वहां के लोकल आदमियों को पत्थर न मिलने से वहां की जनता की आदत खराब होती जा रही है। दूसरी ओर एक तहसील में काश्तकारों ने खाने लगाने शुरु कर दी है। और वे खाने चल रही है। राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं कि उनको बन्द कर सके। वहां से जो पत्थर निकलता है वह पब्लिक खरीदती है। यह अव्यवस्था इस कारण से है कि धौलपुर के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं होती है। तो इस तरह से जबरदस्ती तरीके से अपनी खानें लगाकर गांव में खुल्लम खुल्ला पत्थर बेचते हैं और आगरे ज़िले तक वे पत्थर भेजते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अब अगर उस खान का ठेका दिया जाता है तो या तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाय। अगर वह सोसाइटी को देने के लिये तैयार न हो तो किसी ऐसी कम्पनी या फर्म को दी जाय जो बराबर हिसाब किताब रखती हो। और उसमें इसप्रकार का एग्रीमेन्ट भी हो कि लोकल रहने वालों को पहले प्राथमिकता माल की दी जायगी। सब से पहले लोकल कन्ज़म्पशन के लिये पत्थर मिले बाद में वे बाहर भेज सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे भी दो तीन कटमोशस थे जो लिस्ट नम्बर २ में आये हैं। मेरा क्रम श्री जुगलकिशोरजी चतुर्वेदी के बाद में आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम प्रथम दिया हुआ है।

श्री गिरधारीलाल :प्रथम तो है, किन्तु लिस्ट नंबर दो में है।

श्री उपाध्यक्ष : प्राथमिकता इम्पोर्टन्स के हिसाब से दी गई है।

मैं आपका ध्यान रखूंगा।

श्री दलीपसिंह।

श्री दलीपसिंह (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे कटौती के प्रस्ताव दो बातों के मुतल्लिक है। एक तो कोटा डिविज़न में खानों के महकमें में बद इन्तज़ामी और दूसरा जानिबदारी के बारे में।

पहले मैं बद इन्तज़ामी के मुतल्लिक कुछ अर्ज करूंगा। चार पांच साल की बात है जब माननीय भोगीलालजी पंड्या मिनिस्टर थे उस विभाग के। उन्होंने मेरे से इस विभाग के मुतल्लिक कुछ चर्चा की, यह ख्याल करते हुए कि मैं इस विभाग में कई बरसों तक ठेकेदारी का काम करता रहा हूँ और कुछ अनुभव रखता हूँ। उस वक्त उस महकमें की आमदनी बहुत गिरती जा रही थी और खास कर हमारे कोटा डिविजन में। तो मैंने उनको दो बातों का सुझाव दिया। एक तो यह कि ठेका जो बहुत कम मियाद के लिये दिया जा रहा है वह कम से कम पांच साल तक का दिया जाय। जैसा पहले दरबार के वक्त में भी दिया जाता था। जिससे ठेकेदार दिल खोल कर काम कर सके और बोली भी अधिक लगा सके।

और दूसरा यह सुझाव दिया था कि बड़े बड़े ठेके एक व्यक्ति को न दिये जायें। ज्यादा ज़मीन हो तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नीलाम किया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उटा सकें और ज्यादा से ज्यादा बोली भी लगा सकें। इत्तफाक से डाइरेक्टर माइनिंग विभाग भी वहां आये हुए थे। मेरा सुझाव उन्होंने भी माना और जो ठेके नीलाम होने जा रहे थे कोटा डिविज़न के, और जिनके लिये पहले सूची भी निकल चुकी थी, उनको तार द्वारा कैंसिल कर दिया, और फिर दुबारा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नीलाम किया गया। पांच साल के लिये लाइसेन्स दिये। इससे चार छः गुना आमदनी भी महकमे की बढ़ी। तो यह प्रबन्ध चलने लगा। अभी बीच में कुछ गड़बड़ी चलने लगी है कि किसी को किसी बहाने से कोई चीज़ निकाल दी तो इस प्रकार से एक ठेकेदार को दूसरे से लड़ाने भिड़ाने की बात हुई क्योंकि पहले क्या होता था, ठेकेदारों से कई कर्मचारी फायदा उठा लेते थे, पर छोटे से आम तौर पर नहीं उठा सकते, इसलिये उनको आपस में लड़ा भिड़ा कर छोड़ दिया कि फिर अपने आप ही अपनी गरज के लिये वे उनके पास जावें, और उनसे उनकी गरज पूरी होगी और उनकी खुशामद करते फिरेंगे। तो इस तरह की लड़ाने भिड़ाने की बात अभी चल रही है कोटा ज़िले में खान वालों में। इतने झगड़े पहले मेरे ख्याल में दरबार के ज़माने को मिला कर भी सारे सालों में नहीं चले होंगे, जितने अब चल रहे हैं इस तरह से यह एक बदइन्तज़ाम हो रहा है।

इसके साथ ही बदइन्तज़ामी की बात और बताता हूँ। पहले मैं मोडक स्टेशन का ही जिक्र करता हूं। पहले वहां कम से कम चार चैकिंग क्लर्क रहते थे, जो एक २ वैगन को जो बाहर एक्सपोर्ट होता था उसको चैक करते थे और गाड़ियां भी तकरीबन खुद ही देखते थे, उनकी जांच करते थे, और बिक्री का और आमदनी का हिसाब रखते थे। इस पर पूरा कन्ट्रोल उनका था, और इससे सरकार की आमदनी में किसी तरह से गड़बड़ी नहीं होती थी। पर अब क्या है कि वहां के डिपो में ताला लगा हुआ है क्वेरीज़ विभाग के। एक भी सरकारी कर्मचारी वहां नहीं रहता ठेकेदार अब बहुत हो गये और बड़ी

[श्री दलीपसिंह]

बड़ी रकमों का ठेका भी है। अब वे खुद ही नापते हैं जो पत्थर बाहर जाता है, खुद ही देखते हैं, और खुद ही सारा हिसाब किताब रखते हैं। कोई उन पर निगरानी करने वाला नहीं है। चूंकि आज उन पर बहुत से सेल टैक्स इन्कम टैक्स आदि लग गये हैं इसलिये वे डबल रिकॉर्ड रखते हैं। इससे सरकार की रॉयल्टी का नुकसान होता है और सैल्स टैक्स, और इन्कम टैक्स का भी लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान है।

इसके अलावा ठेकेदारों के यहां करीब करीब मेरा ख्याल है कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता जब कि मज़दूरों का एक्सीडेन्ट न होता हो। क्योंकि आज काम भी बहुत बढ़ गया है हर हफ्ते एक न एक एक्सीडेन्ट हो ही जाता है। क्योंकि भारी पत्थर हैं और हैंडलिंग में कई दिक्कतें आती हैं इसलिये एक्सीडेन्ट में कोई लंगड़ा हो जाता है, कई लूले हो जाते हैं किसी की अंगुली टूट जाती है, कोई दो दो तीन तीन महीने अस्पताल में पड़े रहते हैं और कई मर भी जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है एक भी मामला महकमा ऐसा बतला नहीं सकता, जिसमें किसी ठेकेदार से किसी मज़दूर को उसने मुआवजा दिलाया हो। यहां तक होता है कि बिचारों के घर वाले रो पीट कर चुप रह जाते हैं, या अस्पताल में ले जाकर डाल देते हैं। यहां तक होता है कि अपने जेवर बेच कर भी इलाज कराते है और ठेकेदार मदद नहीं देते। देते भी हैं तो किसी ने एक आध हफ्ते का खर्चा दे दिया या महीने भर का दे दिया और चार छः महीने बेचारा खाट पर पड़ा रहता है या अपंग हो जाता है। काम करने लायक नहीं रहता। और उनको मुआवज़ा नहीं मिलता।

दो साल पहले माननीय कालाबादलजी ने यहां बताया दो आदमी मारे गये एक्सीडेन्ट में। तीन घायल और हो गये। उनके मुतल्लिक यहां केस पेश किया था। मिनिस्टर महोदय और लेबर कमिश्नर साहब ने भी जोर से लिखा था कि क्यों नहीं उनको मुआवज़ा दिलाया जावे। पर आज कागज़ पता नहीं नीचे जाकर कहां पड़ रहे हैं। आज तक उन गरीबों को पूछा तक नहीं कि उनका क्या हो रहा हैं, क्या नहीं हो रहा है। यह तो बात है आपके इस महकमे की लापरवाही की और बदइन्तज़ामी के मुतल्लिक।

अब मैं....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : कोरम नहीं है, साहब।

२.१८ म० प०

(गण पूरक घण्टी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये अब।

श्री दलीपसिंह : (जारी) अब मैं जो कुछ जानिबदारी इसमें बाज़ मामलों में बरती जा रही है दो, एक मिसालें उसकी सदन में अर्ज करूंगा। शहीद पन्नालाल यादव सन् ५५ में गोआ मुक्ति आन्दोलन में गये थे और वहां पुर्तगालों की गोली से मर गये। उनके जाने के कुछ अर्से पहले, साल दो साल पहले उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसायटी पत्थर की खानों के काम करने की चलाई थी रामगंज मंडी में और इसके बाद जब वे शहीद हो गये तो उनके पीछे बदइन्तज़ामी

(श्री दलीपसिंह)

में सोसायटी पर कर्ज़ा बढ़ गया और सरकारी रॉयल्टी भी बकाया हो गई थी। तो लोकल आदमियों ने जो उनसे हमदर्दी रखते थे और जिनको मैंने भी कुछ सलाह दी उन्होंने सोसायटी को अपने हाथ में लेकर चलाया और अच्छी तरह से काम किया तो जितना कर्ज़ा करीब १६ हज़ार के हो गया था वह सारा अदा कर दिया। सारा का सारा कर्ज़ा अदा कर दिया और इतना अच्छा काम किया कि कोआॅपरेटिव विभाग की तरफ से उनको चार हज़ार रुपया सब्सिडी के तौर पर दिया गया और ८०००) रुपया रॉयल्टी का कॉन्ट्रेक्ट था जिसमें उन्होंने करीब करीब १७,००० रुपया सालाना रॉयल्टी का खान से पहुंचा दिया तो अब उनकी लीज़ जब खत्म हो गई तो उन्होंने कायदे के मुताबिक लीज़ समाप्ति से पहले आगे लीज़ बढ़ाने के लिए दर्ख्वास्त दे दी। आखिर सरकार ने बहुत मेहरबानी की और आगे ५ साल के लिए उनकी लीज़ बढ़ा दी और बजाय ८००० रुपये के उनको १५,००० रुपये सालाना की रॉयल्टी पर आगे ५ साल के लिए लीज़ बढ़ा दी। इसी बीच में एक और रामा-सोसाइटी के नाम से खड़ी हो गई और उसने भी उसी ज़मीन के लिए दर्ख्वास्त दे दी। महकमे ने उनको कुछ ज़मीन उस इलाके में बतलाई लेकिन वह रामा-सोसाइटी वालों ने, जहां इनको ज़मीन दी गई थी, दूसरे राजस्थान इन्डस्ट्रियल सोसाइटी को जो कि पहले से चल रही थी, शहीद पन्नालाल की चलाई हुई, उसके सामने ही आकर अपना खड्डा लगा लिया और खान चला ली। इसकी रिपोर्ट माइनिंग इन्जीनियर के पास गई और उन्होंने बन्द करने के लिए आदेश दे दिये, लेकिन रामा-सोसाइटी वालों ने उसे बन्द नहीं की। इसके लिए पुलिस को भी रिपोर्ट की गई कि उसको बन्द कर दो, इस प्रकार के आदेश पुलिस की ओर से भी जारी हुए लेकिन पुलिस की भी कोई परवाह नहीं की। फिर उन्होंने बीच में थोड़े अर्से बन्द कर दी और फिर खान लगा ली। अब महकमे की तरफ से जो कार्यवाही होती है उसका मैं जिक्र करता हूं। इसके लिए तार दिए गए माइनिंग इन्जीनियर को दिया और स्वयं इन्जीनियर जानता था कि रामा-सोसाइटी वाले धांधली कर रहे हैं तो महकमे की तरफ से जब मना नहीं कर सके और यहां से कोई कार्यवाही उनको रोकने की नहीं हुई और इसके लिए जो कुछ माइनिंग इन्जीनियर कर सकता था कलेक्टर को रिपोर्ट करने का और पुलिस को रिपोर्ट करने का वह करके चुप हो गया। उसके बाद मैंने यहां आकर दर्ख्वास्त दी कि यह ज़मीन दी जाये, जो कि राजस्थान इन्डस्ट्रियल सोसाइटी को दी गई है। उस पर सारे कागज़ वगैरह देखे गए और विचार किया गया। तो शहीद पन्नालालजी की जो सोसाइटी थी उसका हक पहले माना गया और उनको ज़मीन दे दी गई पांच हज़ार, ढाई हज़ार फुट की जिसके लिए सरकार से मंजूरी पहुंच गई कि यह ज़मीन इस प्रकार मंजूर कर दी है। इस बीच में क्या होता है कि रामा-सोसाइटी वालों ने काम बन्द नहीं किया और वह उसी तरह चलाते रहे और यह कहते रहे कि इनका काम बन्द करो। रामा-सोसाइटी वालों ने आकर जो हमारी ज़मीन को ले ली है कहा कि इसको उठा कर कब्ज़ा दे दो और सरकार की जो कुछ रॉयल्टी वगैरह का कायदे से होता है वह जमा कराइये। लेकिन सरकार

Page No.69

(श्री दलीपसिंह)

की तरफ से डिमार्केशन नहीं किया गया, जो पहले उनको मंजूरी गई थी....

श्री उपाध्यक्ष : This is just like pleading of a cause.

श्री दलीपसिंह : मैं बेजाब्तगी बतलाऊंगा या नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में बतलाइये जिससे आपकी डिबेट भी हो जाये और आपका काम भी चल जाये।

श्री दलीपसिंह : बोलने वाले तो ज्यादा नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी अधिक संख्या में हैं। मेरा निवेदन है कि बोलने वाले हों या नहीं हों, किन्तु जहां तक डिबेट का प्रश्न है उसके लिए नियमों का आधार तो लिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना भाषण जारी रखें, लेकिन नियमों के आधार पर।

श्री दलीपसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि कितनी लापरवाही की जाती है और उनसे फिर बाद में कैसे झगड़े खड़े हो जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह तो शुरू में ही बता चुके हैं।

श्री दिलीपसिंह : वह तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बतला रहा हूं। पहले तो सरकार ऑर्डर देती है और फिर छः महीने बाद कैन्सिल कर देती है और सोसाइटी वालों को उलझा देती है। वह क्या करें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये मैं तो चाहता था कि आप संक्षेप में बयान करें।

श्री दलीपसिंह : उनकी लीज़ बढ़ाने की दर्ख्वास्त थी २१-१२-५७ की। उस पर फिर उन्होंने कुछ तो प्लान पेश किया था, उसकी दुरुस्ती के लिए १३-८-५८ को दर्ख्वास्त दी कि उस प्लान की दुरुस्ती कर दी जाये, जिसकी मंजूरी २१-८-५८ को जाती है और उसमें लिखा होता है :

"To: The Secretary, Rajasthan Industrial Coop. Society Ltd. Ramganjmandi.

With reference to the above, I have to say the new plan for the Naharsinghi Junapaniquarries submitted by you along with your letter dated 13 .8 1958 has been accepted and the mines foreman, Ramganj Mandi has been instructed to undertake the demarcation of the new plan in your presence. Please note.

Sd.
Mining Engineer, Kotah."

इसकी तो मंजूरी ले ली गई। मंजूरी के बाद जब कई दिन तक फोरमैन उनको डिमार्केशन देने नहीं आया तो उन्होंने टेलीग्राम दिया १६-११-५८ को जो कि चीफ मिनिस्टर महोदय को और डिप्टी मिनिस्टर श्री धारीवाल को दिया, वह लिखते हैं :

"No demarcation of Naharsinghi quarries yet. Rama Society still carry-

(श्री दलीपसिंह)

ing unauthorised exploitation. No. royalty...Responsibility of Rajasthan Society till demarcation,..."

यह उसके सेक्रेटरी ने दिया। उसके बाद में क्या होता है, बजाय इसके कि डिमार्केशन देते यहां से ६–१२–५८ को एक ऑर्डर इश्यू होता है। यहां से मतलब माईनिंग इन्जीनियर देता है। उनको उसमें लिखा है :

"With reference to the above as per Government order, I am directed to inform you that in supercession of the previous Government decision it has now been decided by the Government that the extended area upto Salotia cannot be granted in your favour in view of the fact that you have failed to get the area demarcated and also you have neither done the royalty settlement nor paid the deadrent. The block A. B. C. D. which was the original area sanctioned in your favour can be given under the renewal sanctioned by the Government. Please note and acknolwedge."

तो इसका मतलब यह है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी को जिसको कि आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार इतनी उत्सुक हो रही है और जिसके लिए कल हमारे माननीय जवाहरलाल जी ने भी यहां तक कह दिया है कि जो कोआॅपरेटिव लाइन्स पर खेती करने के पक्ष में नहीं है वह कांग्रेस तक भी छोड़ सकते हैं। तो जहां कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को हमारी भारत सरकार इतनी सीरियसली ले रही है उसके साथ हमारी राजस्थान गवर्नमेन्ट खिलवाड़ करती आ रही है। उन बेचारों को फंसाकर उनका हजारों रुपया बरबाद कर दिया और सालभर के बाद में ऑर्डर्स निकाल दिए तथा उनकी लीज़ की मंजूरी कैन्सिल कर दी।

एक दूसरा मामला है। वह बहुत बड़ा मामला है एसोशियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज़, रामगंज मण्डी का। इसमें जो बेजाब्तियां हुई हैं वह मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। किस तरीके से मोनोपोली दी गई यह तो कोटा दरबार के जमाने की बात है लेकिन इसका लीज़ सन् ५१ के आखिर में खत्म कर दिया गया था और सरकार ने ऑर्डर्स दे दिए कि इसका जाकर कब्जा ले लो, माइनिंग इन्जीनियर को। लेकिन कब्जा लेने के ३ दिन पहले उन्होंने सेशन जज कोटा की कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर्स निकलवा लिए और सन् ५२ का स्टे ऑर्डर्स निकलवाया हुआ आज तक एक ही कोर्ट में चल रहा है। सात साल से ऊपर हो गए हैं और हमारी सरकार उस स्टे ऑर्डर को अभी तक कैन्सिल नहीं करा सकी। इस बीच में जो उसके मेनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं वह बीच में गड़बड़ करके चालीस पचास लाख रुपया हज़म कर जाते हैं। इस वक्त भी उनके उन पर सवा तीन लाख रुपये का पी. डी. आर. में एक केस कमिश्नर कोटा के यहां चल रहा है। चार लाख का एक और मामला डाइरेक्टर ऑफ माइन्स ने रिबेट के मुतल्लिक जो कि बीच में खाजाते हैं, उसका गबन पकड़ा है अपने अकॉउन्ट्स ऑफिसरों ने उनके खिलाफ निकाला है। वह अभी साल भर से डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के दफ्तर में पड़ा है। इन्कम टैक्स के उन्होंने २५ लाख रुपये रखे हैं और लीज़ खत्म होने होने के बावजूद भी अभी तक सरकार को वे कब्ज़ा नहीं दे रहे हैं। एक ही कोर्ट में सरकार ने वहां से केस निकलवाने का, कैन्सिल करवाने

(श्री दलीपसिंह)

का, स्टे ऑर्डर के बारे में भी विधि विभाग द्वारा ऐसी बड़ी सुस्ती का सुबूत दिया तथा बहुत पक्षपात का सुबूत दिया कि उसको आज तक खत्म करने की कोशिश नहीं की गई। ४, ६ महीनों के अरेंजमेंन्ट विधि विभाग की सुस्ती की वजह से लगते रहे।

वह मैनेजिंग डाइरेक्टर और सोसाइटी, जो कि सरकार की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, आदेशों की परवाह नहीं करते, और हरएक पहलू पर, तथा हरएक पॉइन्ट पर सरकार को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं क्योंकि उसको रियायत दी गई थी, जब दूसरे ठेकेदारों को ठेका पर सालाना तीन लाख की ऑफर दी थी। उसको नज़र अन्दाज़ करते हुए उनको डेढ़लाख सालाना पर १५ साल तक के लिए दिया गया है। उनके साथ में रियायत की गई है कि १० रु० कास्ट प्राइस मानकर पत्थर को जितने ऊंचे भाव से जितना भी पत्थर बेचेंगे, चार आना रुपया सरकार को देंगे। चार आना रुपया जो सरकार को देना था वह हजम कर गये और लाखों रुपये खा गये हैं, सरकार के बावजूद इसके श्रीमान् मैनेजिंग डाइरेक्टर जो हैं उनको सरकार अपनी कमेटी में नोमीनेट करती है और, और रियायतें उनके साथ आगे की जा रही हैं बजाय इसके कि उनको ब्लेकलिस्ट किया जाय, आयन्दा किसी तरह की सहूलियत नहीं दीजाय। शायद पिछले साल से छोटे छोटे ठेके दिये जाते हैं २००×२०० फुट यानी ४०,००० मुरब्बा फुट के ठेके १५००) रु० या २०००) रुपये में दिये जाते हैं। उन्होंने एक टुकड़ा छोटे ठेकेदारों के बीच में देख लिया कि यह बहुत अच्छे काम की ज़मीन है तो वे आये और उन्होंने सरकार को दरख्वास्त दी कि ६०००×२००० का प्लाट दे दिया जाय, यानी १ करोड़ २० लाख मुरब्बा फुट का। उस पर काफी विरोध हुआ। लोगों ने दरख्वास्तें दी और दूसरे ठेकेदारों ने कहा कि यह जो नई मोनोपोली, उसे क्रियेट न की जाय तथा इस रकबे को इस कम्पनी को नहीं दिया जाय। सरकार ने बावजूद इतनी प्रोटेस्ट के सारा प्लाट जो था वह करीब ३०,०००) रु० में दे दिया, तथा सोचा कि दो, पांच हजार कम बेशी होंगे। जिस तरीके से दूसरे छोटे छोटे ठेकेदारों को दिया जाता है और ४० हज़ार मुरब्बा फुट का डेढ़ या दो हज़ार रुपया होता है। औसत डेढ़ हज़ार रुपया होता है। उस हिसाब से साढ़े चार लाख रुपये सालाना की यह ज़मीन हो सकती है, यह पांच साल के लिए उनको देदें, तो कम से कम २० लाख रुपये का सरकार का नुकसान हुआ।

इसके साथ ही साथ जो समाजवादी समाज की बात कही जाती है और जिस तरीके से समाजवादी समाज पैदा करना चाहते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल यह चीज़ दे रही है। पूंजीपतियों के हाथ में खूलकर, बड़े बड़े अमीर लोगों के इशारों पर हम काम करते हैं। तो इससे समाजवादी समाज क्या सरकार ले आयेगी? अब तो मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के नोटिस में लाने के लिए मजबूरन मुझे कहना पड़ गया क्योंकि इन दोनों मामलों में मैंने काफी सरकार को रिप्रेजेन्टेशन किया है लेकिन वहां मेरी पेशी नहीं हुई, तो मुझे आज आखरी अदालत में बोलना पड़ा। मैं बोलता भी नहीं हूं। बहुत वर्षों से खामोश हूं। गूंगा तो नहीं था, लेकिन खामोश था। मजबूरन आज बोलना पड़ा। मैं उम्मीद करूंगा कि आयन्दा

(श्री दलीपसिंह)

बोलने का मौका नहीं दिया जायगा, गलती बतलाने का। माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने मैं अपनी यह दो शिकायतें रखता हूँ कि इनको दूर करके जो सम्बंधित लोग हैं उनको राहत पहुंचायेगें।

श्री उपाध्यक्ष : This is a court where we cannot take decisions to help you.

(विराम)

Yes, श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६ के अन्तर्गत १००) रुपये की कटौती की मांग करता हुआ मैं यह मांग करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर खनिजों को लेकर जो एक मोनोपोली की प्रथा चल रही है, उस मोनोपोली की प्रथा को समाप्त किया जाय।

मैं इस मोनोपोली के उदाहरण के साथ जिस एक घटना और जिस एक कम्पनी का जिक्र करना चाहता हूं, उस कम्पनी का जिक्र अभी कुछ समय पहले मेरे से पूर्व वक्ता सुना रहे थे। उन घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि कोटा ज़िले के अन्दर जो एसोशियेटेड स्टोन्स इन्डस्ट्रीज़ है उसकी यह लालफीताशाही और तानाशाही जीती जागती इमारत है। इस इमारत ने कितने ही शासन देखें। रियासतों के ज़माने से लेकर संयुक्त राजस्थान निकल गया, पूरा राजस्थान बन गया और आज १५ वर्ष बीतने को आये लेकिन वह इमारत जैसी की तैसी खड़ी है। उस इमारत का विध्वंस करने के लिए आज से सात साल पहले राजस्थान सरकार ने अपनी आज्ञा पारित की, लेकिन उसकी नीव के अन्दर वह आज्ञा दब गई। आज मिनिस्टरों के हुक्म निकलते हैं, हमारी सरकार की आज्ञाएं जाती हैं, लेकिन उन पूंजीपतियों की थैली के अन्दर जाकर वे आज्ञाएं दब जाती हैं। आज से १५ साल पहले कुंज बिहारी लाल आई. ए. एस. प्राइम मिनिस्टर कोटा रियासत, ने एक ठेका दिया था, लाइम स्टोन का वह ठेका आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। हमारी राजस्थान सरकार ने उसे सन् ५२ के अन्दर अक्टूबर के महीने में समाप्त किया था लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से, मैं उन न्यायाधीश महोदयों का ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने किस तरह से स्टे ऑर्डर दिया है? ठीक है, वह वाजिब हो सकता है लेकिन हमारी राजस्थान सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि सात साल हो जाने के बाद में भी डि० जज....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री खनिज विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सबजुडिस मामला है...

श्री दयाकृष्णविजय : सबजुडिस नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बिल्कुल सबजुडिस है।

The case is subjudice and the Hon'ble member is making a reference of that case...

श्री उपाध्यक्ष : The question is that it pertains only to the interest of the

(श्री उपाध्यक्ष)

Government so far as the case is concerned. As such the Hon'ble member is not affecting the case but he is nerrating the facts of the case only.

श्री दयाकृष्ण विजय : Yes, Sir, That's allright मैं निवेदन कर रहा था, मैं किसी विषय में नहीं जा रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ७ साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान सरकार सोई हुई है। वह एक ओर दावा करती है कि उसने राजस्थान के अन्दर बड़ी प्रगति की है। एक पूंजीपति कम्पनी के अन्तर्गत जिसने आम चुनावों में १५,०००) रु० कोटा ज़िले के एक कांग्रेस केन्डीडेट को दिये। यहां पर जो अभी एक तथाकथित नाटक हुआ, उसमें उन्होंने २ लारियों कांग्रेसियों को भिजवाने में मदद की, उस कम्पनी के ऊपर उनका कोई असर नहीं चलता है। आज १५ वर्ष से बराबर वह लेसी बनकर बैठी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस कम्पनी ने मज़दूरों का जिस तरह से शोषण किया है। लेबर ऑफिसर को अपना बना रखा है। रोज़ाना पत्थरों के अन्दर एक दो आदमियों के हाथ पैर टूटते चले जाते हैं लेकिन इस लेबर ऑफिसर को उन्होंने पैसे के बल पर अपना बना रखा है इसलिये कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता और कभी रजिस्टर हो भी जाता है तो लड़ झगड़ कर उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता। कहने को तो गरीब मजदूरों का इलाज हुआ है लेकिन परिणाम क्या होता है ? जब जब उद्योग समितियां बनती हैं, तो वहां के मैनेजिंग डाइरेक्टर या मैनेजर कालाबाजारी, चोरबाजारी और भ्रष्टाचार करने वाले उन समितियों के नियोजक नियुक्त किये जाते हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया दो हज़ार डेढ़ हजार रूपयों में २०० बाइ २०० के प्लॉट सेन्ड स्टोन के लिये दिये हैं, इस प्रकार की रियायत दी जाती है। मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार ने इस कम्पनी को ३१ लाख रूपये दिये थे, वे भी अब तक उससे वसूल नहीं हो पाये हैं, और वह बाकी पड़ा है, हमारे कमिश्नर साहब के पास अपील पहुँची है, अभी कहेंगे कि मामला फिर सब्जुडिस है, लेकिन कमिश्नर साहब के पास उलझा हुआ पड़ा है, एक अदालत से दूसरी में चला जाता है लेकिन निर्णय नहीं होता। इस कम्पनी में आय कर के २५ लाख रूपये बाकी हैं। उसको फिर मोनोपोली देकर सारी पूंजी को एक ही कम्पनी के हाथ में दे देना चाहते हैं। मैं इस प्रश्न को लेकर राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४४ से लेकर आज तक आज जो मुख्य मन्त्रीजी हैं वे सन् ४८ में डवेलपमेंट मिनिस्टर थे उदयपुर में, उस समय उदयपुर में जाकर शिकायत की थी कि १७ ठेकेदारों हैं वे छोटी छोटी खानों से किस प्रकार से गुजर करते आ रहे हैं और श्री कुंजबिहारीलाल आई०ए०एस० जो कोटा के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने केवल ३ आदमियों को ही ठेका देकर १४ आदमियों के साथ में अन्याय किया है, उनको खत्म किया जाय। हमारे मौजूदा मुख्य मन्त्रीजी और वहां के डवेलपमेंट मन्त्री ने आज्ञा देकर एक कमीशन नियुक्त किया, तीन आदमियों का जिसमें कमिश्नर, मैनेजर और डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री थे। उन्होंने जितने समय में रिपोर्ट देनी थी उस समय में रिपोर्ट नहीं दी। बाद में जब मन्त्रीजी की तरफ

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से दुबारा आॅर्डर निकला तब रिपोर्ट आई और भयंकर चार्जेज लगाये। अगर मैं उन चार्जेज को आपके सामने रखूं तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या बताया है। उन्होंने जो लिखा उसको बताऊंगा...

श्री उपाध्यक्ष : Where is that repor t? Is it with you or before the house ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरे पास नोट्स है।

श्री उपाध्यक्ष No. I will not allow unless you produce the Reporf itself.

श्री दयाकृष्ण विजय : एक अखबार में आया है उसको आप कहें तो पेश कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No reference of a paper will be allowed.

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझे जो कुछ याद है वह बताना चाहता हूं। जो प्रोडक्शन उस समय था उससे अब गिरा है। प्रोडक्शन के अलावा जो ३००० मजदूर पहले काम करते थे उन १७ ठेकेदारों के पास उनके स्थान पर आज केवल ११०० मजदूर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि काफी गोलमाल है। सूरत, बड़ोदा अहमदाबाद आदि में जो उनके एजेन्ट्स हैं वे मैनेजिंग डाइरेक्टर के रिश्तेदार हैं वे लोग निर्धारित रेट से पत्थर वहां पर नहीं बेचते हैं और ज्यादा कीमत पर बेचकर अपना लाभ या मुनाफा कमाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की जो जोइन्ट स्टोक कम्पनी चल रही है उनको आप बीस साल के लिये मोनोपाली देकर, जब कि सेन्ड स्टोन की मोनोपोली ५ साल से अधिक के लिये नहीं दी जानी चाहिये, जो दूसरे लोग काम करना चाहते हैं उनको आप खत्म करना चाहते हैं और कुल लोगों के हाथ में पूंजी का केन्द्रीयकरण करना चाहते हैं।

आज एक प्रश्न सामने खड़ा हो रहा है और वह यह कि आखिर जो मजदूर हैं उनका मोनोपोलीज़ के साथ में कैसे काम चलेगा। उनका आखिर कब तक शोषण होता रहेगा। आज कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को अगर इसमें साझेदार नहीं बनाया जायगा वे इन्डस्ट्रीज के मेम्बर नहीं होंगे तो उनको जो राहत मिलनी चाहिये वह अगर उनको नहीं मिलेगी, तो आप जो कल्याणकारी राज्य की कामना करते हैं वह राज्य स्थापित नहीं हो सकेगा। राजस्थान में खनिज की मोनोपोली चल रही है उसको तुरन्त समाप्त करना चाहिये। ठेके की पद्धति को समाप्त करना चाहिये, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। बल्कि उचित रेट पर जो आपने इतने वर्षों के एक्सपीरियेन्स से अन्दाज़ निकाला होगा, उस पर मजदूरों को देना चाहिये, बीच में जो सेट लोग आते हैं उनको समाप्त करना चाहिये। जब तक मजदूरों की कोआॅपरेटिव सोसाइटी को आगे लाकर काम नहीं किया जायगा तब तक मजदूरों का भला होनेवाला नहीं है। सरकार उसमें अपना शेयर भी रख सकती है, कोआॅपरेटिव सोसाइटी की मेम्बर सरकार भी बन सकती है, सरकार से आधे से अधिक शेयर भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक सरकार और मजदूर मिल कर काम नहीं करेंगे तब तक बीच के ये लोग लाभ उठावेंगे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और सच्चे माने में कल्याणकारी राज्य या समाजवादी समाज बन नहीं पायेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि लीज सिस्टम को खत्म करें और मजदूरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वाजिब रेट पर दें और वह भी दो साल के लिये या ५ साल के लिये दें, अधिक समय के लिये न दें ताकि मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ हो। मजदूर यह न कहें कि लेबर ऑफिस में हाथ पांव टूटने के बाद भी जाने पर कुछ कम्पेनसेशन मिलता नहीं है। जैसा आपने जिक्र किया है उसकी १५ साल की मियाद खत्म हो रही है, वह लखपति से करोड़पति हो रहे हैं अब उसको लीज़ नहीं देना चाहिये। लेकिन वह मैनेजिंग डाइरेक्टर काफी रुपये दे रहा है सरकार को......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को रुपये देता जा रहा है इसका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अफवाहों के आधार पर कोई वक्तव्य न दें The Hon'ble member will not say anytning reflecting on the Government on the basis of the rumours which he has heard outside the House.

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार की अफवाहों को समाप्त करने में योगदान देंगे, यही मेरा आखिरी निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) :माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस डिमान्ड पर दो कट मोशन हैं। पहला कट मोशन मेरा इस आशय का है कि राज्य सरकार से सम्बन्धित जितनी भी खानें हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। मैं पहले इस पर ही अपने विचार सदन के सामने रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर काफी प्रकाश डाला है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर काफी अनियमितताएं हैं, काफी गड़बड़ियां हैं और उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि यदि इन सारी की सारी गड़बड़ियों और घोटालों को तथा अनियमितताओं को खत्म करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने एक सिद्धान्त को अपना रखा था, समाजवादी समाज की व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, उस व्यवस्था के अन्तर्गत जितने भी इस प्रकार के उद्योग हैं हमें उनका जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। वैसे आज दिन हम देखते हैं कि जो हमारी नीति है समाजवादी समाज की स्थापना करने की, उस नीति के हम करीब करीब खिलाफ चलते हैं। आज हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि अमीर है अधिक अमीर बनता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब बनता जा रहा है। इसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सकता है, जैसे हम छोटे कर्मचारियों को कम तनख्वाह देते हैं, कुछ आदमियों को बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं और इस प्रकार की जो राज्य सरकार की नीति उद्योगपतियों के पक्ष में, राजाओं के पक्ष में और जागीरदारों के पक्ष में रही है, आज तक उससे कम विश्वास होता है। राजस्थान सरकार समाज-

(श्री गिरधारीलाल)

वाद की रचना करना चाहती है, इस राष्ट्रीयकरण से दो चार हमें फायदे होंगे। पहला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि जितनी भी हमें सालाना रॉयल्टी मिलती है शायद, वह ७०, ८० लाख रु० के बीच में है, जहां तक मेरा ख्याल है। और इधर जो लीज़ पर खान देते हैं इनसे लाखों और करोड़ों रुपया एक एक खान पर एक एक व्यक्ति कमाता है, यह रुपया उन लोगों की जेब में जाता है। इसके उदाहरण जगह जगह मिल सकते हैं, जैसे जामसर की खान है, उसमें सरकार के शेअर्स हैं, फिर भी लाखों करोड़ों रुपये की आमदनी है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। वह लाखों, करोड़ों और अरबों रुपये की सम्पत्ति चन्द व्यक्तियों की जेब में चली जाती है। मैं सोचता हूं कि राज्य सरकार को चाहिए कि खानों का राष्ट्रीयकरण करें।

दूसरी बात यह भी है कि आज राजस्थान के अन्दर जितने खनिज भंडार हैं, उनका अभी तक पता नहीं लग सकता है, कि आया हमारे यहां क्या क्या खनिज भंडार हैं, क्या क्या खनिज पदार्थ हैं, उनका उपयोग हमें किस तरह करना चाहिए। इस चीज का अभी तक पता नहीं लग सका है। राज्य सरकार इस ओर उदासीन रही है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर कुछ विशेषज्ञों को भेजती है, वे अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद भी उन पर कार्यवाही कम होती है। जैसी कि पिछले साल की बात है। जैसलमेर में रशिया के विशेषज्ञ आये थे, उन्होंने वहां पर कई खनिज पदार्थ बताये थे। उस ओर हमारी राज्य सरकार का कम ध्यान....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कौन से खनिज पदार्थ बताये गये थे ?

श्री गिरधारीलाल : जैसलमेर में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो राजस्थान के अन्दर बता दिये थे कि ये खनिज पदार्थ राजस्थान सरकार ने निकाले, वे कौन से खनिज पदार्थ थे ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : वे याद नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल : बाड़मेर में बताये कि कई तरह के पत्थर निकल सकते हैं। एक एक जगह की सर्वे करायें तो पता लगता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनमें से एक पत्थर का नाम ले लीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह परीक्षा स्थल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : अगर माननीय मंत्री बता दें कि वे वहां नहीं गये, उन्होंने खनिज पदार्थ नहीं बताये, तो मैं बता दूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप फर्मा रहे हैं तो आप बता दें।

श्री गिरधारीलाल : वे वहां गये थे, यह मानते हैं, उन्होंने कुछ खनिज पदार्थ भी बताये थे। मेरे पास रिपोर्ट नहीं है कि कौन कौन से खनिज पदार्थ थे। मैंने पेपर में पढ़ा था।

Page No.77

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये ।

श्री गिरधारीलाल : इस तरह से मैं बताऊं कि राज्य सरकार को चाहिए कि उन खनिज पदार्थ का पता लगाये और इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे । एक बात और है कि जितने साधनों की हमें जरूरत है, वे साधन हमारे पास हैं नहीं । इसलिए इतना पैसा हमारे पास न होने के कारण हम खनिज पदार्थ का पता नहीं लगा सकते । मैं सोचता हूं राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो खनिज पदार्थों से करोड़ों रुपये की आमदनी होगी, उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं और राजस्थान में जो खनिज पदार्थ हैं, उनका पता लगा सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से खनिकों को लीज पर देने का प्रश्न है, इसमें एक बात और है कि जितने भी ठेकेदार हैं, जिनके पास पैसा जरूर है लेकिन वे इन खानों का दुरुपयोग करते हैं । ये इन्जीनियर नहीं रखते, इसलिए इन खानों को चलाने का जो वैज्ञानिक तरीका है, इसकी कमी पाते हैं, इस तरह खानों का दुरुपयोग होता है और खनिज पदार्थ बेकार जाते हैं । मैं सोचता हूं यदि राष्ट्रीयकरण कर दें तो जो खनिज पदार्थों का दुरुपयोग होता है, वह बन्द होगा ।

इसी प्रकार तीसरा कारण यह है कि आज राजस्थान में पढ़े लिखे बेकार तो हैं ही लेकिन जो गांवों और शहरों में मध्यम श्रेणी के अनपढ़ लोग हैं, किसान और मजदूर हैं वे लोग भी काफी संख्या में बेकार हैं । खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद, राजस्थान में जो बहुत बड़े खनिज पदार्थ हैं, उनका पता लगने के बाद, मैं समझता हूं कि जो बेकारी की समस्या है, इसको कुछ हद तक हल कर सकते हैं । आज इन खानों में क्या होता है, इनमें मजदूरों का शोषण होता है । आये दिन हम सुनते हैं कि इन खानों में हड़ताल होती हैं । जैसे जामसर में खान है, बीकानेर में, वहां हर साल मजदूरों की हड़ताल होती है । इन हड़तालों में मजदूर मांग करते हैं तनख्वाह बढ़ाने की, कुछ अन्य प्रकार की बातें कम्पनी के सामने रखते हैं, लेकिन कम्पनी ध्यान नहीं रखती । इस प्रकार खनिजों के उत्पादन में कमी आती है, अव्यवस्था फैलती है । सरकार उल्टे उन कम्पनियों को सहयोग देती है । कम्पनी वाले शिकायत करते हैं कि मजदूर खराबी करते हैं, तो सरकार वहां पुलिस भेज देती है । उसके बाद मजदूरों को पकड़ कर जेल भेज देते हैं । इसलिए किसी प्रकार हमें मानना पड़ेगा कि मजदूरों का शोषण होता है। अगर नहीं होता तो हरसाल हड़ताल क्यों होती, हड़ताल होने की नौबत नहीं आती । इसी प्रकार कुछ और कारण हो सकते हैं, जिनसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें इस ओर कदम उठाना चाहिए । इसी तरह से माननीय यातायात मंत्री जी ने बसेज के राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में इस सदन में कहा कि बसेज का राष्ट्रीयकरण हम करना चाहते हैं । मैं सोचता हूं समाजवाद की ओर यह एक कदम है, लेकिन इसको हम पूर्ण रुप से समाजवाद नहीं कह सकते लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे है । इसलिए सरकार को चाहिए कि दूसरे उद्योग का, खासतौर पर खनिज पदार्थों का राष्ट्रीयकरण करें । मैं सोचता हूं कि खनिज पदार्थों में कम पैसा लगता है, दूसरे उद्योगों के बजाय कम पैसा लगता है । इस ओर सरकार कदम उठाती है, तो न

(श्री गिरधारीलाल)

ज्यादा पैसा लगेगा तथा बेकारी खत्म होगी। लाखों करोड़ों रुपया चन्द व्यक्तियों की जेब में जाता है, वह बचेगा और उसे आप राष्ट्र निर्माण में लगा सकते हैं। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं, उनमें भी पैसे की आवश्यकता है। लेकिन उस पैसे को लायें कहां से, इस कारण जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं, दूसरे दूसरे तरीके अपनाते हैं, जिससे वे योजनायें पूर्ण हो सकें। मैं सोचता हूं कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, उतनी जल्दी करने से पैसा आपको उपलब्ध हो सकेगा। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे चार कटौती के प्रस्ताव है। सबसे पहले मैं पलाना खान के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पलाना कोयला खान राजस्थान की एकमात्र खान है और इस खान के प्रति सरकार का और सरकारी अधिकारियों का अभी तक जो रवैया रहा है, वह चिन्ताजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट, जो सन् १९५८-५९ की है, उसके कुछ उद्धरण सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि जिस प्रकार खानों का प्रबन्ध रहा है, उससे सरकार को नुकसान हुआ है। इसमें लिखा है :

जिस कारण राज्यकोष में करोड़ों रुपयों की निरन्तर हानि होती चली आ रही है उसमें समिति की यह निश्चित राय है कि जो सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी हैं उनके प्रति उपयुक्त अनुशासन की कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसे उपाय निश्चित रूप से किये जाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो सके। इस स्थिति के लिये किसको जिम्मेदार ठहराया जाये, इसकी सरकार द्वारा जांच की जाकर, जांच की रिपोर्ट की प्रति समिति को भेजी जावे तथा यह भी सूचित किया जावे, कि उस पर क्या कार्यवाही की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समिति ने खानों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कई टीका टिप्पणी की हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पलाना कोलेरी पर, कोल, माइन्स एक्ट, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, १९५२ में लागू हुआ। उससे पहले यह खान हमारी राज्य सरकार को करीब डेढ़ लाख का प्रति वर्ष मुनाफा देती रहती थी। इस कानून के लागू होने से हमारी खानों पर एक असर पड़ा, वह चीज़ एक टेक्निकल पॉइन्ट था। एक इंजीनियर काम करता था उस खान में, जो कई वर्ष से खान को सक्सेसफुली रन कर रहा था और उससे लाखों रुपया हमारी सरकार को मिलता रहा। जब कोल माइन्स एक्ट लागू हुआ और उसके लागू होने से उस इन्जीनियर को सेकिंड ग्रेड का इन्जीनियर माना गया। उस एक्ट में प्रोविज़न रखा गया था कि सेकिंड क्लास इन्जीनियर ढाई हज़ार टन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकता। वह इन्जीनियर उस खान को सक्सेसफुली रन करता आ रहा था और वह इन्जीनियर हर महीने पांच छः हजार टन कोयला उस खान से निकालता

(श्री भीमसेन)

था । उस कानून के लागू होने से वह उस खान को ऑपरेट करने के लायक नहीं रहा ।

३. म० प०

इस माने में कि इस खान से वह इन्जीनियर ढाई हजार टन से ज्यादा कोयला नहीं निकाल सकता, यह कानूनी पाबन्दी इस पर लगाई और इस कानून के अन्तर्गत सरकार को फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर की आवश्यकता हुई और सन् १९५३ से आज तक सरकार ने लगातार इस बात की चेष्टा की कि फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर लाया जाय । सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्जीनियर वर्षों से सक्सेसफुली इस खान के काम को ऑपरेट करता था, सरकार को चाहिये था कि सैंट्रल गवर्नमेंट को मूव करती कि जो इन्जीनियर हमारे यहां वर्षों से इस खान को सक्सेसफुली ऑपरेट करता आ रहा है, क्यों नहीं उसको ही फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेज़र की डिग्री दे दी जाय, या फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर की कैटेगरी में उस इन्जीनियर को शुमार किया जाय । मेरी समझ में नहीं आता कि महज पेपर क्वालिफिकेशन की वजह से हमारी राजस्थान सरकार इतना नुकसान भुगत रही है । जो इन्जीनियर वर्षों से ६ हज़ार टन कोयला निकालता था, वह कैसे इन कानून से अनक्वालिफाइड हो जाता है ? सरकार को चाहिए था कि उस इन्जीनियर को क्वालिफाइड मानती, उस इन्जीनियर को इस खान के चलाने का भार सौंपा जाता पर खैर इस एक्ट के ज़रिये सरकार ने माना कि फर्स्ट क्लास इन्जीनियर होना चाहिये । पर राजस्थान सरकार १९५३ से १९५८ तक फर्स्ट क्लास मैनेजर रखने में असमर्थ रही । माननीय उपाध्यक्ष, यह सोचने की बात है और मैं तो मानता हूं कि महज़ लाल फीताशाही की वजह से पांच साल तक सरकार फर्स्ट क्लास मैनेजर प्राप्त नहीं कर सकी । पर इसके कारण हमारी सरकार को किस प्रकार की हानि हुई, इसके लिये दो शब्द कहना चाहता हूं ।

राजस्थान गवर्नमेंट की एप्रोप्रियेशन अकॉउन्ट्स ५५-५६ की रिपोर्ट है, उसमें बतलाया गया है कि हमें कितना कितना लाभ इससे हुआ है :

१९५१—५२ में १५६००० रूपया लाभ हुआ

५२—५३ में १२१२७५ रु० „ „

५३—५४ में २८०६५ रू० „ „

और ५४—५५ में १२५२० रूपया मुनाफा हुआ

और इस तरह निरन्तर इस खान से हमें नुकसान होता जा रहा है । जब कि ५१—५२ में यह खान हमें डेढ़ लाख रुपया मुनाफा दे सकती थी, तो वही खान क्या कारण है कि ५३—५४ में केवल १२००० रूपया मुनाफा देती है तो समझ में नहीं आता कि इस तरह निरन्तर लाभ घटता जा रहा है, तो इसमें कोई न कोई कारण है कि जिससे यह खान निरन्तर घाटे की ओर जा रही है ।

१९४८ में बीकानेर स्टेट ने ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से इस खान को ऑपरेट

(श्री भीमसेन)

करने का निर्णय लिया था और उस निर्णय के मुताबिक २००००० दो लाख की मशीनरी भी बीकानेर स्टेट ने खरीद ली थी और अगर राजस्थान नहीं बनता तो बीकानेर स्टेट ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से इसको चालू करती। आज जिस पद्धति से जो कोल रेज किया जाता है, उसमें ६०,७० पर्सेन्ट कोल जमीन में ही रह जाता है कोयला कितनी आवश्यक वस्तु है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं, आज नेशनल वैल्थ का ६०,७० पर्सेन्ट कोल जमीन में रह जाय तो यह एक सोचने की बात हो जाती है, इसी बात को लेकर बीकानेर स्टेट ने ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से ओपरेट करने की स्कीम बनाई थी और हमारी राजस्थान सरकार ने भी माना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से ऑपरेट करेंगे, पर इस योजना का इतना अर्सा बीत चुका है, हम बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने फिगर्स से बताया कि इस खान में हम बराबर नुकसान की ओर जा रहे हैं।

तो इस कट मोशन से मेरा यह आशय था कि सरकार जितनी जल्दी हो सके इसको ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम से ऑपरेट कराये और आज तक जिस कारण से नुकसान भुगतना पड़ रहा है, इस ओर सरकार ध्यान दे।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव यह है कि लूणकरणसर तहसील का जियोलोजिकल सर्वे कराया जाय। माननीय उपाध्यक्ष, लूणकरणसर राजस्थान का वह इलाका है जहां इन्सान के पीने के लिये मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश गांवों में इस तरह का पानी है कि पशु इस पानी को पी ले तो पीते ही मर जाय। हम अपनी भाषा में इसको बिराइजगा कहते हैं। पर वहां के इन्सान इस पानी को पीकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, कुछ कुओं का और कुछ बरसात का पानी मिला कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस इलाके के लिये राजस्थान सरकार ने कई स्कीम्स बनाई और कुएं खुदवाये गये, कुओं के लिये लोगों ने भी पैसा दिया, सरकार ने भी दिया, और राजस्थान सरकार तथा जनता का १०,१५ हज़ार रुपया बर्बाद करने के बाद भी नतीजा यह निकला कि वहां खारा पानी ही उपलब्ध हुआ। तो मेरा कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब यह है कि हज़ारों लाखों रुपया सरकार का और जनता का बर्बाद होता है उसको कैसे बचाया जाय तो अन्डर करेंट जहां जहां नीचे मीठा पानी है, उसकी तसल्ली करें और यह सब जियोलोजिकल सर्वे से ही हो सकता है। हमारी इस तहसील में दो चार गांव हैं जहां पर कुएं खोदे वहीं पर पानी मीठा निकलता है इससे साबित होता है कि इस तहसील में अन्डर करेंट्स ऐसे हैं कि वहां मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है। पर यह जनता के करने का काम नहीं है, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो जनता को मिठा पानी उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार जनता तथा सरकार के पैसे का जो वेस्टेज़ होता है वह रुक सकता है।

इसके अलावा मेरे दो कटौती प्रस्ताव और हैं, उनमें से एक तो यह है कि मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६ — वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (कोलायत मुलतानी मिट्टी का एक्टिवेशन

(श्री भीमसेन)

प्लान्ट लगाने की योजना पर बहस करने के लिये ।

और दूसरा है, मांग संख्या १४ शीर्षक ३६ वैज्ञानिक विभाग में एक रुपये की कटौती की जावे (लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पैरिस के कारखाने में होने वाली विलम्ब पर बहस करने के लिये)

पहली प्लान में मुल्तानी मिट्टी का एक प्लान्ट लगाने की स्कीम थी उसके लिये ११ लाख रुपये की सेक्शन हुई थी पर इस प्लान्ट को लगाने में आज तक किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है ।

मैंने पिछले वर्ष इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था तो जवाब में कहा गया कि मुल्तानी मिट्टी को टेस्ट कराने के लिये हैदराबाद लेबोरेटरी में भेजा गया है, और टेस्ट का रिजल्ट आने पर इस सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी । इस चीज को एक वर्ष हुआ पर मैं समझता हूँ आज तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया है, मुझे यह कहा गया था कि रिजल्ट आने पर सरकार इस सम्बन्ध में सोचेगी ।

सोचने का प्रश्न यह है कि जिस गति से और रुचि से हम योजनाएं बनाते हैं, उसी गति और रुचि से उन योजनाओं को अग्रसर करने का उत्साह होना चाहिये, उसका अभाव है । इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि लूणकरणसर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कामशुरू किया जावे । लूणकरणसर में सेलोलाइट निकलता है । सन् १६४६ में बीकानेर गवर्नमेंट ने नेचुरल साइन्स कम्पनी, जो बंगाल की कम्पनी थी उसके साथ एग्रीमेंट किया और उसके साथ ३० वर्ष के लिये कॉन्ट्रेक्ट हो गया । उसमें यह भी शर्त थी कि जो रॉ–मेटीरियल वहां पर उपलब्ध होगा उसको प्रयोग में लिया जावे । यह १६४८ की बात है । आज १६५६ चल रहा है ! आज उस बात को पूरे ११ वर्ष हो गये हैं लेकिन जो प्लान चलना चाहिये था वह आज भी नहीं लग पाया है । आज अगर प्लान लगा हुआ होता तो १० वर्षों में बहुत लाभ होता, और जितना रॉ-मेटीरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वह यहां पर काम आता और यहां की जनता को एम्पलॉयमेंट मिलता जिससे आज तक यहां की जनता महरूम रही । मेरी जानकारी में आया है कि सरकार उस कम्पनी पर फिर जोर दे रही है कि वह जल्दी से जल्दी इस काम को हाथ में ले । माननीय उपाध्यक्ष, मेरी शिकायत इतनी ही है कि इसमें जल्दी होनी चाहिये । बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री जगदीप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस पर कटौती का प्रस्ताव है । मैं उसे मूव करता हूं । वास्तव में देखा जाए तो यह विभाग सेमी कॉमर्शियल विभाग माना जाता है, और यह विभाग हमको कमा कर देता है, और देना चाहिये । मगर जिस ढंग से ठेका दिया जाता है और जिस ढंग से रुपया कमाया जाता है उस संबन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस विभाग में ठेके दिये जाते हैं और जहां तक हो सके पुराने ठेकेदारों को ठेके दिये जाते है । यह तो ठीक है कि पुराने और जाने पहिचाने लोगों को ही ठेके दिये जावें और एक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

व्यक्ति कई वर्षों तक ठेका लेता रहे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। हम उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते और हम यह नहीं चाहते कि उसको ठेका नहीं दिया जावे, लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि जिन में लाखों रुपयों की बकाया है और वह भी एक वर्ष की नहीं, दो तीन और चार चार वर्षों की बकाया हो और उन व्यक्तियों को ठेके देकर उनको प्रोत्साहन देते रहें, तो यह उचित नहीं है। मैं आपको ३१.३.५८ तक की बकाया जो चलती आ रही है उसकी रकम है ३३,३६ ६३८ रुपये ३२ नये पैसे। यह रकम कोई छोटी मोटी धन राशि नहीं है। आज हम बजट में देखते हैं कि रुपयों की कमी है और इसके लिये सरकार डी. पी. आर की कार्यवाही करती है मगर उसमें किस हद तक सफलता मिलती है। सफलता मिलती है या नहीं यह अलग बात है। जैसा कि अभी कोटा का जिक्र आया उसमें कहा गया कि कोटा की एसोसिएटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज़ है उस अकेली में ४, ३५, ३८७ रुपये बकाया हैं। यह सबसे बड़ी स्टोन फैक्ट्री है। मगर जब हमने यह देख लिया कि यह आदमी चोर है, और रुपया नहीं देता है और उसके खिलाफ रुपयों को वसूल करने के लिये पी. डी. आर. की कार्यवाही करनी पड़ती है तो उस व्यक्ति को फिर ठेका क्यों दिया जाता है। हमें चाहिये कि इस तरह की मोनोपोली क्रीएट नहीं करें। हां, हमको यह जरुर देखना है कि किसी को नुकसान नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमको डिफाल्टर्स है उनको ठेका देना भी उचित नहीं है। मगर इसके लिये गवर्नमेंट की तरफ से जबाब होगा उस समय गवर्नमेंट यही कहेगी कि यह तो सेमी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है और इसमें इसी तरह से चलता आ रहा है। उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिये। हम भी यही चाहते है कि उनको किसी तरह से नुकसान न हो लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वे रुपया न दें तो फिर क्या किया जाना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जिस दिन बजट भाषण का उत्तर दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि लोग यह कहते है कि बेकारी नहीं मिट रही है इस संबन्ध में उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट के आंकड़े हमारे सामने रखे। उन्होंने बताया कि आज हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में इतना उत्पादन हो गया है। इतना उत्पादन होने के बावजूद भी आज जिस प्रकार की स्थिति है उसे हम देखते है और उसमें कोई अन्तर दिखाई नहीं देता है।

मैं एक बात अर्ज़ करूंगा और उसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और वह यह है कि बेकारी की समस्या का हल नहीं हुआ है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मशीनरी से उत्पादन बढ़ा, लेकिन जहां चार हज़ार मज़दूर काम करते थे वहां पर आज एक हज़ार मज़दूर ही काम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उत्पादन बढ़ा लेकिन मेकेनाइज़ेशन से बेकारी नहीं मिटी और मशीनरी का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्पादन बढ़ा है मगर बेकारी नहीं मिट रही है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय सदस्य इसके लिए कुछ सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सबसे बड़ा सुझाव यही है कि यह जो क्षेत्र

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हैं उसकी सर्वे हो। आज तक इसकी सर्वे नहीं करा सके हैं। आज हम राजस्थान में कपड़े की मिल खोल रहे हैं जिससे कि हमारे यहां के लोगों की बेकारी मिटे परन्तु मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो हम किशनगढ़ की मिल को बन्द कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाली मिल की तीसरी शिफ्ट भी बन्द कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने फरमाया कि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन बेकारी नहीं मिट रही है और दिनों दिन फैलती जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैकेनाइज़ेशन नहीं होना चाहिये ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अगर हम मैकेनाइज़ेशन नहीं करेंगे तो उचित नहीं होगा। जैसे जिन्क स्मेल्टर अगर नहीं लगाया जाता है, तो हमको नुकसान होगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज ११ वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक इसका सर्वे नहीं हुआ है कि सारे प्रान्त में कितना खनिज़ पदार्थ है और कहां कहां क्या पाया जाता है। जिससे कि हमको पता लग सके। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार का भी माइनिंग डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप बहुत है। इसलिये दोनों के बीच में आने के कारण से भी हमारे प्रान्त में कुछ सुधार नहीं कर सके। मैं कपड़े की मिलों के बारे में इसलिये कहता था कि कपड़े की इन्डस्ट्री और खनिज़ विभाग में अन्तर है। हमारे यहां इतना खनिज़ पदार्थ उपलब्ध हो सकता है कि अगर उसकी सर्वे पूर्ण रूप से की जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां बेकारी की समस्या को मिटाया जा सकता है। लेनिक अभी तक हमारी सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और इसी कारण से यह कहना कि हमारे यहां यह पदार्थ इतना उत्पन्न होता है कठिन है। यह समस्या कई वर्षों से हल नहीं हो पाई है। जब तक हमारे यहां सारे प्रान्त का इस सम्बन्ध में सर्वे न हो जाए, तब तक यह कहना कठिन है कि कितना खनिज़ पदार्थ कहां कहां उपलब्ध हो सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहां का लोहा अधिकांश मात्रा में बाहर जाता है और यहां तक कि वह जापान तक जाता है। उसका यहां पर उपयोग होता तो बहुत बेकारी मिट सकती थी। अभी खंडेला के पास यूरेनियम की खान मिली है। उसमें अभी तक झगड़ा चल रहा है और अभी तक एक्सपर्ट कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं बना सके हैं कि यूरेनियम अच्छा है या नहीं। हमारी खंडेला की खानों में जो लोग काम करते हैं वे बताते हैं कि यूरेनियम बहुत अच्छी मात्रा का है। इसके अलावा सेन्टर और प्रांत के बीच में जब कोई चीज़ होती है तो प्रान्त सीधा आगे नहीं जा सकता। हमारे यहां ठेकेदारी प्रथा है। अभी निम्बाहेड़ा में ठेका दिया गया है वहां ५०,६० हज़ार की बिड़ देने वालों को ठेका नहीं दिया गया, और पुराने ठेकेदारों को ही ठेका दिया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग उपमंत्री) : आपकी यह सूचना गलत है। आपकी यह सूचना कि हाइएस्ट बिडर को ठेका नहीं दिया गया, और पुराने ठेकेदारों को ही दिया गया, गलत है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो यह बाद में परिवर्तन हुआ होगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले से ही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपका रुख बाद में बदल गया होगा, जब हो-हल्ला हुआ उस समय आपने अपने रूख को ठीक कर लिया होगा।

तो इस डिपार्टमेंट के बारे में बकाया के संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और जिन में ज्यादा बकाया है उनको डिफल्क्ट कर दिया। वे पूरे परिवार के नाम से ठेके ले लेते हैं। एक को डिफाल्टर घोषित किया तो दूसरा भतीजे के नाम से या स्त्री के नाम से वह व्यक्ति ठेके ले लेते हैं और राज्य सरकार को चोट कर जाते हैं। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इस प्रकार के डिफाल्टर्स पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उनके ही हाथ में यदि काम चला जाता है तो उस काम का विकास नहीं होता। अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि ३२ लाख की वसूली की जाय और जिनमें रकम बकाया है उनको तो ठेका दिया ही नहीं जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minister-in-charge.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप मंत्री, खनिज विभाग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने भिन्न २ सुझाव रखे हैं, उनमें से, मैं यह समझता हूं कि बहुत से तो ऐसे हैं जो मूलतः एक पॉलिसी से ताल्लुक रखते हैं और बहुत से ऐसे हैं जैसा माइन्स डिपार्टमेन्ट के वर्किंग के बारे में बताया गया और कुछ इन्स्टान्सेज़ कोट किये गये जिनसे यह बताने की कोशिश की गई कि खनिज विभाग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है।

मैं सबसे पहले उस बात पर चर्चा करूंगा जिससे सब बातों का ठीक प्रकार से स्पष्टीकरण हो सके। माइन्स डिपार्टमेन्ट से खानों के ठेके दिये जाने की पद्धति है। उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का माइन्स एण्ड मिनरल रेगुलेशन एक्ट है और उसके तहत में मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाये गये हैं। जो कि मेजर मिनरल्स से ताल्लुक रखते हैं और नियमों के अन्तर्गत ही वे खाने जो मेजर मिनरल्स में आती हैं, वे ठेके पर दी जाती है। इसके बाद राज्य सरकार को माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाने का अधिकार है और उनका मिनरल कन्सेशन रूल्स में प्रावधान रखा गया है। सन् ५५ में राज्य सरकार ने ऐसे मिनरल कन्सेशन रूल्स बनाये और उन्हीं के प्रावधान के अन्तर्गत सारी कार्यवाही की जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी प्रावधान है, प्रोविजन्स है उनको ध्यान में रखते हुए यदि माननीय सदस्य बहस करते तो अच्छा होता लेकिन मुझे अफ़सोस है कि उन नियमों की जानकारी माननीय सदस्यों को न होने के कारण जो आक्षेप लगाये गये हैं वे उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं राष्ट्रीयकरण के विषय में निवेदन कर दूं।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयकरण मेजर मिनरल्स का है। राजस्थान में काफ़ी मेजर मिनरल्स हैं। उनकी मिनरल कन्सेशन रूल्स में लीजेज दी जाती हैं, उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इजाजत मांगी जाती है, और जो

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

डेड रेन्ट मुकर्रर है वही लिया जा सकता है उससे अधिक नहीं। तो इस तरह से देने के भी प्रावधान हैं जिनके अन्तर्गत दे सकते हैं। मेजर कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत किसी खान को नीलाम करने का प्रावधान नहीं है। जो फ्री एरिया है उसकी दर्ख्वास्तें होती हैं, एक से अधिक दर्ख्वास्तें आती हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ जो उन नियमों में लिखी हुई हैं उन्हीं के अनुसार डिटरमिन होती हैं और उसके बाद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की इजाज़त से दिया जाता है। ये सारे प्रावधान मौजूद हैं। इसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स हैं उनके भी प्रावधान हैं। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप इस सम्बन्ध में लगाया उसके बारे में निवेदन करूंगा कि उन्होंने यह बताया कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स एक आदमी को दे दिया जाता है, वह जो माल निकालता है वह दरअसल सरकार का होता है और माइनिंग लीज़ लेकर उसको बेच देता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि रूल्स २३ है उसमें प्रावधान बताया गया है कि किन्हीं मिनरल्स को खुद ले जाने का अधिकार है, बेचने का अधिकार है, कुछ पैसा चार्जेज के दिये जाते हैं। वह प्रावधान मौजूद है। उसके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यदि किसी पर्टिकुलर केस में किसी ने नियमों के विरुद्ध काम किया है तो वह दूसरी चीज़ है लेकिन नियम मौजूद हैं और उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। अगर बेचने की इजाजत दी जाय तो भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की इजाजत से दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : रूल्स तो मौजूद हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन किया जाता है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय सदस्य मुझे पहले सुन लें बाद में कुछ पूछें तो अच्छा होगा। जब आपने कहा मैंने आपको इन्टरप्ट नहीं किया और अब आपको भी नहीं करना चाहिये।

तो मैंने निवेदन किया कि इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं। समझ करके कोई बात कही जाती और यह ज्ञान होता कि मिनरल कन्सेशन रूल्स में क्या बातें दर्ज हैं प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स देने की क्या कन्डीशन है तो मैं समझता हूँ ऐसा मौका नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिए हवाला देते हुए कहा है।

जहां तक नैशलाइजेशन का सवाल है...

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रोस्पेक्टिंग का फिर पॉइन्ट छोड़ दिया। फिर आप कहेंगे कि मुझे इन्टरप्ट कर रहे हैं। फिर आपको दुबारा इस पर आना पड़ेगा। इसलिए यह बताने की कृपा कीजिये कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के अन्तर्गत माल एक्स्ट्रेक्ट किया है, उसको बेचने के अधिकार के बाद राज्य सरकार को उससे कोई आमदनी हुई है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि रूल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं भी जानता हूं कि रूल्स हैं लेकिन उनका इम्पलीमेंन्टेशन नहीं होता।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसके तहत जो कुछ भी आमदनी होती है और

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हुई है, वह भी हमारे यहां जमा है। रूल्स के तहत जो कुछ माल बेचने की इजाजत दी है और सरकार को जो आमदनी हुई है वह जमा हुई है। अगर किसी ने रूल्स की अवहेलना की तो वह दूसरी चीज़ हो सकती है लेकिन यह कह देना कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स में, माल उनको ले जाने दिया, पैसा लेकर नहीं ले जाने दिया, मैं कहता हूँ कि यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : अधिकांश को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिले हैं, जितना माल उन्होंने एक्ट्रेक्ट किया है, अधिकांश ने जितनी रायल्टी चार्जेबल थी और देनी चाहिये थी नहीं दी। यदि माननीय उप मंत्रीजी चाहें तो एक एक के नाम भी दिये जा सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा माल को दिखवालें तो उससे भी उनको पता लग सकता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कोई माननीय सदस्य ऐसे आंकड़े देंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इसकी जांच करा ली जावेगी। यही नहीं कि मैं ज़ांच कराने के लिए तैयार नहीं हूँ, बराबर जांच कराई जायगी, और जिन्होंने नियमों के खिलाफ़ कार्यवाही की है उनके विरुद्ध एक्शन लिया जावेगा। जिस चीज़ का हवाला दे रहे हैं, यह हो सकता है कि आमदनी की विगत इसमें न दी हो, लेकिन रेवेन्यू में जो आमदनी इससे हुई है वह मौजूद है, विगत न दिये जाने से ही यह दलील नहीं हो सकती है कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के माल का चार्ज नहीं किया। जो चार्जेबल है, चार्ज किया गया और चार्जेबल नहीं है तो नहीं किया गया।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स हैं और जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है उसको किसी प्रकार से बालाबाला बिल को केंद्रीय सरकार की इजाज़त के लीजेज देने का अधिकार नहीं है। तो जब तक ऑल इन्डिया पॉलीसी यह न बन जाय कि जितने भी मिनरल्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय, तब तक राजस्थान सरकार इस प्रकार की बात नहीं कर सकती। यह कहा जा सकता है कि जितने भी माइनर मिनरल्स हैं उनका ही राष्ट्रीयकरण किया जाय इसमें जो हम छोटे छोटे ठेके देते हैं २०×२० फुट की खान है वह चाहे पत्थर की हो या अन्य किसी खनिज की इसमें छोटे छोटे ठेके भी होते हैं और बड़े भी, इनके लिये यह कहा जा सकता है कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता स्टेटेजिक इम्पोर्टेन्स के ऐसे खनिज हों जिनका राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण करें यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन सब माइन्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, यह न तो राज्य सरकार कर सकती है और न राज्य सरकार के पास इतनी रकम है और न रिसोर्सेज ही है जो सारे माइन्स का राष्ट्रीयकरण कर सके। ऐसी दशा में राष्ट्रीयकरण इस मौके पर किया जाना कोई आसान बात नहीं है।

इसके अतिरिक्त सदन में यह भी बात कही गई कि राजस्थान का जिओलोजिकल सर्वे नहीं किया गया है और यह भी मालूम करने की कोशिश नहीं की गई है कि हमारे यहां पर कौन कौन से खनिज पदार्थ भूगर्भ में मौजूद है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं जहां तक जिओलोजिकल सर्वे का

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

सवाल है यहां पर बराबर चलते आ रहे हैं। आज यह कोई नहीं कह सकता कि सर्वे कम्पलीट हो गया हैं क्योंकि जमीन के अन्दर कितना और कैसा खनिज पदार्थ विद्यमान है इस बारे में पूर्णतया कोई नहीं कह सकता इस बारे में पता लगाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिये बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिये टैक्निकल पर्सन्स चाहिये जो यह कार्य कर सके फिर भी माइन्स डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जिओलोजिकल डिपार्टमेंट अलग है। हमारे जिओलोजिस्ट आते हैं जहां जहां खाने मिलती हैं उनको देखते हैं और बहुत सी जगह तो इस प्रकार से काम भी हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के अन्दर और नीम का थाना के अन्दर सोजत में इस प्रकार चार पांच जगहों पर सीमेन्ट लाइम स्टोन बहुत मात्रा में उपलब्ध हुआ है वहां ड्रिलिंग किया गया उसकी रिपोर्ट भी छपी है जिसमें यह बताया गया है कि यह पत्थर सीमेन्ट के लिये काम आता है। इसके अलावा डूंगरपुर के अन्दर फ्लोराइट का बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर फ्लोराइट का डिपोजिट मूव हो जाता है कि वह कितनी मात्रायें हैं तो यह भारतवर्ष में पहली मिनरल होगी जो अब तक दूसरी जगह उपलब्ध नहीं हो सकी है।

रिखबदेव में जिंक लैंड के लिये जिओलोजिकल सर्वे हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से भी हमने समय समय पर सहायता ली है, इन खनिजों के पता लगाने में। खेतड़ी के अन्दर और खो दरीबा के अन्दर कोपर माइन्स है वह कितनी डीप गई है इसका प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। डेढ़ दो साल से बराबर जारी है इसमें अब तक नहीं कहा जा सकता कि आया वह इकोनोमिकली निकाला जा सकता है या नहीं बराबर इस किस्म के कार्य जारी हैं। नागौर के अन्दर जिप्सम के बारे में प्रोस्पेक्टिंग हुआ है सर्वे हुआ है जिसमें काफी अच्छे डिपोजिट्स मिले हैं। ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि जिओलोजिकल डिपार्टमेंट इस किस्म की सर्वे नहीं कर रहा है, जहां तक मुझे पता है मैं यह कह सकता हूं बराबर सर्वे हो रही है और इसके लिये बजट में प्रावधान भी है।

इसके बाद में एक बात यह भी कही गई थी श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा उन्होंने आउट स्टेडिंग के बारे में ध्यान दिलाया है। इसमें कोई शक नहीं कि माइन्स विभाग के ३३ लाख रुपया बकाया है। माइन्स डिपार्टमेंट जिस समय राजस्थान बना उसी वक्त से कायम हुआ हो यह बात नहीं यह विभाग सारी स्टेट्स के अन्दर मौजूद था और काफी बकाया उसी समय से है और वह हमें शिकायत में मिली है। वह बकाया काफी अर्से से चली आ रही है। उन बहुतों में झगड़ा है जिनमें बकाया है वे कहते हैं। यह वाजिब वसूली नहीं है हम कहते हैं। जब कोई डिसप्यूटेड आइटम हो या तो हम उसे पी० डी० आर० की कार्यवाही के लिये दें और वसूल करें। लेकिन इस पर भी वे कहते है कि लेज़िटीमेटली आप हम से वसूल नहीं कर सकते। आखिर कोर्ट में जाते हैं। जहां तक पहले की बकाया का सवाल है इस साल की बकाया में और पहले में काफी फर्क पड़ा है। पुरानी बकाया के जितने भी केसेज़ हैं मेजोरिटी ऑफ दी केसेज़

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

पी० डी० आर० में दिये हुए हैं जिन पर कार्यवाही चल रही है । आप खुद जानते हैं कि पी० डी० आर० में इस प्रकार का प्रावधान है, उसके अनुसार सर्टिफिकेट पेश किया जाता है । उसमें डिनायल की अपोर्चुनिटी दी जाती है उसके बाद फैसला करते हैं । उसके बाद भी दावा कर सकते हैं कोर्ट के अन्दर । हमने कई मामलों को कोर्ट के अन्दर पेंडिंग है वहां भी वे लोग यह कोशिश करते हैं देरी करने की, कि वह वसूल न हो । माइनर मिनरल के लीजेज हैं, मेजर मिनरल के ३०० के करीब लीजेज हैं, इसमें से कई लीज होल्डर्स में रकम बकाया रह सकती हैं । खास तौर से एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज़ के बारे में भी जिक्र किया गया उस पर छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में एराज किया कि एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा को रॉयल्टी के लिये मोनोपोली दी थी । यह मोनोपोली कोटा रियासत के समय से दी हुई थी । यह मोनोपोली उनको पर्टिकुलर पीरियड यानि पंद्रह साल तक के लिये थी । दूसरा शख्स इस एरिया के अन्दर पत्थर नहीं निकाल सकता वह करीब ३०० स्क्वायर माइल का एरिया होता है । जिसके अन्दर पत्थर निकालने की मोनोपोली दी हुई है उसके बाद राजस्थान सरकार ने लीज कैन्सिल कर दी और जैसा कि छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मुख्य मंत्री के पास यह विभाग था उन्होंने अपने हुक्म से यह फैसला किया और उस मोनोपोली को कैन्सिल करने का आदेश दिया । कैन्सिल करने के बाद भी वे कोर्ट में जाते हैं । दावा चल रहा है कोर्ट में । और मुझे जहां तक खयाल है, यह इस स्टेज पर है कि शहादत पार्टीज की हो रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैंने निवेदन यह किया था कि स्टे ऑर्डर को कैन्सिल क्यों नहीं किया गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टे ऑर्डर किस प्रकार कैन्सिल कर सकते हैं । किसी मामले के अन्दर कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया गया है उसके खिलाफ कोर्ट में जब कि दावा चल रहा है तो कोर्ट के निर्णय के पहले स्टे ऑर्डर को किस प्रकार कैन्सिल कर सकते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने तो यह कहा था सात साल तक इसको निपटाने के लिये कुछ काम नहीं किया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप भी एडवोकेट हैं समझ में नहीं आता कोर्ट के अन्दर केस है सरकार ने सब से बड़े एडवोकेट को मुकर्रर कर रखा है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अफसोस तो इस बात का है कि आपके भी समझ में नहीं आता है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस मुकदमें के लिये यहां सब से बड़े एडवोकेट श्री चिरन्जीलाल अग्रवाल को सरकार की तरफ से कर रखा है सरकार ने तो पूरा प्रबन्ध कर रखा है । सारी चीजें मौजूद है उसके बावजूद भी आप यह कहते हैं कि हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया गया ।

इसके अलावा आउट स्टेंडिंग के बारे में भी कहा गया । वे डिस्प्यूट करते हैं हमारे

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

से जो आउट स्टेंडिंग मांग रहे हैं वे एग्रीमेन्ट के तहत मांग नहीं सकते, सरकार कहती है कि मांग सकते हैं। जब यह मामला पी० डी० आर० में चला कलेक्टर और कमिश्नर का फैसला सरकार के हक में हुआ, लेकिन फिर उसको रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर ले गये। अब इसका क्या करें। यह तो सरकार के हाथ की बात नहीं कि रेवन्यू बोर्ड में मामला चला जावे, तो कह दें कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये कुछ डिस्प्यूटेड मामले हैं बकाया के। करेन्ट बकाया का जहां तक सवाल है, इसमें मेरे खयाल से ज्यादा डिफाल्टर्स नहीं हैं। हमने तो इस सिलसिले में रुल्स भी बनाये हैं कि जिनके खिलाफ आउट स्टेन्डिंग हैं और दरअसल में जिनका बोनाफाइडी डिस्प्यूट नहीं है उनको ठेका नहीं दिया जावे। जहां तक हो सकता है। शीघ्र वसूल करने की कोशिश की जाती है परन्तु यह विभाग भी कुछ ऐसा कॉमर्शियल विभाग है। इस वजह से हमारी आगे के लिहाज से पिछली वसूली हो जाती है। जब लीज दिये जाने या रिन्यु करने का सवाल आता है तो रुपया दे देते हैं। करन्ट आउटस्टेन्डिंग इस प्रकार कम हो जाती है।

अब माइका के सिलसिले में कहा गया। पहले पर्सेन्टेज बेसिस पर था, मैं खुद इसको मानता हूँ। पर वहां के लोगों ने सामूहिक तौर पर यह रिप्रेजेन्टेशन किया कि जब और प्रदेशों में जैसे आन्ध्र और बिहार हैं, बिहार सबसे बड़ा माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है, इसके बाद राजस्थान है और बाद में आन्ध्र, और वहां रेट सिस्टम पर है, तो आप पर्सेन्टेज बेसिस पर क्यों चार्ज करते हो। इसकी वजह से हमारे व्यापार में फर्क आता है। हमें उनसे कम्पीटीशन करना पड़ता है, और बाहर भेजना पड़ता है। तो रिप्रेजेन्टेशन को देखकर और बिहार और आन्ध्र में जिस प्रकार कड-पाइरकेवजन गया उसी तरह यह भी लगाया गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पिट्स माउथ पर वेल्यू कौन करता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका जवाब दूँगा। इस सिलसिले में माइका एक्ट भी अपन ने पास किया है, और लास्ट असेम्बली में ही पास किया है और यह भी मालूम हो कि आउट पुट के और जितने फैक्ट्स फिगर्स उनको भेजने पड़ते हैं उनका बराबर चैकिंग होता है, हमारे माइनिंग डिपार्टमेन्ट के अन्दर, हमारे क्लर्क वगैरह उनके पास जाकर उनके रजिस्टर वगैरह का चैकिंग करते हैं, कि आप के यहां से कितना निकला और कितना माल आपकी खान से आपने निकाला कितना बाहर भेजा, कितने मजदूर एन्गेज किये, इसका साप्ताहिक या ऐसा ही स्टेटमेन्ट उनको भेजना पड़ता है और उनको चैक करने के बाद हम तै करते हैं। ऐसी बात नहीं कि जैसा वे कह दें वैसा मान लें।

श्री भैरोंसिंह : पिट्स माउथ पर वेल्यू करने के लिये गवर्नमेन्ट की मशीनरी नहीं है बल्कि जो वे स्टेटमेन्ट देते हैं उन्हीं पर रिलाई करना पड़ता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पिट्स माउथ की वेल्यू करने के लिये हर एक माइका खान पर अलग से आदमी बैठा रहे, यह आपका कहना है।

श्री भैरोंसिंह : किसी पर हो तो बता दो।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। निश्चित तौर पर उनके यहां से जो माल निकलता है और उनकी जो लेबर्स होते हैं उनको पे देनी पड़ती है, लेबर्स एम्प्लॉय करते हैं उनकी और जितना माल मालवे के लोग बताते हैं उतना निकलता है उसका जिक्र उस स्टेटमेन्ट में होता है। आप कहेंगे दर असल में जितना निकला या नहीं इसके लिये क्या प्रबन्ध है। मैं निवेदन करूंगा कि यही व्यवस्था सब जगह है। बिहार, आन्ध्र, सब जगह है।

श्री भैरोंसिंह : बिहार में पिट्स माउथ पर लिया जाता है और वहां व्यवस्था है उसकी वेल्यू करने की।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक पिट्स माउथ पर वेल्यू करने का सवाल है। वहां से जो माल निकलता है उसका स्टेटमेन्ट उनको बराबर भेजना पड़ता है। अब स्टेटमेन्ट को, आप कहेंगे कैसे मान लेते हैं। तो इसके लिये हमारे इन्स्पेक्टर्स मौजूद हैं वे जाकर वक्तन बवक्तन स्पोट पर जाकर चैक करते रहते हैं। पर एवरी डे आदमी इसके लिये नहीं बैठा रहता जो उसको चैकिंग करे। पर हमारे इन्स्पेक्टर्स बराबर मौजूद हैं। वे चैक करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है जैसी आप कहते हैं। जहां तक इसके चेन्ज का सवाल है वी हैव टू ब्रिन्ग देम इन पार विथ दी माइका लीज़ होल्डर्स ऑफ अदर प्रोविन्सेज़ और इस तरह से इसमें चेन्ज किया गया है।

जयपुर मिनरल डवेलपमेन्ट सिन्डीकेट के बारे में भी एक बात कही गई। यह तो मालूम है कि यह मामला जयपुर स्टेट के वक्त का है और जयपुर स्टेट ने इनको कुछ शर्तों पर यह ठेका दिया था। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर स्टेट के वक्त में उनको ४५ हज़ार वार्षिक के डेड रेन्ट पर १८ स्क्वायर माइल की लीज़ दी गई थी और इसमें यह कन्डीशन थी कि एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री इसमें वे लगावेंगे। उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन यह किया कि जहां पर दूसरी कॉस्मेटिक फैक्टरी लगी है कूटी या पौंड्स की उनसे हमें किसी प्रकार से यहां मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिये कॉस्मेटिक फैक्ट्री लगाना हमारे लिये मुमकिन नहीं है और इसके लिये लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट होगा, इसीलिए यह कन्डीशन हमारे शर्तनामे में से हटा दी जावे। इसको एग्ज़ामिन करते हुए इस क्लाज़ को इसमें से डिलीट किया गया। इसके बाद इसका डेड रेन्ट एक लाख और १५ हज़ार कर दिया गया। इस सिलसिले में १८ स्क्वेयर मील के एरिया की बात कर रहा हूं। यह हाईएस्ट डेड रेन्ट है जो दस रुपया फी एकड़ के हिसाब से रूल्स के अन्तर्गत हम चार्ज कर सकते हैं। इससे हम किसी प्रकार से बेशी चार्ज नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने रिप्रेजेन्ट किया कि आप १.१० हज़ार किस तरह से चार्ज करते हैं। इसका एरिया भी १८ से घटा कर १३ स्क्वेयर माइल कर दिया गया और इस हिसाब से इसका डेड रेन्ट भी ८३, २०० होता है।

श्री भैरोंसिंह : १३ का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां । और इस के बजाय हमने एक राउन्ड फिगर ६० हज़ार फिक्स कर दिया ।

आपका यह कहना है कि दस मील से ज्यादा नहीं दे सकते । यह सवाल माइनिंग लीजेज एक्ट के तहत में कन्ट्रोलर आफ माइनिंग लीजेज टेक अप कर रहा है, कम कर दिया जावेगा तो ६४ हज़ार हमको मिलेगा अब इस सम्बन्ध में समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार ने क्या गलत किया ।

श्री भैरोंसिंह : १८ स्क्वेयर माइल में वर्क कर रहा हैं आज के दिन या १३ में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आज तो १३ में उनका वर्किंग है ।

श्री भैरों सिंह : कब से ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कब से यह तो तारीख बाद में बता सकता हूँ ।

श्री भैरों सिंह : जांच करने के बाद में सक्युंलर निकाला है और आज भी कहता हूँ कि १८ स्क्वेयर माइल में उनका वर्क शुरू है । उन्होंने नक्शा नहीं पेश किया आप नक्शा पेश करने की ज़िम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं । तो १३ कहने से पहले वे अपने आप को दुरुस्त कर लें । इसमें सत्यता नहीं है । आज भी वह १८ स्क्वेयर माइल पर वर्क कर रहा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं दुरुस्त करके ही बोलता हूँ और आपको दुरुस्त करता हूं ।

श्री भैरों सिंह : मौका फिर आ सकता है जब आप कहें कि १८ है इसलिये आप अपने को अभी दुरुस्त कर लें । आज भी उनके कब्जे में १८ स्क्वेअर माइल है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस मौके पर कोई किसी को दुरुस्त न करें आप आरम्भ रखिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह १८ के बजाय १३ स्क्वेअर माइल है । मुझे इन्फोर्मेशन जो दी गई है उसके मुताबिक यही है । इसका डेड रेन्ट आगे जाकर कम हो जावेगा, ठीक है । जो कुछ भी एक्ट के मातहत कन्ट्रोलर आफ माइनिंग लीजेज करेगा उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : माइको माइनिंग प्लान्ट के बारे में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके साथ साथ में जो माइकोमाइनिंग प्लान्ट के में १०० पौंड कैपेसिटी के लिए जाने के लिए बात थी । इसको पार्टी सेट-अप नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई डिमाण्ड इन्डिया के अन्दर नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : क्या १ लाख १५ हज़ार से कम करके ५० हज़ार का डेड रेन्ट रखा, उसमें यह शर्त थी कि पार्टी माइको माइनिंग प्लान्ट लगायेगी ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह शर्त थी और इस शर्त के ऊपर पार्टी ने रिप्रेजेन्ट भी किया कि यह ऐसा माइको माइनिंग प्लान्ट है जिसकी कोई डिमाण्ड इंडिया में नहीं है और ऐसी शक्ल में जब कि डिमाण्ड

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नहीं है तो यह प्लान्ट नहीं लगा सकते और कहा गया कि क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाये तो सरकार ने उसे डिलीट कर दिया...

श्री भैरोंसिंह : तो फिर पूरा १ लाख १५ हज़ार रुपया वसूल करिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्या प्लांन्ट नहीं लगाया तो भी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह बिल्कुल स्पष्ट सी बात है । जो मेटीरियल उनको दिया गया, उसको मिनरल कन्सेशन रूल्स के मुताबिक चाहिए उतना ही लिया जा सकता था और अगर फैक्ट्री नहीं लगी और दूसरे को दें तो भी गवर्नमेंट को उतनी ही इन्कम होती।

श्री भैरोंसिंह : अब ६५ हज़ार रुपया रूल्स के खिलाफ ले लिया। जब रूल्स की खिलाफियत ही होती है तो फिर पूरा ही क्यों नहीं वसूल करते।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया अगर रूल्स की अवहेलना की गई और ज्यादा लें तो फिर रूल्सकी अवहेलन शुरू करदें। मैं समझता हूं कि अगर हम करें भी तो कन्ट्रोल माइनिंग लीज़ हमें अलाऊ नहीं करेगा जब कि मिनरल कन्सेशन रूल्स में १० रुपया फी एकड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

दूसरे झालाना के केस के बारे में आपने जिक्र किया और यह बताया कि माइन्स डिपार्टमेंट ऐसा है कि माइनिंग इन्जीनियर आपका लिखता है कि इसको कैन्सिल कर दिया जाये और इसके बाद में नहीं किया गया। ऐसी बात आपने बताई। मैं समझता हूँ कि आप उसी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि कानादेवी लेसी है। अगर इसी के बारे में आपने जिक्र किया है तब तो मैं जवाब दे सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कानादेवी के बारे में ही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह झालाना का किस्सा इस प्रकार का है कि झालाना एक डूंगर है। इस डूंगर के बारे में यह बताया गया कि इसका आधा हिस्सा तो सांगानेर तहसील में आता है, और आधा हिस्सा जयपुर तहसील में आता है, और इस प्रकार कानादेवी और वेदप्रकाश के बीच में इस पर झगड़ा चला। वेदप्रकाश कहने लगा कि आधा हिस्सा मेरी लीज़ में आता है और कानादेवी कहने लगी कि पूरा का पूरा झालाना का डूंगर मेरे पास आता है। तो इस तरह से यह कानादेवी का जो १६ हज़ार में लीज़ था उसको वर्क नहीं कर सकी और वेदप्रकाश का ५००) में लीज़ था। इसके पश्चात कानादेवी का करीब १६,६०० का लीज़ था जो कि बराबर वर्क कर रही थी। फिर सवाल यह पैदा हुआ कि दरअसल में जिस समय आक्शन किया गया था उस समय आया कानादेवी को यह दिया गया था या देवप्रकाश को। इस प्रकार से यह डिस्प्यूट चली और उसके अन्दर करीब २ एक साल तक वह वर्क नहीं कर सकी। क्योंकि झालाना डूंगर से ही पत्थर निकलते थे इसके लिए उसकी अपील आई और उस पर फैसला सरकार ने किया कि जिस समय

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

यह डूंगर नीलाम किया गया था, वह कानादेवी का था और नीलाम के अन्दर भी उसी का नाम लिखा था और वेदप्रकाश का कहना दुरुस्त नहीं हैं और उसमें पत्थर निकालने का वेदप्रकाश को कोई अधिकारी नहीं है। यह फैसला हुआ और इसकी वजह से वह ८ महीने या सालभर तक काम नहीं कर सकी। इस बेसिस पर उसको अगली साल के लिए रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट का एक्टेंशन दे दिया, क्योंकि यह डिस्प्यूट थी और यह डिस्प्यूट भी इस प्रकार का पड़ गया था, कि सरकार उस पर फैसला जल्दी से नहीं कर सकी, इतने अर्से तक और यह बराबर डिस्प्यूट में रहा तो ऐसी दशा में कानून में प्रावधान भी है कि रॉयल्टी कलेक्शन कान्ट्रेक्ट को भी हम एक्सटेन्ड कर सकते हैं अन्डरसम एक्सेपशनल सरकमस्टान्सेज....

श्री भैरोंसिंह : वह एक्सेपशनल सरकमस्टान्सेज़ तो आप जब चाहे तब क्रियेट कर देते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ठीक है, आप नहीं मानें वह सरकमस्टान्सेज़ यह थे कि गवर्नमेंट के इन्डिसीज़न की वजह से रॉयल्टी कलेक्शन नहीं कर सके फार ए पीरियड ऑफ अबाउट एन ईयर तो एक साल का टाइम उसको एक्सटेन्ड किया गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसी भी पर्टिक्यूलर केस के कुछ फैक्ट्स होते हैं और उनके बेसिस पर उनका फैसला किया जाता है। उसमें अब आप यह कहें कि अमुक फैसला आपकी राय में गलत हो सकता है मगर हमारी राय में ठीक था, अब इसका तो निर्णय कौन करेगा....

श्री भैरोंसिंह : उस एक्सटेन्शन के लिए कोई एग्रीमेन्ट एग्ज़ीक्यूट किया था क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक एग्रीमेंट का सवाल है केवल कानादेवी का ही सवाल नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ कि हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे लीजेज़ हैं जिनके अन्दर बहुतसों के अन्दर एग्रीमेंट नहीं किया गया। मैं यह निवेदन करूं कि एग्रीमेंट्स के एग्जीक्यूट नहीं किये जाने की वजह से भी बहुत से मामलों में कुछ गलत फहमियां हुई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं यह माइनिंग इन्जीनियर ने कहा था कि आउट स्टेन्डिंग है उसके बाद में पेमेंट हो गया 'वी हैव नो आउट स्टेन्डिंग एट आल' और एक अर्से से कोई आउट स्टेन्डिंग नहीं है और करीब २ सारा का सारा पेमेन्ट हो गया है और जहां तक एग्रीमेंट का सवाल है वह एग्जीक्यूट भी हो। ....

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने एक साल के लिए एक्सटेन्ड किया उस समय एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था या नहीं और उस पर इन्स्टॉलमेंट पे हुआ या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इतनी डिटेल्स में तो मैं अर्ज नहीं कर सकता कि पहले एग्जीक्यूट हो गया था या नहीं ....

श्री भैरोंसिंह : और दूसरे आदमी की ४५ हजार की ऑफर आई थी जिस समय एक्सटेन्शन हुआ उस समय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इसके लिए भी निवेदन नहीं कर सकता हूं कि

Page No.94

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

दरअसल उसकी कोई ऑफर आई थी या नहीं। लेकिन यह जो फैक्ट्स मैंने आपको बताये वह मेरी जानकारी में जो थे वह आपको बता दिए।

प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्सेज़ के बारे में जैसा निवेदन किया है वह रूल्स के मुताबिक है...

श्री भैरोंसिंह : इम्पलीमेंट करते हैं या नहीं वह नहीं आया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप तो मुझे यह बता दें कि फलां फलां केसेज़ में इम्पलीमेंट नहीं किया है, और उसको अधिकार नहीं था बेचने का ले जाने का तो जरूर कार्यवाही की जायेगी।

३. ३८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

माननीय चेयरमैन महोदय मैं निवेदन करूंगा कि पर्टिक्युलर केस के बारे में इस समय आप चाहें कि मैं आपको यहां बता दूँ कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उनकी पूरी लिस्ट दे दें एक की ही नहीं बल्कि सब की कि जिन्होंने इस प्रकार से रूल नम्बर २३ की अवहेलना की गई है तो जरूर कार्यवाही की जायेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसकी बराबर कार्यवाही की जायेगी।....

श्री भैरोंसिंह : जिनको प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिये हैं और जिनका प्रोडक्ट आया है उनकी एवरेज निकालकर जो एक्सेस आती है उसके बारे में पूछ लीजिए कि वह कहां से आया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, वह सब है। इसके बाद में धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने मचकुंड तीर्थ धौलपुर के बारे में कहा कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है और उसको ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा है। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि उसको ठीक कराने के लिए और उसकी रिपेयर के लिए और ड्रेन्स वगैरह निकालने के लिए २५.०० रुपया मंजूर किया गया है और उसको टेकअप किया जायेगा तथा उसका काम भी कुछ किया जायेगा।...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या इतने बड़े क्षेत्र के लिए २५.०० की रकम काफी है।

श्री रिखबचंद धारीवाल : जो कुछ भी प्रावधान किया है वह किया गया है। यह मैंने आपकी जानकारी के लिए निवेदन किया है। धौलपुर स्टोन कम्पनी के लिए और धौलपुर में पत्थर नहीं मिलने की शिकायत की गई उसके सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में पर्सनली मेरे को शिकायत की थी और उसके बेसिस पर मैंने माइनिंग इन्जीनियर, कोटा को वहां जांच करके रिपोर्ट करने के लिए लिखा था और इस बात की जांच करने को कहा कि दरअसल में वहां पर लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए पत्थर मिलता है या नहीं मिलता है। इसकी जांच कराई गई रिपोर्ट भी की, कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिसकी वजह से वहां पर पत्थर नहीं मिलता हो मैं निवेदन करूं कि जो

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बातें कही गई हैं धौलपुर स्टोन कम्पनी के बारे में, और दूसरे वहां के ठेकेदारों के बारे में, यह सुझाव रखा है कि कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर उनको दिया जाय और उनको इस प्रकार से आगे कोई ठेका नहीं दिया जाय। मैं आज आपसे कहूंगा कि जहां तक ठेके दिये जाने का सवाल है हमारे रूल्स बने हुए हैं और उन रूल्स के तहत में सरकार कार्यवाही करती है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहां तक ताल्लुक है, यह मेरा ख्याल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी अधिक से अधिक आती है उनको हमने दिया है। आज कोऑपरेटिव सोसाइटी लेबरर्स की हो सकती है। लेबरर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो बराबर ध्यान रखेंगे, उनको बराबर देंगे। लेकिन यह नहीं कह सकता कि कैपिटेलिस्टों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है और कह दें कि हमने चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है...

४. म० प०

डॉ० बहादुरसिंह : मैं भी लेबरर्स की बात कर रहा हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया है कि यह सदन यदि यही नीति प्रति पादित करना चाहता है कि अगर किसी को खान देते हैं तो वह उसके अन्दर इन्वेस्टमेंट करता है, मलवा हटाता है, ठीक तौर से करता है, लेबरर्स लगाता है, कुछ इस तरह का काम करता है। अगर एक दफा एक आदमी को कोई लीज़ दे दी गई है तो क्या आयन्दा उसे ही नहीं दी जाय या तो यह सुझाव है कि ऐसे मामलों में चाहे कोई भी हो, लेकिन ऑक्शन कर देने चाहिए, और इस तरह से किसी तरह से उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दर-असल में माइन्स को हम डवेलप करना चाहते हैं तो जिस तरह से मेजर मिनरल रूल्स के अन्दर लीज़ की अवधि हैं वह २० साल की और ३० साल की है। इतनी लम्बी अवधि दी है और ऑक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं माइनर मिनरल है लीज़ की अवधि ५ साल की है इसपर एक माननीय सदस्य कहने लगे कि ५ साल की अवधि मोनोपोली क्रीएट करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मोनोपोली का अर्थ यह भी लगाया जा सकता है इसके अन्दर ५ साल के लिए दे दी तो कैसे एक मोनोपोली हो जाती है या एक पर्टिक्यूलर एरिया, मान लीजिये १०० बाई १०० वर्ग फीट एक एरिया दे दिया जाय तो कैसे मोनोपोली होगई ? मोनोपोली के बारे में एडवोकेट जनरल ने एक केस के अन्दर बताया है कि लीज़ वह मोनोपोली की तारीफ में नहीं आती। मोनोपोली इसी मायने में हो सकती है। जब कि बहुत बड़ा रकबा हो और उसके अन्दर एक ही आदमी वर्क करे तो यह कहा जा सकता है कि मोनोपोली है। दूसरा आदमी वर्क नहीं करे तो मोनोपोली कह सकते हैं। लेकिन किसी आदमी को लीज़ पर दे और कहें कि मोनोपोली है। ऐसा दुरस्त नहीं है एडवोकेट जनरल की राय है। लेकिन छबड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ५ साल के लिये दिये जाने के सिलसिले में लीज़ को मोनोपोली समझते हैं। और एक छोटा सा रकबा है, एक आदमी काम करता है लीज़ पर और मोनोपोली समझते हैं तो मेरी समझ में आने वाली बात

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन इस बात को नहीं मानेगा। दरअसल में किसी मिनरल का विकास करना है तो उसको एक अवधि देना पड़ेगी। जहां तक माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स का सवाल है वह ५ साल की रखी है। हम चाहते हैं कि उसको १० साल कर दें ताकि लीज़ पर लेने वाले को कम से कम इस खान के ऊपर १० साल तक काम करने का अधिकार है। उससे फिक्सिटी आफ टेन्योर होगा वरना वह उसे डवेलपमेंट नहीं कर सकता है। यह हरेक के लिए लागू होगा। कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं, या एक कम्पनी के लिए नहीं, हरेक के लिए लागू होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में रूल्स बने हुए हैं, और रूल्स की बिना पर कार्य किया जा रहा है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय. एक प्रश्न और है कि यह कहा गया है कि धौलपुर में पत्थर मिलने की कोई शिकायत नहीं की गई है तो अपनी रिपोर्ट में क्या उन्होंने यह बतलाया है कि ठेकेदारों से इतना पैसा लिया गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर आप यह आरोप लगाते हैं और अगर आप यह सिद्ध कर दें तो मैं समझता हूं कि I will be the first person to take action against him- सदन में आकर इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं बताया आपने। चेयरमैन महोदय, इस तरह से किसी पर आप कोई आरोप लगाते हैं, और आरोप सिद्ध कर दें तो मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल सही आरोप है। माइनिंग इन्जीनियर को रिपोर्ट की है, पत्थर नहीं मिलते हैं। मैं यह आरोप लगाता हूं कि पत्थर बिल्कुल नहीं मिला। यह प्रश्न था। उसने गलत रिपोर्ट की है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल - मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी मुझे इसके बारे में और बता दें। माइनिंग इन्जीनियर कोटा को छोड़ दें, दूसरे इन्डिपेन्डेन्ट आदमी को बता दें और मालूम कर लें। अगर वे रिपोर्ट करेंगे तो बराबर एक्शन लेंगे। इस सिलसिले के अन्दर मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आपने अलबत्ता मेरे पास आकर जरूर कहा था, लेकिन आज तक न तो किसी विभाग के अन्दर पब्लिक की तरफ से कोई शिकायत आई है, जिसमें यह बताया गया हो कि धौलपुर के अन्दर पत्थर नहीं मिलता है। आप बता दें। आप साबित कर दें कि कोई पत्थर लेने के लिए जाते हैं तो पत्थर नहीं जाता है और ठीक है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपसे इतना निवेदन करूं कि आप धौलपुर पधारें तो दिखा सकता हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं तो अभी आया था।

श्री भैरोंसिंह : धौलपुर में डाके ज्यादा पड़ते हैं, इसलिए जाने में ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक जिओलोजिकल सर्वे का सवाल है, मैंने निवेदन किया है कि इसका यह डिपार्टमेन्ट काम कर

(रिखबचन्द धारीवाल)

रहा है। जहां जहां सर्वे चल रहा है उसका मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है कि यहां यहां पर सर्वे चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है इसके बारे में। यह विभाग खामोश नहीं है।

अब मैं पुरातत्व विभाग के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अभी तक तो माइन्स रह गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अच्छा माइन्स को ही लें। जोधपुर की कि दूसरी क्वेरीज़ के बारे में कुछ कहा गया था कि वहां पर मोर्डन मशीनरी कोई इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। वही पुराने तरीके जिस तरह से एक आदमी हथौड़ा चलाता है, उसी तरह से हथौड़ा चला रहा है, और उसमें किसी प्रकार का कोई चेन्ज नहीं किया गया है। चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि २ साल में दूसरी क्वेरीज़ का जितना डवेलपमेन्ट हुआ है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में और किसी जगह इतना डवेलपमेंट किसी क्वेरी का किसी एक पर्टिक्यूलर प्लेस पर नहीं हुआ है। कि दूसरी क्वेरीज़ का पत्थर बहुत अच्छा है। बहुत दूर दूर तक राजस्थान के विभिन्न भागों में जाता है, और राजस्थान से दूर भी जाता है। इसी दृष्टि से यहां कम से कम १०, १२ हज़ार मज़दूर काम करते हैं। रहा इसके बारे में कि इसमें कम इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है, एक तरफ तो इसी सदन में यह राय आती है कि अगर इसको मेकेनाइज्ड कर दिया जायगा तो ऐसी शक्ल के अन्दर एम्प्लॉयमेन्ट में फर्क पड़ेगा। उनमें ज्यादा मज़दूरों को काम नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ यह राय आती है कि मेकेनाइज्ड किया जाना चाहिये मैं यह बात जरूर अर्ज़ करूंगा क्वेरी के इम्प्रूवमेन्ट के बारे में कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुद को लाना पड़ता है। हमने यह सुझाव रखा है कि विभाग के द्वारा कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो कि कामन यूज़ के हैं वह खरीद लिये जायं, और उन कॉमन इक्विपमेंटस को खरीद करके कुछ जगहों पर रख दिये जायं जहां से किराया देकर वे इनको इस्तेमाल कर सकें, और इसके लिये ३ लाख का प्रावधान भी रखा है इस साल के बजट के अन्दर। मैं समझता हूं कि फारेन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टी की वजह से इक्विपमेंट जल्दी नहीं मिलते हैं। इसीलिए कुछ देर हो रही है। जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है कि दूसरी क्वेरीज़ का इम्प्रूवमेंट इस सिलसिले के अन्दर कुछ न कुछ जरूर इसमें एक्शन लिया जायगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : आपके इम्प्रूवमेंट करने से वहां फर्क क्या पड़ा, असर क्या देखा आपने यही न कि जो पहले भाव कम थे वे बढ़ गये और लोगों को माल मिलना मुश्किल हो गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : असर का तो आपको इससे पता चलेगा कि पहले २७,००० रुपये का सालाना ठेका था; अब २ लाख १० हज़ार रुपया सालाना आते हैं यह इम्प्रूवमेंट नहीं है क्या ? जहां पर पहले क्वेरीज़ डिमार्केट नहीं की हुई थी वहां ७५४ क्वेरीज़ अलग अलग डिमार्केट हुई है, एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियेलिटी की बढ़ी है, इन सब को आप इम्प्रूवमेंट नहीं समझेंगे क्या ?

श्री सूरजमल (फलोदी) : इससे तो जनता पर बोझा बढ़ा है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : या तो आप हमारी रेवेन्यू से अन्दाज़ लगा लीजिये या एम्पलॉयमेंट पोटेन्शियेलिटी से हिसाब लगा लीजिये बढ़ी या नहीं । इस बार कुछ तो क्राइटेरिया आप रखेंगे या वैसे ही समझेंगे जो कुछ हुआ है वह बेकार हुआ है । यदि यही सोचते हैं तब तो मुझे कुछ नहीं कहना ।

ड्रिन्किंग वाटर के बारे में कहा गया कि ड्रिन्किंग वाटर के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया । पानी की जोधपुर में वैसे ही कमी है, यह बात सबको मालूम है । पानी के इन्तज़ाम के लिये कम से कम २ लाख रुपये चाहिएं ।

श्री सूरजमल : जोधपुर में दूसरी खान का मलवा हटाने के बारे में आपने क्या किया, पानी वानी की बात तो पीछे आयगी ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं अभी निवेदन कर रहा हूँ कि डम्प रिमूवल के बारे में भी उत्तर दूंगा । मैंने निवेदन किया था कि ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हमने सोचा था डम्प रिमूवल के लिये जो रुपया मौजूद है, उससे पानी की व्यवस्था कर दें....

श्री भैरोंसिंह : पैसा तो लिया डम्प रिमूवल के लिये और पानी की व्यवस्था उससे कैसे कर सकते हैं आप ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने पैसा कॉन्ट्रिब्यूट किया था, डम्प रिमूवल के लिये उनका प्रपोज़ल था कि डम्प रिमूवल के बजाय ड्रिंकिंग वाटर का इन्तज़ाम कर दीजिये लेकिन मैंने खुद ने निर्णय दिया कि डम्प रिमूवल के लिये जो पैसा दिया है उसको ड्रिन्किंग वाटर के लिये नहीं खर्च कर सकते । डम्प रिमूवल का पैसा हमारे पास जमा है, और यह निर्णय किया है कि ट्रक खरीद कर लगा दिया जाय । लेकिन वहां पर दो डिफिकल्टीज़ हो रही हैं, एक तो यह कि इसको डम्प कहां किया जाय, वहां का पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट कहता है कि यह केचमेन्ट एरिया में आता है इसलिये यहां डम्प कर दिया जायगा तो बालसमन्द में पानी नहीं आ सकेगा यह डिस्प्यूटेड पॉइन्ट खड़ा है इसलिये देरी हो रही है, वरना हमारे पास पैसा मौजूद है, ट्रक खरीदने की बातचीत चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : ट्रक शायद खरीद भी लिया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑर्डर हो चुका है, शायद खरीद लिया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने पिछली बार फरमाया था कि एक ट्रक खरीद लिया है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑर्डर दे दिया गया है, साइट सिलेक्ट की है, वह केचमेन्ट एरिया...

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification, Sir, पिछली बार मैंने एक प्रश्न पूछा था कि डम्प रिमूवल के लिये जो पैसा मिला है उसका क्या हुआ तो उत्तर मिला था एक ट्रक खरीद ली गई है, बाकी के लिये ऑर्डर दिया है । लेकिन अब मन्त्रीजी कहते हैं कि खरीदा नहीं है । आप पीछे जाकर तसल्ली करलें, फिर जवाब दे दें ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह कम्पलीट इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है ट्रक खरीदने के लिये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हो चुके थे कि डी. जी. एस. डी. की मार्फत ट्रक खरीदे जायं, ऐसी सूरत में कहा था कि ट्रक खरीद लिया गया, एक्च्युली ट्रक आया है या नहीं यह बात मालूम करके बता दूंगा, लेकिन यह डेफिनेट है कि इस रकम से ट्रक खरीदने की व्यवस्था करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : कितने ट्रक ? एक या ज्यादा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक ही था। डिम्प रिमूवल का केश पड़ा है, ऐसी चीज़ है कि जिसमें पी० डब्ल्यू० डी० वालों की राय नहीं है कि बालसमन्द के....

श्री भैरोंसिंह : तय क्या किया ? किस जगह डाला जायगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वहां के कलेक्टर, माइनिंग इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर और इर्रिगेशन वालों की मीटिंग इस बारे में हुई थी। पी० डब्ल्यू० डी० और इरिगेशन वाले कहते हैं कि यह स्थान ठीक नहीं है, इस बात का झगड़ा है।

श्री सूरजमल : इसको दुरूस्त करेगा कौन ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हम करेंगे और कौन करेगा।

श्री भैरोंसिंह : कब तक करेंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी ही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ट्रक कब तक आ जायगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी ही आ जायगा।

जिप्सम के बारे में कहा गया कि बाड़मेर में कावस गांव में जिप्सम है। लेकिन मैं सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि वहां के डिपोज़िट्स एग्ज़ोस्ट हो चुके हैं।

फर्टिलाइजर लगाने के सिलसिले में काफी कोशिश पहले भी की और इस समय भी काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहा, कि हमारे पास जामसर के पास काफी रॉ–मेटीरियल है जो सिंदरी को दे रहे हैं और दूसरी व्यवस्था भी मौजूद है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किन्हीं कारणों से मन्जूर नहीं किया। अब इस सिलसिले में फिर कोशिश की जा रही है कोई प्राइवेट पार्टी जो कि हेवी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसमें किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया जाय इस पर भी विचार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी जानकारी के लिये बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट से २५ हज़ार किलो वाट पॉवर इस फेक्ट्री के लिये लेने को अलग बातचीत हो रही है, राजस्थान केनाल में पानी आने के बाद पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। आपने कहा कि बाड़मेर में फलां टैंक में काफी पानी है....

श्री अनोपसिंह : मैंने टैंक की बात नहीं कही थी...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप कृपया इन्ट्रप्ट न करें मैं हरेएक पॉइन्ट का जवाब दे रहा हूं।

श्री अनोपसिंह : मैंने किसी टेन्क का नाम नहीं लिया । आप बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं । मैंने यह कहा था कि ट्यूब वैल खोदे जा सकते हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं आपकी जानकारी के लिये बताता हूं कि किसी ट्यूब-वैल से फार्टिलाइज़र फैक्ट्री नहीं चलाई जा सकती है...

श्री अनोपसिंह : आपको इसकी टैक्निकल नॉलेज का क्या अन्दाज़ा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो ऑलरेडी सिंदरी फैक्ट्री है वहां पर एग्ज़ामिन कर लिया गया है कि एक ट्यूबवैल तो क्या १० ट्यूबवैल से भी फैक्ट्री नहीं चल सकती ।

श्री अनोपसिंह : मैंने यह नहीं कहा था....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : चेयरमैन महोदय, इस तरह से इन्टरप्शन नहीं होना चाहिये ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) But that is no reply.

श्री अनोपसिंह : I rise on a point of informa: ion sir.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिप्सम वगैरह के काफी डिपोजिटस मलने की संभावना है, इसकी कोशिश की जा रही है । जहां तक जिप्सम का सवाल है उसके लिये हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां रॉ मेटीरियल जो फर्टिलाइज़र के लिये इस्तेमाल होता है वह काफी है इसीलिए यहां पर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लग जाय तो वह रॉ-मेटीरियल काम आ सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : फर्टिलाइज़र फैक्ट्री को बिजली कन्सेशन रेट पर दी जायगी या जनरल रेट पर ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो प्राइस फिक्स होगी, पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में जो प्राइस फिक्स होगी उसके अनुसार दी जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : फिक्सेशन रेट का नहीं होगा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रेट का भी होगा ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कन्सेशनल रेट्स के लिए कोशिश करेगी या नहीं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बराबर की है । उनको कन्सेशनल रेट्स के ऊपर दिया जायगा ।

कुछ लीजेज के बारे में जिक्र किया गया बयाना के आस पास गिट्टी के बारे में कुछ कहा गया था । मैं निवेदन करूं कि बयाना के आस पास एक रेलवे साइडिंग थी, वह रेलवे साइडिंग रेलवे के अन्डर में थी । उसके बाद हमारे पास में आ गई । जब हमारे पास में आ गई तो एप्लीकेशन्स इनवाइट की गई जब एप्लीकेशन्स बहुत आइ तो झगड़ा पड़ा कि किस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी दी जाय, किसे पहले माना जाय । तब हमने निर्णय किया कि ऑक्सन कर दिया जाय । ऑक्सन

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

होने के बाद जब हाइएस्ट बीड थी, उसको दे दिया गया। जहां तक प्रायोरिटी डिटरमिन करने का सवाल है माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स में प्रावधान मौजूद है, उसके अन्तर्गत प्रायोरिटी डिटरमिन की जाती है। आप कहे कि किस प्रकाह प्रायोरिटी होगी, अगर आज दो दरख्वास्तें आ गई। उसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि एक्सपीरियेन्स को देखते हैं, उसको फाइनेन्शियल पोज़ीशन को देखते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी डिटरमिन करते हैं। इसका मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्दर प्रावधान है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए क्राइटेरिया हो सकता है, उसकी फाइनेन्सियल पोज़ीशन क्या है, उसने यह काम किया है या नहीं। जो शिकायत थी, वह यह थी कि जो एप्लीकेशन ऑफिसर इन चार्ज के पास सबसे पहले आ जायगी उसको दिया जायगा।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह सवाल पैदा ही नहीं होता है जब ऑक्शन कर दिया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सिस्टम था या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सिस्टम यह था। लेकिन एप्लीकेशन आई, उनकी प्रायोरिटी डिटरमिन करने का सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सिस्टम था, उसकी अपील हुई। क्या इस चीज को माननीय उप मंत्री अस्वीकार करते हैं, कि उसकी अपील नहीं हुई।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि मिनरल कन्सेशन रुल्स के अनुसार एप्लीकेशन्स के ऊपर अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसमें यह होता है कि पहली दरख्वास्त आती है, उसकी प्रायोरिटी फिक्स की जाती है। रूल यह है किजो पहले दरख्वास्त आयेगी, उसे पहले दे दिया जाय। अगर दो साथ आई हैं, या उससे ज्यादा साथ आई हैं तो प्रायोरिटी फिक्स की जाती है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसमें यह था कि एक तारीख को १०० एप्लीकेशन्स आती हैं तो कैसे प्रायोरिटी डिटरमिन करेंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि एक दिन में १०० एप्लीकेशन्स आने के कारण प्रायोरिटी डिटरमिन करने में झगड़ा पड़ता था, इसलिए नीलाम कर दिया गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सिस्टम डिफेक्टिव था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सिस्टम डिफेक्टिव नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : पहले यह था कि पहले लिफाफा खुल जाय, उसको मंजूर किया जाय और बाकी के रह जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिसकी दरख्वास्त पहले आ जाय, जो इन टाइम हो, उसको दे दिया जाता है। उसके बाद दरख्वास्त आती है, तो विचार नहीं किया जाता है।

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इसमें १०० दर्ख्वास्तें एक साथ आई, अब प्रायोरिटी कैसे डिटरमिन करें, इसमें झगड़ा पड़ता था, इसलिए हमने कहा कि ऑक्शन कर दिया जाय, ऑक्शन के अनुसार दे दिया गया। ऐसा करना न्याय संगत था।

उसके बाद में निवेदन करूं कि कुछ पलाना खान के बारे में कहा गया....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कुछ तहसील की तहसील ऑक्शन कर देते हैं, लीज पर दे देते हैं, पहाड़ के पहाड़ लीज़ पर दे देते हैं। इससे पंचायत और गांव वाले हैं, उनको उनका हक नहीं मिलता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं...

श्री भैरोंसिंह : श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री के सदन में आने पर On a point of order सभापति महोदय, जब मंत्री महोदय भाषण दे रहे हों तो दूसरे मंत्री को सामने नहीं आना चाहिए।

(हंसी)

श्री हरिभऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : मैं पीछे से आया हूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : (अश्रव्य)

श्री सभापति : दा साहब पीछे से आये हैं।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : बैक डोर से आये हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पलाना खान के बारे में यह बात कही गई कि पहले के एक मैनेजर थे, जो बहुत अनुभवी थे, उनके जमाने के अन्दर उसमें से काफी माल निकलता था लेकिन उनके सैकिंड ग्रेड मैनेजर होने की वजह से, माइन्स एक्ट के आने के बाद फर्स्ट क्लास आदमी को रखना पड़ा, उसकी वजह से इसकी आमदनी कम हुई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि पुराने मैनेजर के चले जाने की वजह से आमदनी में फर्क पड़ा हो, यह बात नहीं थी, बात थी कि जिस खान से कोयला निकाला जाता है, जिस पिट्स में से कोयला निकाला जाता था, वे ऐसी अवस्था में हो गये थे कि जब वहां इन्सपेक्टर आये, उसको बन्द करना पड़ेगा। इन्सपेक्टा की हिदायत के अनुसार उसके सुझाव के अनुसार उसको बन्द करना पड़ा। वे चल नहीं सकते थे, उन पिट्स पर काम नहीं कर सकते थे, इस वजह से प्रोडक्शन में ढिलाई हुई। अब नये पिट्स खोले गये। जो पुराने पिट्स थे, उन पर वर्क नहीं कर सकते थे, उनमें जो टिम्बर लगी हुई थी, वह सारी की सारी क्रेक हो गई थी, इसलिए खतरे की बात थी, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा और नये शेफ्ट शिंक किये। इस वक्त करीब सवा दो हजार, ढाई हजार टन उसका प्रोडक्शन है और हम उम्मीद करते हैं कि पांच छः महीने के अन्दर करीब चार हजार टन के करीब प्रोडक्शन हो जायगा। यह मैनेजर को तब्दील करने के कारण नहीं हुआ। जो माइन्ट एक्ट था, उसमें प्रोवाइड था कि फर्स्ट क्लास मैनेजर होना चाहिए, अगर उसका प्रोडक्शन रेंज चाहते हो तो करना है। कहा यह जाता है कि राजस्थान सरकार तीन साल तक फर्स्ट क्लास मैनेजर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सदन में के सवाल के जवाब में कहा था कि सन् १९५५ से बराबर कोशिश की जा रही थी। तीन आदमियों को बराबर नियुक्त किया, उन्होंने आकर चार्ज नहीं लिया। आखिर मिस्टर फैल को अभी मुकर्रर किया गया है और उन्होंने चार्ज लिया। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई, एडवर्टिज़मेंट किये गये, फर्स्ट क्लास मैनेजर ही अपॉइन्ट किए गए लेकिन देरी हुई। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं था।

जहां तक ओपन कास्ट माइनिंग का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा, कि इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठी हुई थी। उन्होंने इस बात को बराबर देखा है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आखिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के सामने होनी चाहिए कि आया कितना कोयला उसमें मौजूद है, जिसको हम कॉमर्शियली निकाल सकते हैं, कितना बर्ड है, जिसको हम हटा सकते हैं और क्या इसमें कास्ट आयेगी, किस तरह क्या होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा, उसे किस तरह खपा सकेंगे। जब तक इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट न हो, और ओपन कास्ट माइनिंग शुरू कर दें तो उसमें नुकसान होगा....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : प्रोजेक्ट रिपोर्ट बीकानेर स्टेट के टाइम की तैयार थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बीकानेर स्टेट के टाइम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस काम की थी।

श्री भीमसेन : उसे आधार बना कर चल सकते थे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ओपन कास्ट माइनिंग बनाने के लिए कम्पलीटली देखना पड़ेगा, कॉमर्शियल पॉइन्ट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि आया कॉमर्शियली निकाल सकते हैं या नहीं, उसकी खपत किस तरह से होगी, इतना कोयला है भी या नहीं, ये सारी चीजें हैं, जिनके बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है....

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : पलाना में ब्रिकेटिंग प्लान्ट लगाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्या ?

श्री गिरधारी लाल : जो पलाना में नुकसान हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ब्रिकेटिंग प्लान्ट लगाने का विचार रखती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लूणकरणसर तहसील के अन्दर सर्वे कराने के बारे में कुछ कहा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जिओलोजिकल सर्वे कराई जाय कि वहां मीठे पानी की धारा है या नहीं, मैं समझता हूं यह इस महकमे से ताल्लुक नहीं रखती है, या तो अन्डर ग्राउन्ड वाटर डिपार्टमेंट, या जो कुछ भी इसको अन्डर टेक करने वाला डिपार्टमेंट है, उससे ताल्लुक रखता है। अगर कुछ मिनरल का ताल्लुक है तो मैं कुछ कह सकता हूं।

एक्टीवाइजेशन प्लान्ट के बारे में भी कहा

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

गया । मैं निवेदन करूं कि एक्टीवाइजेशन प्लांट लगाने का प्लान मौजूद है । सेकिंड फाइव ईअर प्लान में प्रावधान किया गया है । इसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हमने हैदराबाद भेज दिया है । अभी तक उनकी रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद में इसे हाथ में ले सकते हैं....

श्री भीमसेन : लेबोरेटरी में कब भेजा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बहुत अर्सा हुआ, बहुत रिमाइन्ड किये हैं कि वे किसी प्रकार अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेज दें । हम करीब करीब अक्सर रिमाइन्ड करते आ रहे हैं, कि वे अपनी रिपोर्ट हमारे पास भेजे । उनके पास से रिपोर्ट आने के बाद हम कह सकते हैं कि एक्टीवाइजेशन प्लान्ट लगाया जा सकता है या नहीं । जब तक रिपोर्ट मौजूद नहीं हो, उस समय तक एक्टीवाइजेशन प्लान्ट नहीं लगा सकते ।

इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कहा गया । सिलोलाइट का डिपोज़िट था, वह बीकानेर स्टेट के टाइम लीज़ पर दिया गया था । मैंने एक प्रश्न के जवाब में परसों निवेदन किया था कि सेलोलाइट के बारे में जहां तक उनका कॉन्ट्रेक्ट है, यह है कि बीकानेर स्टेट से सेलोलाइट बाहर भेजने के लिए कि अन्रीज़नेबल रोकेंगे नही ये इसमें अल्फाज़ हैं, पर उसमें यह अल्फाज़ नहीं हैं कि उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लान्ट लगाने के लिये बाध्य किया जायगा । हमने यह एक्शन ले लिया है कि सेलोलाइट का जहां तक सवाल है बाहर भेजने से रोक दिया है । प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लान्ट लगाने के लिये उन लोगों से बात की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वे इसे टेक अप करेंगे । माननीय सदस्य को मैंने एग्रीमेंट भी बता दिया है और उसके बावजूद भी, यह सवाल उन्होंने यहां उठाया है, समझ में नहीं आता ।

इस सिलसिले के अन्दर यह बात भी कही गई कि हमारे यहां के कुछ ऐसे डिपोजिट्स हैं, स्टेटेजिकल डिपोज़िट हैं, जैसे यूरेनियम है, जिसके सम्बन्ध में जियोलोज़िकल सर्वे नहीं किया है । मैं निवेदन करूं कि जहां जहां जानकारी मिलती है कितना डिपोज़िट है, कितना नहीं है इसका सर्वे किये जाने के बारे में बराबर महकमा देखता रहता है, ऐसी बात नहीं है कि हम सर्वे नहीं कराते हैं जांच नहीं करवाते । जहां भी पता चलता है हमारे जियोलोजिस्ट्स को भेजते हैं, जांच करते हैं, हमारी अलग लेबोरेटरी है वहां जांच करते हैं ।

इसके बाद में, माननीय सदस्यों ने जो और बातें ...

श्री भैरोंसिंह : माइन्स की ही कुछ और बातें रह गई हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माइन्स की करीब करीब पूरी हो गई हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिन माइन्स की रॉयल्टी एक मिनरल की देते हैं और वहां दो दो तीन तीन मिनरल्स निकलते हैं, उन सब मिनरल्स को वे लोग काम में लेते हैं, उनसे मुनाफा उठाते हैं, उनकी अलग रॉयल्टी नहीं ली जाती इस बारे में आपने नहीं बताया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां आपने

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कहा माइका की माइन में। क्वार्ड्स और सिलिका निकलती हैं, भीलवाड़ा में माइका के ठेकेदार से पूछा कि खान में दो चीजें निकलती हैं तो अलग अलग रॉयल्टी वसूल होती है कि नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के अनुसार एक एरिया में अलग अलग मिनरल्स निकलें तो अलग अलग मिनरल्स की अलग अलग रॉयल्टी चार्ज करने का अधिकार है, उस सूरत में कि जब वह उस मिनरल का एक्स्ट्रेक्शन करता है। माइका में सिलिका है और क्वार्ड है, वह सिलिका को और क्वार्ड्स को उसी में रहने देता है एक्स्ट्रेक्शन नहीं करता है तो हम रॉयल्टी सिलिका और क्वार्ड्स की नहीं चार्ज करते।

श्री भैरोंसिंह : क्वाड्स और माइका दोनों अलग अलग हैं, माइका को निकालने के लिये लाजिमीं तौर से क्वार्ड्स को निकालना पड़ता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने कहा कि माइका, सिलिका और क्वार्ड्स तीनों निकालते हैं, तीनों का एक्स्ट्रेक्शन करते हैं तो, रॉयल्टी तीनों की अलग अलग चार्ज होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्ट्रेक्शन तो लाज़िमी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सिलिका माइका में मिक्स्ड है, वह केवल माइका ही निकालता है, सिलिका नहीं निकालता है, उसमें सिलिका इतनी तादाद में नहीं है कि उसको बाहर भेज सके, कुछ पोर्शन ही है और उसको एक्स्ट्रेक्ट नहीं करता तो रॉयल्टी चार्ज नहीं की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : बिना निकाले माइका निकल नहीं सकती, क्वार्ड्स को निकालने के साथ ही माइका निकलेगी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक्सप्लोइट करेगा तभी तो रॉयल्टी चार्ज की जायगी न ?

श्री भैरोंसिंह : एक्सप्लॉइट नहीं करेगा तो कहां जायेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माइका थ्री हन्ड्रेड, फोर हन्ड्रेड और वन थाउजेंड डीप जाती है, उसमें डिफरेंट मिनरल्स निकलेंगे तो उन दूसरे मिनरल्स को वह एक्स्टेन्शन और एक्स पाइट व एम्पलोइट करना चाहता है तो रॉयल्टी चार्ज करेंगे, बिना एक्स्टेन्शन किये तो कैसे रॉयल्टी चार्ज करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्टेन्शन चाहने का सवाल नहीं, एक्स्टेन्शन करते हैं। दो सौ गज़ अन्दर खान चली गई है तो क्वाड्स को और माइका को दोनों को निकालना पड़ेगा, बिना क्वार्ड्स के निकाले माइका निकल नहीं सकती और ऐसी सूरत में पिट माउथ पर वह दूसरी मिनरल्स नहीं मिलती हैं तो इसके माने हैं कि, उसने दूसरी मिनरल्स का एक्स्टेन्शन किया है। उनको बाहर भेजा है, उनसे मुनाफा उठाया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो रॉयल्टी ले सकते हैं, पर सिलिका को बाहर भेजता है तो...

श्री अनोपसिंह : On a point of of information, Sir, यह जो माइका माइन्स में क्वार्ड्स और सिलिका निकलती है इनमे वह ठेकेदार फायदा उठाता है कि नहीं ?

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): The Hon'ble member is seeking information. While seeking information we give informations.

श्री अनोपसिंह : क्या गवर्नमेंट ने यह मालूम करके देखा है कि क्वार्ड्स और सिलिका जो माइका माइन्स के साथ निकलती हैं उनसे वह ठेकेदार फायदा उठाता है कि नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप कोई पर्टिक्यूलर इन्स्टान्स दें जिसमें उसने फायदा उठाया हो एक्स्प्लोइटेशन किया हो, कॉमर्शियल पर्पज़ से बाहर भेजा है, तो हमें पता बता दीजिये, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिये बराबर एक्शन लेंगे ।

श्री अनोपसिंह : यह क्वार्ड्स क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एक मिनरल होता है जो माइका के साथ साथ निकलता है पर इतनी मात्रा में नहीं निकलता कभी कभी निकलता है ।

श्री सूरजमल : कभी कभी क्या निकलता है ?

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अब मैं पुरातत्व विभाग के सिलसिले में निवेदन करूंगा....

श्री भैरोंसिंह : फलौदी की रॉयल्टी का प्रश्न रह गया, जयपुर उद्योग लिमिटेड ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में यह निवेदन है कि १६५५ में उन्होंने रेल्वे के रूल्स की कोई अवहेलना की, उस सिलसिले में केस चला था पर उससे राजस्थान सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने रेल्वे वेगन्स में जितना देना चाहिये उससे ज्यादा पत्थर भर दिया हो और इस तरह उन्होंने फ्रेट की चोरी की हो तो राजस्थान सरकार का कैसे ताल्लुक हो सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें रॉयल्टी का प्रश्न नहीं आता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रॉयल्टी के बारे में मैं निवेदन करूं कि उनकी रॉयल्टी १६५५ में आन सीमेन्ट प्रोडयूस पर थी लेकिन आफ्टर १६५८ the royalty is on the lime stone consumed...

लाइम स्टोन कितना कन्ज्यूम करते हैं, इस बेसिस पर थी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ५५ का कह रहा हूं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि १६५५ में तो जितना सीमेंट प्रोडयूस करेंगे इस पर रॉयल्टी थी, उनके स्टोन के एक्सट्रेक्शन पर नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : आप अच्छी तरह से देख लें ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं देख कर ही कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल तो

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

यह रह जाता है कि आपको इन्फॉर्मेशन गलत रहती है।

(हंसी)

अब मैं पुरातत्व विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): मैंने बताया था कि क्वेरी के लिये पहले तो एक पर्टिक्यूलर जगह का ठेका दिया जाता था, पर अब तो पहाड़ के पहाड़ लीज़ आउट किये जाते हैं....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कौन से पहाड़ और किस सिलसिले में, आप रॉयल्टी लीज़ की बात करते हैं या माइनिंग लीज़ की बात करते हैं कुछ भी बतायें तभी तो अर्ज कर सकता हूं।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के दौरान में विस्तार से कहा था कि पहले पत्थर खोदने के लिये एक जगह नियत थी, अब राजस्थान सरकार नियमों के अनुसार पूरे पहाड़ के पहाड़ की मोनोपोली हो जाती है और कहीं कहीं तो उस एरिया में जितने भी पहाड़ हों उन सब की मोनोपोली उस ठेकेदार को हो जाती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वसूल करने के लिये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से रॉयल्टी के लिये जिनको एन्युअल माइनिंग लीजेज देते हैं, उनका रॉयल्टी कन्ट्रैक्ट देते हैं। अब आप कहें कि चार पहाड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया तो मैं यह निवेदन करूं कि रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही किया जाता है, वरना विभाग के लिये यह संभव नहीं है कि एक एक खान पर एक एक आदमी भेजे और रोज़ाना यह हिसाब करे कि कितना पत्थर किस खान में से गया और इतनी रॉयल्टी दी। इस वजह से हम रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इसके अन्दर एक पहाड़ी दो पहाड़ी और इससे भी ज्यादा हों आ सकती है। इसमें तहसील भी आ सकती है और चन्द विलेजेज भी आ सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो पहाड़ी पंचायत एक्ट के अनुसार पंचायत क्षेत्र में आती है उसका पत्थर आदि लेने का का अधिकार पंचायतों को है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उसको कोई अधिकार नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : (बल्लभ नगर सु०) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि भोपाल सागर के पास की पहाड़ी का ठेका शुगर मिल को तहसीलदार ने दे रखा है, और शुगर मिल वालों ने दूसरों को ठेके पर दे रखा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप किसी कटौती के प्रस्ताव पर बोले नहीं। अब आप यह कहते हैं, मेरे पास इसके लिये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दे सकता।

श्री हरिप्रसाद यादव : माइनिंग डिपार्टमेंट है उसके अनुसार तहसीलदार ही उसका टैक्स वसूल कर सकता है और शुगर

(श्री हरिप्रसाद यादव)

फैक्ट्री टैक्स वसूल नहीं कर सकती। टैक्स वसूल करने का गवर्नमेंट का अधिकार है न कि फैक्ट्री का।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक आपने भोपाल सागर शुगर मिल के बारे में कहा उसके बारे में आपने कोई पूरी जानकारी नहीं दी है कि उनके पास कौन सा लोज़ है क्या बात है, अतः मैं इसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। जहां तक पुरातत्व विभाग का सवाल है कई माननीय सदस्यों ने बहुत सी कमी की तरफ संकेत किया, और यह कहा कि पुराने भवनों को सरकार को प्रिज़र्व करना चाहिये। मैं आपको निवेदन करूंगा कि जहां तक एन्सियेन्ट मोनुमेन्ट का प्रश्न है, बहुत से स्थान सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देने के लिये ईयरमार्क कर दिये गये हैं। उनकी देख रेख केन्द्रीय सरकार करेगी। और भी बहुत सी जगहों के बारे में बताया गया जैसे सावन भादों या दूसरा कौन सा भवन, बताया आपने जो बहुत पुराना बताते हैं उनकी देख भाल होनी चाहिये इसमें दो रायें नहीं हो सकती को पुराने भवनों को प्रिजर्व किया जाना चाहिये और राजस्थान सरकार पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत उनको प्रज़र्व करने की कोशिश करती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सही है कि हमारे यहां ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनकी देखभाल होनी चाहिये और हम बराबर कोशिश करते आ रहे हैं कि उन्हें हम ठीक प्रकार से रखें और उनकी मरम्मत करावे और उनकी हालत को ठीक करावें।

श्री भीमसेन : पन्ना दाई के स्थान की भी ...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बीकानेर में पन्नादाई या मीराबाई का हो। जो जो भी मालूम होता है उसको ठीक करा कर उनकी देखभाल का बराबर प्रावधान कराया जा रहा है। यहां तक की जोधपुर में जो कि विभाग यहां से गया है, कुछ सदस्यों की राय यह थी कि जो पुरानी पुरानी पुस्तकें हस्तलिखित हैं उनका प्रकाशन होना चाहिये। जो हमारी ओल्ड मेनुस्क्रप्ट हैं, चाहें वे किसी भाषा में लिखी हो, चाहे वह पत्थर पर लिखी हो चाहे भोज पत्र पर हो या दूसरी किसी पत्र पर लिखे हुए हो उसका प्रकाशन होना चाहिए। इस सिलसिले मे मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सही बात है कि जो जो ग्रन्थ मिलते हैं उनको प्रिज़र्व करते हैं और यह महकमा जो अभी जोधपुर में गया है उसने हस्तलिखित १०,६३७ ग्रन्थों की खोज की है और अब तक २६ ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। इस तरह बराबर कोशिश की जा रही है और उनका प्रकाशन भी किया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : वे ग्रन्थ बाज़ार में उपलब्ध नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्रकाशन की प्रतियें खत्म हो गई होगी।

श्री गिरधारीलाल : छपने के बाद में मार्केट में नहीं मिलती।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप जिस दुकान पर गये होंगे वहां पर नहीं मिली होगी। मैं उसके बारे में मालूम कर लूंगा। इसके अलावा इसका संग्रहालय विद्यालय है जिसमें लगभग ३५०० रेअर और रेफरेन्स

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

बुक्स हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से इसका प्रबन्ध किया जाता है। प्रकाशन की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से होगा आगे भी कोशिश की जावेगी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री दलीपसिंह (बांस): मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह, श्री भीमसेन, श्री धन्नालाल हरित, श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री सूबेदारसिंह, और श्री दलीपसिंह ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री धन्नालाल हरित : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री दलीपसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : I put all the rest motions together. Is there any objection ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि शेष कटौती के प्रस्ताव स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

सर्व श्री गिरधारीलाल, श्री जगदीश प्रसाद माथुर, भैरोंसिंह, डॉ० चन्द्रकला, अनोपसिंह, सूरजमल, दलीपसिंह व दयाकृष्ण विजय के शेष कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २४,२२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही १७ मार्च १६५६ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४ बज कर ५० मिनट पर दिनांक १७ मार्च, १६५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १६ मार्च, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ३९९८

देवस्थान विभाग, कोटा के कर्मचारियों की मांगे।

माध्यमिक शाला सुजानपुर की जमीन का विक्रय ।

सन् १९५८–५९ में खादी ग्रामोद्योग पर खर्च ।

जिला जालोर में गोचर भूमि पर कब्जा ।

मॉन्टेसरी संस्थाएं ।

भूमि सम्बन्धी रेकॉर्ड पर अफसर के दस्तखत ।

गुलाबपुरा गांधी बहुउद्देशीय हायर सेकिन्डरी स्कूल छात्र संख्या ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता ।

गोगाजी के मन्दिर में पूजा की व्यवस्था ।

महिला आश्रम, भीलवाड़ा की अध्यापिका को तकावी ।

मिडिल स्कूल के हैडमास्टरों की नियुक्ति के आधार ।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में लगान के साथ अन्य करों की वसूली ।

संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर ।

गांव मिटड़िया, तहसील लूणकरणसर में पंजाबियों को भूमि का अलॉटमेंट ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर में टैक्निकल विभाग का भवन ।

चूरू ज़िले की राजगढ़ तहसील की सड़कों में आई किसानों की भूमि का मुआवजा ।

महिला सदन, धौलपुर ।

सैटिलमेण्ट विभाग के अमीन ।

ग्राम कलाऊ तहसील शेरगढ़ में अग्निकाण्ड ।

विकास खण्ड बस्सी में बांध, तालाब इत्यादि का निर्माण ।

ग्राम बिठूड़ा के पटवारी के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही ।

समाज कल्याण बोर्डों की स्थापना ।

चर्मालय व चर्मोद्योग केन्द्र ।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल ।

जिलाधीश भरतपुर के निवास-

स्कम्भ

स्थान के चारों ओर की भूमि पर काश्त ।

डीग के भवनों की देख भाल तथा मरम्मत ।

चर्म उद्योग सहकारी समिति बागोल तहसील देसूरी ।

सिरोही ज़िले में दारू व अफीम के ठेके ।

भूमिहीन किसानों की संख्या ।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति ४०६१

श्री श्रीराम बासोतिया, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ११-३-५६ से २०-३-५६ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

विधाई कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक

राजस्थान ग्राम दान विधेयक, १९५६, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किया गया । ४०६१

आयव्ययक, १९५९-६०
द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान ४०६२

मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग

उपरोक्त मांग श्री रिखबचन्द धारीवाल, उप-मंत्री, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई ।

स्कम्भ

इस मांग पर २७ कटौती-प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये ।

१. श्री भैरोंसिंह ।
२. डॉ० बहादुरसिंह ।
३. डॉ० चन्द्रकला ।
४. श्री धन्नालाल हरित ।
५. श्री अपनोसिंह ।
६. श्री सूरजमल ।
७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।
८. श्री सूबेदारसिंह ।
९. श्री दलीपसिंह ।
१०. श्री दयाकृष्ण विजय ।
११. श्री गिरधारीलाल ।
१२. श्री भीमसेन ।
१३. श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् १२ कटौती-प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए । तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

मंगलवार, दिनांक १७ मार्च, ५६ की कार्य सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

MOST IMPORTANT FOR PERSONAL ATTENTION

Instructions for fixation of seniority and promotion In the selection grade.

1. Now that the work relating to fixation of pay in the unified pay scales of the bulk of the teachers has been finalised their seniorities have to be finalised in accordance with rules. These Rules and Instructions for fixation of seniority in subordinate services were issued vide Integration Department order No. F. 3 (8) Int (A)/51, dated 23-3-51 published in Raj patra volume 2 dated 29-3-51 and subsequent order of the Education department 50. 4253/F. 11 (10) Edu/I/56, dated 26-1-56 copy endorsed to all concerned vide No. P. 8/6/208, dated 5-5-56.

2. For guidance of the Administrative officers that main principles to be observed are explained below :-

(i) The seniority of untrained matriculates teachers and of teachers holding analogous or lower posts is to be determined districtwise and Dy. I.G.S. charge-wise.

(ii) The seniority of trained matriculate teachers, untrained teachers and trained Intermediate and untrained graduate teachers and of the teachers holding analogous posts is to be determined range-wise and I. G. S. charge-wise.

(iii) The seniority of trained graduate teachers is to be determined. on a State basis.

2. Since seniority is to be determined district-wise, rangewise and State basis, the Inspector/Dy-Inspecters of Schools in-charge districts, Dy Inspectresses of Girls Schools will be the Head of the Office for purposes of determining seniority on Distt-wise basis, the Dy. Director of range and Inspectress of Girls Schools will be the Head of the Office for determining seniority Range-wise and the Dircetor of Education for State basis.

3. The following shall not be considered eligible for selection for purposes of seniority.

(i) Government servant who has attained the age of 54 years on July, 1, 1951 or

(ii) Is on deputation from the Government of India or form states other than Rajasthan or

(iii) is employed on contract,or

(iv) is a retired officer re-employed for a specific period or otherwise.

4. It may be kept in view that the present preparation of seniority lists are only of pre-merger employees, taking into consideration their fixation on 1-4-50 i. e. seniority lists should show interse seniorities, grade-wise, of pre. merger, merger employees as on 1-4-50. But lists would be prepared according to places of present postings and not postings on 1-4-50 i. e. a teacher now in Kotah is fixed in untrained Matric grade, he may have been in Bhilwara then, but his seniorty would be fixed in Kotah Distt.

5. The total strength under each category has been intimated to all and the percentage and ratio for selection posts has also been indicated The Heads of the offices will now define the number of selection posts in each categry strictly in accordance with the ratio or percentage against each category of staff.

6. Seniority of all teachers in each category of posts will be determined on the basis of total period of service completed by t he Government servent on January 1, 1950 (and only in that grade) excluding the period of class IV service. In cases of more than one person with equal service, seniority will be determined in accordance to age.

Note:- Military service will be counted on the same basis as Civil Service for purposes of comparative seniority,

7. Teachars in Inter Colleges and other Special institution will be taken in to consideration by the officer in whose jurisdiction these are situated.

8. After the lists have been drawn upto in the manner prescribed above, the lists will be circulated to all teachesr figuring in a particular list and their signatures obtained for having soon that list. Any employee who wishes to represent his case, may do so in writing within one month on the receipt of the list.

9. On the expiry of this period the Head of the office will forward

his proposals for fixation of seniority, alongwith the representations received to the Director of Education Bikaner.

Promotion to selection grade will be given on the basis of seniority-cum-merit. Government servants who have now ceased to be on the strength having been retired will not be considered for promotion in the selection grade.

The question of determining seniority and promotions in the selection grade should be given priority and should be completed within one month at the latest. Please send intimation to this office when provisional seniority lists are circulated.

Sd/-R.D. Thapar.
Director of Education.
Bikaner.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७५ का उत्तर देखिये)

धौलपुर स्थित महिला सदन के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम मेम्बर	पद
१.	श्री सबडिविज़नल ऑफिसर, धौलपुर	
२.	श्री सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, भरतपुर	
३.	श्री सहायक अधीक्षक, आरक्षक विभाग, धौलपुर	
४.	श्रीमती लीला त्रिपाठी	अध्यक्ष, समाज कल्याण कार्यकर्ता
५.	श्री आर. पी. मोदी एडवोकेट, अध्यक्ष, नगरपालिका, धौलपुर	सामाजिक कार्यकर्ता
६.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	सामाजिक कार्यकर्ता
७.	श्रीमती गंगादेवी	”
८.	श्रीमती एन. जी. शर्मा सहायक अधीक्षिका महिला सदन, धौलपुर	सेक्रेटरी
९.	श्री जमुना प्रसाद एडवोकेट	सामाजिक कार्यकर्ता

४२०६

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

आनन्द सिंह पुत्र लाल सिंह की ढाणी में सामान जलने की सूचिः–

क. सं.	नाम सामान	मूल्य
१.	नकदी नोट	३०६
२.	बरी का सामान	३१५
३.	मांचे १०	१५०
४.	बिस्तर	४०५
५.	कपड़े	७५७
६.	अनाज	६४०
७.	फुटकर सामान	४२४
	कुल योग	३००० रू०

बागड़ा ५ दिस ५८

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८२ का उत्तर देखिये)

बोर्ड के सदस्यों के कर्त्तव्यों की सूची

१ पिछड़ी जातियों की आवश्यकताओं एवं उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में सूचना देना ।

२ संचालक समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ी जातियों के मध्य वार्ता का मार्ग बनाना ।

३ समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको प्रेषित किये गये प्रश्नों पर सलाह देना ।

४ पिछड़ी जातियों की आवश्यकताओं एवं उनकी शिकायतों को सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों की दृष्टि में लाते हुए उनकी सहायता करना ।

५ अस्पृश्यता निवारण एवं अन्य विशेष नियोग्यताओं तथा विभिन्न पिछड़ी जातियों में प्रचलित हानिकारक सामाजिक कुरीतियों के निवारणार्थ उचित कार्यवाही करना ।

६ पिछड़ी जातियों में यथासम्भव प्रचार कार्य करना ।

७ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये उचित तरीकों के सुझाव देना ।

परिशिष्ट

धौलपुर स्थित महिला सेवा सदन की सलाहकार समिति की बैठक और उसके सुझाव की सूची

व्यवस्थापिका समिति की बैठक होने की तिथि व स्थान	व्यवस्थापिका समिति के सुझाव
१८-११-५८ को जिला महिला आश्रयगृह धौलपुर में	१. महिला आश्रयगृह में नीचे आहते के अन्दर टैंकसिस्टम के लेट्रिन्स बनवाये जाय ।
	२. महिला आश्रय गृह में सुपरिन्टेंडेंट के कार्यालय के निकट वाले बरामदे में किवाड़ लगवाये जाय ताकि सहायक अधिक्षिका का क्वार्टर सदन से बिल्कुल अलग बन जाय ।
	३. महिला आश्रय गृह में आने वाले व्यक्तियों से विजिट बुक में हस्ताक्षर नहीं करवाये जाय ।
७-१-५६ को जिला महिला आश्रय गृह, धौलपुर में	१. प्रत्येक सदस्य को उसमें महिलाओं को भर्ती कराने का प्रयत्न करना चाहिये और सदन के लिये व्यापक प्रचार करना चाहिये ।
	२. महिला आश्रय गृह की महिलाओं की शारीरिक जांच के लिए लेडी डॉक्टर को आश्रय गृह में आना चाहिये.
	३. महिला आश्रय गृह में नियुक्त महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निम्न प्रकार ऊनी वर्दी दी जाय :—
	१. ऊनी ब्लाउज २० रुपये तक के मूल्य का प्रत्येक को
	२. दो पेटी कोट १० रुपये प्रति का प्रत्येक को
	३. दो धोती प्रत्येक को पुरुष चोकीदार को निम्न वर्दी दी जाय
	१. एक ऊनी कोट जिसका मूल्य ४० रु० हो
उप-समिति की बैठक १३-१-५६	१. महिला आश्रय गृह में महिलाओं को भर्ती करने व इसका प्रचार करने के लिये धौलपुर सब डिविजन निम्नलिखित चार तहसीलों की पंचायतों से सम्पर्क किया जावे ।
	१. तहसील पंचायत धौलपुर
	२. तहसील पंचायत राजाखेड़ा
	३. तहसील पंचायत बसेड़ी
	४. तहसील पंचायत बाड़ी

१	२
	२. यह भी सुझाव दिया गया कि श्री चरणसिंह, सरपंच तहसील पंचायत धौलपुर से उनकी पंचायत के सरपंचों की इस सम्बन्ध में बैठक बुलाने को सम्पर्क किया जावे ।
	३. यह भी सुझाव दिया गया कि पंचायतों के अतिरिक्त इन पंचायतों के क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं से जैसे नगरपालिकाएँ, आदि से भी इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया जावे । इस सम्बन्ध में समाज कल्याण समिति, बाड़ी से भी सम्पर्क करने का सुझाव दिया गया ।
	४. महिला आश्रय गृह के सिद्धान्त एवं कार्यों के व्यापक प्रचार हिन्दी में एक पेम्फलेट प्रकाशित करवाया जाय और उसे जनता में वितरण कराया जाय ।
२-२-५६ को महिला आश्रय गृह, धौलपुर में	इसमें धौलपुर तहसील के पंचों ने भी भाग लिया और उन्हें इस आश्रय गृह की प्रवृत्तियों से परिचय कराया । सब उपस्थित सरपंचों ने महिलाओं की भर्ती के लिये सहयोग देने का आश्वासन दिया ।

Copy of letter No. EDB/Eatt/A/5802/3/58, dated 18-8-58, from the Director of Education, Rajasthan, Bikaner, to the Deputy Director of Education, Udaipur and copy to all DDE.

Sub:- Selection of candidates as Headmasters of Middle Schools.

Ref:- Your letter No. 13119, dated 25-6-58.

Tacshers with the following qualifications may be appointed as Headmasters of Middle School.

1. Where trained graduates posts have been provided for Headmasters of Middle Schools trained graduates teacher capable of Headmastership may be sent.

2. Where trained Inter posts are available, at least trained Inters on seniority cum suitability basis should be appointed as Headmasters.

3. Where old trained Matrics are working as Headmasters, they should be continued if their work continues to be satisfactory. On their retirement, higher qualified people may be put in their places.

4. No Matric should be put as Headmasters now.

OFFICE OF THE DY. DIRECTOR OF EDUCATION JAIPUR (RAJ)

OFFICE ORDER

The following reversions and transfers of HeadMasters of Middle Schools, Jaipur City are hereby made with immediate effect:—

1.	Shri Jai Deo Sharma, Sub-Deputy Inspector of Schools	Revearted as Headmaster, Middle School and posted at Model Basic School, Jaipur vice Shri Jai Nath Sharma, Head Master.
2.	Shri Jal Nath Sharma, Headmaster Model Basic School, Jaipur.	Transferred to Ram Ganj Middle School, as Headmaster Vice Shri Bhanwarlal Gangwal
3.	Shri Bhanwarlal Gangawal Headmaster, Ramganj Middle School, Jaipur.	Reverted, he should report to the Inspector of Schools Jaipur East sub-Division, Jaipur.

Shri Jai Deo Sharma will proceed first after handing over the charge to Shri Chhail Behari Lal, Asstt. Teacher, Motikatla High School, Jaipur. Separate orders are being issued in this connection.

Posting orders of Shri Bhanwarlal will be issued from the office of the Inspector of Schools, Jaipur East Sub-Division, Jaipur.

Sd/-S. L. Sharma,
Deputy Director of Education,
J aipur.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ का उत्तर देखिये)

Nominated members of the Rajasthan Sports Council, Jaipur.

1.	Deputy Minister for Education.	President.
2.	Shri V. N. Kak.	Vice President.
3.	Shri S. P. S. Bhandari, Education Secretary.	Vice President.
4.	Vacant.	Secretary.
5.	Shrimati Leela Khanna.	Hony. Treasurer
6.	Shri Brij Sunder Sharma.	Member.
7.	Miss L. G. Lutter, Principal, M. G. D. Girls P. School, Jaipur.	,,
8.	Director of Education, Rajasthan. Ex-Officio.	,,
9.	Shri Narain Singh M. L. A.	,,
10.	Shri S. K. Zibbo.	,,
11.	Shri Thakur Jaikrit Singh.	,,
12.	Shri Ram Singh.	,,
13.	Shri Laxmilal.	,,
14.	Shri Bhim Sain, Principal, Govt. College, Ajmer.	,,
15.	Shri K. L. Bhargava.	,,
16.	Mrs. S. Bhartiya, Principal, Maharani's College, Jaipur.	

17.	Shri J. A. Nath, Headmaster, Govt. Patel Multipurpose Higher Secondary School, Beawar.	Member
18.	Shri K. L. Verma. Registrar, University of Rajasthan (University Representative)	„

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ का उत्तर देखिये)

लिस्ट काश्तकारान जो कोठी कलेक्टर साहब के चारों ओर ३ फर्लांग की दूरी पर है

न० शु०	नाम काश्तकारान	रकबा	क्या इनके पास इस जमीन के अलावा और भी भूमि है।	जमीन में कब से कृषि होनी प्रारम्भ हुई व पहिले किस काम आ रही थी।
१	बाबू वल्द रमजानी धोबी	।४	६	सं० २०१० से काश्त होती है पहले इस पर बागात का कब्जा था।
२	गिर्राज पु० खुन्नी गडरिया	१०		पोलो ग्राउन्ड था, संवत् २००६ से काश्त होती है।
३	कमलसिंह पु० लखा जाट सोलजर	५०		
४	मेजर गोविन्दसिंह	१२।।।	१५	बंजर थी संवत् २०१४ से
५	नत्थी वल्द राम बक्स माली	२।४		कोठी का रकबा, है सं० २०११. से काश्त होती है
६	मनोहरलाल वंशीधर वैश्य	३७।।।२		कुछ बंजर है कुछ मजरूआ है मकान बनाने को है काश्त संवत् २००६ से
७	गजपतसिंह सोलजर	७।।।		संवत् २००६ से काश्त हुई है।

१	२	३	४	५
८	मकवजा वागालक बाग	२१६		बंजर है।
६	वाली राम माली	३		सं० २०१२ से काश्त हुई
१०	सूखा माली	१॥		—
११	श्री गोवरधनसिंह केन	१५	१८	पोलो ग्राउन्ड का रकबा है, २००६ से काश्त होती है
१२	रामचन्द माली	६	५	२००६ से काश्त होती है
१३	करनसिंह जाटव	८		पोलो ग्राउन्ड की भूमि है काश्त २००६ से
१४	गोकल जाटव	४॥।२		— —
१५	परभाती जाटव	६	१०	— —
१६	किरोड़ी ताराचन्द	४	३	— —
१७	पूरन जाटव	५		— —
१८	जगन लोधा	६		— —
१६	कलुआ जाटव	४		— —
२०	नत्थी हुक्मी जाटव	७।४		— —

१	२	३	४	५	
२१	वाला जाटव	७॥२	१०	—	—
२२	पांचा जाटव	६॥।		—	—
२३	हरमेजी जाटव	४।१		—	—
२४	हरहेती जाटव	२		—	—
२५	चेतराम जाटव	४		—	—
२६	सकट्ट्या जाटव	२॥	५	—	—
२७	परमोली जाटव	३		—	—
२८	परभाती जाटव	८		—	—
२९	गोपी जाटव	४		—	—
३०	चिरंजी जाटव	४॥		—	—
३१	हंडल जाटव	२		—	—
३२	मदन जाटव	१॥		—	—
३३	खिलोना माली	१०	१५	—	—

१	२	३	४	५
३४	जगन्नाथ ब्राह्मन	६	६	— —
३५	मुरलीधर ब्राह्मन	१८		२००६ से ही काश्त होती है
३६	कलुआ माली	८	२	— —
३७	बदले रामसिंह	७||२	२१	— —
३८	मुरलीधर	२०		— —
३९	केसी माली	२२		— —
४०	नटवरसिंह	२८		संवत् २०१४ से काश्त हुई
४१	मनोहरलाल ब्रा० चारबाग	१६।४		— —
४१	मु० सोनवती वेवा किशना राजपूत	५०		संवत् २००६ से काश्त होती है पट्टे सात साल
४३	कुमरसेन जाटव	१०		काश्त २००६ से होती है।

शुद्धि-पत्र

कार्य विवरण सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४०९७	अन्तिम से २	वकस	विकास
४११०	.	संगमर्मर के का	संगमर्मर के पत्थर का
४१३९	४	काफा	काफी
,,	१३	खूलकर	खुलकर
४१४२	१०	नाल पर	नल पर
४१४४	१३	Reporf	Report
४१५७	५	इस पा	इस पानी
४१९६	३ व ५	ट्यूब्रवैल	टियूब्रवैल
,,	७	nformion	information
,,	५	मलने	मिलने
४२२३	अन्तिम से १३	Servent	Servant